राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ६] तृतीय विधान सभा के छठे सत्र, १९६४ का १६ वां दिवस [संख्या १२

मंगलवार, दिनांक १८ अगस्त, १९६४

विधान सभा की बैठक प्रात: ८.१ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[राजस्व, सहकारी, शिक्षा, विद्युत, सार्वजनिक निर्माण, अकाल सहायता, खनिज, गृह, यातायात, उद्योग-विभाग]

भूमि का अलॉटमेंट तहसील बसवा

२८७. श्री मथुरेश बिहारी माथुर (बांदीकुई) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

तहसील बसवा में क्या १९६४ में नियमानुसार नदी व तालाब के पेटे में आरजी काश्त के लिये अलॉटमेंट किये गये हैं ? यदि नहीं तो एडवाइजरी कमेटी की बैठक न बुला कर अलॉटमेंट न करने के लिये कौन जिम्मेवार है और उसके लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : जी नहीं। सन् १९६४ में कोई अलॉटमेंट नहीं किया गया। अमूमन माह अक्टूबर नवम्बर में पेटे खाली होते हैं जिनमें फ़सल रबी की काश्त होती है।

श्री मुथरेश बिहारी माथुर : क्या यह सही है कि सन् १९६४ में लोगों को अलॉटमेंट के लिये न तो कोई मीटिंग बुलाई गई और न किसी को जमीन अलॉट की ? इसलिये उसमें जिन लोगों ने काश्त की है उसका क्या होगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपने सन् १९६४ के लिये पूछा और उसका उत्तर मैंने दिया है 'अमूमन अक्टूबर-नवम्बर में पेटे खाली होंगे जिसमें रबी की फसल होती है'। आपने सन् ६२ और ६३ के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछा है।

श्री मथुरेश बिहारी माथुर : अलॉटमेंट रबी के लिये नहीं किया गया है। अप्रेल, मई और जून, जुलाई तक अलॉटमेंट होने चाहिये वे इस साल क्यों नहीं किये गये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं ऐसा प्रीज्यूम करता हूं कि पेटे खाली होने पर ही जमीन का अलॉटमेंट किया जाता है।

Page No. 2

श्री मथुरेश बिहारी माथुर : मैं आपकी जानकारी के लिये कहूं कि हमेशा जिस तरह से होता है उस तरह से नहीं किया गया। कई दफा मीटिंग बुलाने के लिये लिखा गया मगर कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई न रेगुलराइजेशन के लिये कोई मीटिंग हुई। मैं यह कहूंगा कि तहसीलदार ने जान बूझ कर इसको एवॉइड किया है। काश्तकारों को वक्त पर अलॉटमेंट नहीं होगा तो उनसे पेनेल्टी वसूल की जावेगी? क्या इस तरह से जमीन अलॉट नहीं की गई और काश्तकारों ने काश्त की है तो उनसे पेनेल्टी वसूल की जावेगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सन् ६२ में ७३ एकड़ और ६३ में ६३ एकड़ भूमि अलॉट की गई। सन् १९६४ में अक्टूबर, नवम्बर में लोगों की दरख्वास्तें मांग कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

श्री मानिक चन्द सुराणा (कोलायत): क्या अलॉटमेंट सन् १९६३ में हुआ उसकी मीटिंग बुलाई गई थी और उसके अनुसार अलॉटमेंट किया गया था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपने सन् १९६४ के लिये प्रश्न पूछा है। इसलिये मैंने यह निवेदन किया कि अक्टूबर नवम्बर में दरख्वास्तें मांग कर नियमानुसार अलॉटमेंट होगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : प्रश्न पूछने में टेक्निकल गलती रह गई है उसका फायदा तो आप उठाते ही हैं लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि आपने सन् १९६३ में जो जमीन दी वह क्या अलॉटमेंट कमेटी बुलाने के बाद में दी या बगैर अलॉटमेंट कमेटी को बुलाये ही दे दी गई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सन् १९६३ की जो सूचना मेरे पास थी वह मैंने आपको दे दी।

मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, वह प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : जब प्रश्न पूछा गया तो आपको सन् १९६३ के लिये भी जो अलटॉमेंट किया गया है उसके लिये भी तैयार रहना चाहिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपका प्रश्न यह है कि तहसील बसवा में क्या १९६४ में नियमानुसार नदी व तालाब के पेटे में आरजी काश्त के लिये अलॉटमेंट किये गये हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : पास्ट टेन्स में प्रश्न है आपको ६३ के लिये भी तैयार रहना चाहिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसके लिये मेरे पास जानकारी नहीं है। आपने सन् १९६४ का ही प्रश्न पूछा था और उसका मैंने उत्तर दिया है मैंने कहा है कि अक्टूबर और नवम्बर में अमूमन अलॉटमेंट हुआ करते हैं। हमने सन् ६३ में और ६२ में अलॉटमेंट किये हैं और सन् १९६४ के साल का अलॉटमेंट अब होगा।

श्री मथुरेश बिहारी माथुर : गुजिश्ता साल में ६४ का अलॉटमेंट हुआ या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह सन् १९६४ के साल का अलॉटमेंट नहीं हुआ। वह तो १९६३ की साल का था।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मानिकचन्द सुराणा।

जोइन्ट रजिस्टार की नियुक्ति

२८८. श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या भारत सरकार के सामुदायिक व सहकार मन्त्रालय ने राज्य सरकार को सहकारी कृषि के विकास के लिये एक अलग से जोइन्ट रजिस्ट्रार या प्रथम श्रेणी के अधिकारी की नियुक्ति का निर्देश दिया था ? यदि हां, तो यह निर्देश किस तारीख को दिया गया और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उप-मन्त्री, सहकारी (श्री भीमसिंह) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर अभी तक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है इसलिये इस प्रश्न को अगले टर्न तक स्थगित कर दिया जाय।

फोरेस्ट सेटलमेंट से पूर्व के काश्तकारों से लगान

तहसील लसाड़िया

२८९. श्री उदयलाल वर्दिया (लसाड़िया) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले की लसाड़िया तहसील में कई गांवों में फोरेस्ट सेटलमेंट से पूर्व के काश्तकारों के भूमि पर कब्जे हैं और इसका भू राजस्व काश्तकार तहसील में जमा करा रहे हैं ? यदि हां, तो कितने काश्तकार हैं ?

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त जमीनों पर वन विभाग समय समय पर किसानों को खेती करने से रोकता है ? यदि हां, तो इसके लिये सरकार द्वारा क्या प्रबंध किया जा रहा है ?

(३) क्या यह भी सही है कि ऐसी भूमि का जो मौके पर काबिल काश्त है और जिस पर वन विभाग ने अपने सेटलमेन्ट के समय लाइन डिमार्केशन बना दी है मौका देख कर भूमि राजस्व विभाग को दिये जाने के लिये उदयपुर जिले में जिला स्तरीय कमेटी का निर्माण हुआ है ? यदि हां, तो किस तारीख को हुआ और अब तक उस कमेटी ने कितने ऐसे फैसले उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में किये ?

उपमंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा)
(१) जी हां। ऐसे ५० काश्तकार हैं।

(२) जी हां। इसके लिये एक (समन्वय) समिति बनाई जा रही है।

(३) जी हां। दिसम्बर सन् १९६० में कमेटी का निर्माण हुआ था। कमेटी ने कोई फैसला नहीं किया है।

श्री उदयलाल वर्दिया : कितने ऐसे व्यक्ति थे और कमेटी ने कितने फैसले दिये और कितने लोगों को अधिकार दिया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैने निवेदन किया कि कमेटी ने कोई फैसला नहीं दिया इस लिये यह प्रश्न ही नहीं उठता। अध्यक्ष

Page No. 4

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

मोहदय, यह कमेटी फोरेस्ट विभाग ने बनाई है और फोरेस्ट विभाग ही सारे मामलों को डील करता है और यह जमीन फोरेस्ट डिपार्टमेंट की है। मैंने इसका जबाब दिया चूंकि यह प्रश्न मुझ को पूछा गया था वरना यह फोरेस्ट से संबन्ध रखता है।

श्री दलपतसिंह आबू : सेटलमेंट के पर्चे उनको मिले या नहीं ? फोरेस्ट डिपार्टमेंट से पहले आपने उन लोगों को जमीन अलॉट की या नहीं ?

रामप्रसाद लड्ढा : इसके लिये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कहना है कि जो अलॉटमेंट किया गया वह ठीक है लेकिन फोरेस्ट वाले कहते हैं कि यह भूमि हमारे अधिकार में है और हमारी डिमार्केशन में आती है। इसलिये यही झगड़ा है। इसके लिये तहसीलदार, डी. एफ. ओ. आदि व्यक्तियों की कमेटी जिला परिषद लेवल पर बनी है वह इस बात निर्णय करेगी।

श्री दलपतसिंह : क्या उनको राइट मिल गया उसके बाद में डिमार्केशन की वजह से फोरेस्ट वालों के कहने से उनके हकूक खत्म हो गये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा जो जमीन दी गई है उसकी ताईद करता हूं और सपोर्ट करता हूँ कि जमीन उन्हीं के पास रहनी चाहिये। मगर फोरेस्ट वालों ने यह अड़चन पैदा की है और इसके लिये फोरेस्ट कमेटी का निर्माण कर दिया है। इसलिये यह एक समस्या पैदा हो गई है। वे कहते है कि हमने इसके लिये नोटिफिकेशन निकाल दिया फिर जमीन क्यों अलॉट की गई। इसको फाइनल होने में समय लग गया इस बीच में अलॉटमेंट कमेटी को मालूम नहीं होने से जमीन अलॉट कर दी। उधर तो फोरेस्ट विभाग वाले कहते हैं कि हमने नोटिफिकेशन निकाल दिया था इसलिये किसी को उस जमीन पर खेती करने का अधिकार नहीं था। रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहता है कि हमको मालूम नहीं था इस लिये अलॉटमेंट कर दिया। अब यह सारा मामला सरकार के विचाराधीन है। जल्दी ही इस मामले को तय कर दिया जावेगा।

श्री दलपत सिंह : फोरेस्ट डिपार्टमेंट ने जिस समय अपनी लाइन ऑफ डिमार्केशन तय की तो रेवेन्यू विभाग के अधिकारी भी उनके साथ थे या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह मुझे मालूम नहीं कि कौन कौन उसमें शामिल थे। इतना कह सकता हूं कि रेवेन्यू और फोरेस्ट का कोआपरेन प्रोपर्ली नहीं हुआ है इससे झगड़ा हो सकता है।

श्री दलपत सिंह : अध्यक्ष महोदय, फोरेस्ट वालों ने मर्जी माफिक डिमार्केशन किया है, ऐसे कई झगड़े हैं। इसलिये इनके निबटाने के लिये आपने कोई न कोई स्टेप लिया है या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : फोरेस्ट डिमार्केशन सम्बन्धी इस तरह के सारे मामले विचाराधीन हैं।

श्री उदयलाल वर्दिया : आपने कहा कि अलॉटमेंट के बारे में गड़बड़ी हुई है।

श्री रामप्रशाद लड्ढा : गड़बड़ी हुई है यह मैंने नहीं कहा।

श्री उदयलाल वर्दिया : फोरेस्ट से सेटलमेंट होने से पहले जिन लोगों को उनकी जमीनों के पर्चे दिये गये, खातेदारी राइट्स दिये गये फिर अब उनको क्यों हटाया जा रहा है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि हटाये जाने के पक्ष में मैं नहीं हूं, उन्हें नहीं हटाया जाना चाहिये और यह भी निवेदन कर दूं कि अभी हटाया एक को भी नहीं गया है। कुछ स्थानों में रोक हुई है, इससे यह प्रश्न उपस्थित हुआ है और एक समिति बना कर शान्ति पूर्ण ढग से इस मामले को निबटाने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री उदयलाल वर्दिया : उन लोगो को उन की इस तरह की जमीन में काश्त नहीं करने दी जाती फोरेस्ट डिपार्टमेंट वालों की तरफ से और रेवेन्यू विभाग वाले उनसे रेवेन्यू वसूल कर रहे हैं, ऐसे पचासों मामले लसाड़िया तहसील में है।

श्री अध्यक्ष : श्री बृजेन्द्रपाल।

रवीन्द्र मन्च

२६०. **श्री बृजेन्द्रपाल** (करोली) : Will the Minister for Education please state:—

(1) What has been the total cost of construction, furnishing and stage equipment of Ravindra Manch?

(2) Is it a fact that the Government has dropped the idea of airconditioning the auditorium and the stage?

उप-मन्त्री शिक्षा (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : (१) टंगौर थियेटर को अनुमानित धनराशि १२,४६,३००) में से माह जुलाई, १६६४ तक ११,८६,०५०) का व्यय हो चुका है उसमें से स्टेज के अधिकारियों पर ७४,४१७) रु० एवं फर्नीचर पर ५०,६३५) रु० का व्यय हुआ है।

(२) जी नहीं।

श्री बृजेन्द्रपाल : क्या मन्त्री महोदय ने जांच की है कि जो फर्नीचर लगा है वह ठीक नहीं है?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मैंने स्वयं ने जांच नहीं की है। मैं जांच कर लूंगा जैसा आप कहते हैं।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (भीम): क्यास्टेज पर लाइट्स का इन्तजाम किया है वह सिनेमा स्टेज जैसा फिटिंग कर दिया है?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह अलग से प्रश्न है।

श्री बृजेन्द्रपाल : इसे एअरकन्डिशन्ड कब तक कर दिया जायगा?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : इसमें हम शीघ्रता कर रहे हैं लेकिन बड़े प्लान्ट्स भारत में निर्मित नहीं हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री जेठमल बरवड़!

Page No. 6

आबादी में शामिल करने हेतु प्रार्थनापत्र ग्राम बोरावड़

२६१. श्री जेठमल बरवड़ (परवतसर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि बोरावड़ ग्राम जिला नागौर के भूतपूर्व सरपंच ने ग्राम की बढती हुई आबादी को देखकर ग्राम के पास की भूमि को आबादी में शामिल करने हेतु प्रार्थनापत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने आज तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों और अब उपरोक्त भूमि को कब तक आबादी में शामिल कर दी जायेगी ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : भूतपूर्व सरपंच बोरावड़ ने आबादी के पास वाली भूमि को आबादी में शामिल करने हेतु कोई भी दर्ख्वास्त तहसील परवतसर में पेश नहीं की है। अतः उस पर कार्यवाही करने तथा भूमि को आबादी में बदले जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री जेठमल बरवड़ : आपने बताया कि भूतपूर्व सरपंच बोरावड़ ने आबादी के पास वाली भूमि को आबादी में शामिल करने हेतु कोई दर्ख्वास्त नहीं दी है। पर वास्तव में यह केस कलेक्टोरेट में चल रहा है। भूतपूर्व सरपंच ने ६ साल पहले दर्ख्वास्त दी थी, उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई और आप फरमा रहे हैं कि कोई दर्ख्वास्त ही नहीं दी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार बोरावड़ के किसी भूतपूर्व सरपंच द्वारा परबतसर तहसील में आबादी के पास की जमीन को आबादी में परिवर्तित करने सम्बन्धी कोई दर्ख्वास्त दिया जाना नहीं पाया जाता।

श्री जेठमल बरवड़ : इस तरह आबादी के आस पास की जमीन को आबादी लैंड में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में, जगह जगह चार-चार पांच-पांच सालों से दर्ख्वास्तें पड़ी हुई हैं, उनके सम्बन्ध में जल्दी निर्णय लेने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या ठोस कदम उठाये हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस समस्या के सम्बन्ध में रेवेन्यू विभाग ने ६१ में और उसके बाद ६३ में गवर्नमेंट की ओर से सब कलेक्टर साहिबान को यह आदेश दे दिया है कि जहां जहां ग्राम पंचायतों, नगरपालिकाओं या अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट्स की हद में ऐसी अनोक्यूपाइड लैंड आबादी से लगी हुई है और एग्रीकल्चरल लैंड में है तो उसकी ट्वेन्टी टाइम्स कीमत फिक्स करके जो यह कीमत चुका दें उनके हक में उस लैंड को आबादी लैंड में कन्वर्शन कर दें। इस प्रकार के आदेश तीन बार जारी किये हैं। हो सकता है कि कहीं किन्हीं कारणों से देरी हुई हो फिर सम्बन्धित अधिकारियों को जल्दी कार्यवाही करने के लिए लिखा जायगा।

श्री जेठमल बरवड़ : यह आदेश देने के बाद क्या आप मानते हैं कि संतोषजनक कार्यवाही हुई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : संतोष, असंतोषजनक का प्रश्न पैदा नहीं होता, आदेश दिये गये हैं।

Page No. 7

श्री मथुरेश बिहारी माथुर : क्या आपने जांच की है कि कितने केसेज हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्पोज-ऑफ किये गये हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसी जांच की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। जैसा कि माननीय सदस्य ने फरमाया नागौर कलैक्टर के यहां भूतपूर्व सरपंच बोरावड़ की दर्ख्वास्त है तो उस पर कार्यवाही जल्दी ही कराई जायगी।

श्री मथुरेश बिहारी माथुर : जयपुर डिस्ट्रिक्ट में कितने परसेंट केसेज डिस्पोज-ऑफ किये, क्या आपने इसकी जांच करवाई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बोरावड़ का प्रश्न पूछा गया था और आप सारे जयपुर जिले पर आ गये।

श्री दलपत सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सारे राजस्थान का बड़ा बर्निंग प्रश्न है गांवों के लिये। लोग दर्ख्वास्तें देते हैं, वर्षों वे दर्ख्वास्तें पड़ी रहती हैं, कोई आन्सर लोगों को नहीं मिलता। जिन लोगों को घर बनाने होते हैं उन लोगों के लिए आल ओवर राजस्थान यह एक बड़ी बर्निंग प्रोब्लेम है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : गवर्नमेन्ट अनोक्यूपाइड लैंड है उसके बारे में प्रस्ताव लाते हैं कि आबादी में मिला दिया जाय तो गवर्नमेंट उसके बारे में बहुत इच्छुक है। जितना जल्दी निर्णय हो सके किया जायगा। ऐसे ही आदेश प्रसारित किये हैं। पर दिक्कत तब आती है जब कि गांवों के पास खाली सरकारी जमीन नहीं होती है, दूर लेना पसन्द नहीं करते हैं, प्राइवेट ऑनर्स की लैंड होती है तो एक्वायर वगैरह करने में दिक्कतें आती हैं, कहीं चारागाह वगैरह का प्रश्न आ जाता है। बाकी गवर्नमेंट की अन-ओक्यूपाइड लैंड है उसके कन्वर्शन में सरकार को कोई एतराज नहीं है। इन नियमों में भी क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं, जिससे कि आयन्दा आबादी लैंड से इस तरह की लैंड को कन्वर्ट करने में किसी तरह की बाधा न आय, सरकार के विचाराधीन है।

श्री जुझार सिंह (चेचट) : ऐसी भी जमीनें हैं जहां मकान बने हुए हैं और रेकर्ड में रेवेन्यू लैंड रेकर्डेड है, ऐसे आदमियों पर भी आपकी तरफ से फाइन, चालान, जुर्माने हो रहे हैं, ऐसे मामलों में सरकार की क्या नीती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसे मामलों में स्पष्ट नीति यह है कि इस प्रश्न से इसका कोई ताल्लुक नहीं है।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या २९२।

विस्थापित अध्यापकों को पेन्शन

२९२. श्री पोहूमल ईसरदास : (अजमेर सिटी) Will the Minister for Education be pleased to state:-

1. Is it not a fact that services of all teachers in aided schools, which were taken over by the Government have been counted towards Pension, if they refunded the amount of Provident Fund, contributed by tne institution to them ?

Page No. 8

(श्री पोहूमल ईसरदास)

2. If yes, how many displaced teachers from Sind have been given pension in Rajasthan and Ajmer District ?

3. If not, why such facility is not being given to displaced teachers from Sind ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) यह सही है कि अनुदान प्राप्त स्कूलें, जिन्हें सरकार ने ले लिया है के समस्त अध्यापकों का सेवाकाल उसी दिन से जिस दिन से कि उन्होंने प्रोविडेन्ट फन्ड की राशि देना शुरू की थी, पेन्शन में गिन लिया जाता है बशर्ते कि ये संस्था द्वारा प्रदत्त की गई प्रोविडेन्ट फण्ड की राशि मय व्याज के लौटा दें।

(२) अजमेर जिले में ४४ अध्यापकों की पेन्शन स्वीकृत कर दी गई है बाकी स्थानों की सूचना एकत्रित की जाकर सदन की मेज पर रख दी जावेगी।

(३) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री पोहूमल ईसरदास : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक स्कूल को गवर्नमेंट द्वारा ले लिया गया था पर उस स्कूल की सर्विसेज के टीचर्स को पेन्शन नहीं दी है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह अलग से प्रश्न है : व्यक्तिगत स्कूलों के सम्बन्ध में मैंने अर्ज नहीं किया, मैंने नीति की बात अर्ज की है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह नियम किस तारीख को प्रकाशित किये हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आॅर्डर है १०१।३, ३ दिसम्बर, १९५९ का।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरा प्रश्न यह है कि गजट में कौनसी तारीख को प्रकाशित हुआ है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं मानता हूं कि आॅर्डर नम्बर और तारीख यह है तो प्रकाशन की तारीख भी यही होगी।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं यह जानना चाहता हूँ कि गजट में यह आॅर्डर छप चुका है या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह मैं निवेदन नहीं कर सकता।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इस तरह के कई प्रश्न शिक्षा विभाग के सामने आये, पर फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट ने पेन्शन देने से मजबूरी जाहिर की, फाइनेन्स मिनिस्टर यहीं बैठे हुए हैं उन्हें मालूम है। जिन लोगों की २५—३० साल की सर्विस थी, पी. एफ. मनी लौटा दिया पर उनको पेन्शन नहीं दी। उप-मन्त्री शिक्षा विभाग कहते हैं कि ऐसे नियम हैं और ३ दिसम्बर १९५९ से ऐसे नियम हैं, ऐसे नियमों की लोगों को जानकारी नहीं है। इसलिए क्यों नहीं इन नियमों को गजट में प्रकाशित किया जा कर एक प्रति वित्त मन्त्रालय को भी भेज दी जाती ? एक नियम है और उसका पालन नहीं हो रहा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। यह नियम साधारणतः सभी अध्यापकों के लिए नहीं है जिनको कि व्यक्तिगत स्कूल्स की सर्विस है....

फॉर्मर अजमेर स्टेट में जो सिंध से आए हुए अध्यापक थे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक आदेश निकाल कर उनको यह सहूलियत दी। उसके आधार पर उनकी सर्विसेज पेन्शन के लिए काऊंट की जा रही हैं। दूसरे शिक्षकों के लिए other than those who do not belong to Sind.

यह फैसेलिटी नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं जानना चाहूंगा इस तरह के डिस्क्रिमनेशन का अब क्या आधार रह गया है। यदि कोई प्रिन्सिपल अजमेर के टीचर्स के लिए लागू है तो वह सारे राजस्थान के अध्यापकों तक एक्सटेंड करने में क्या कठिनाई पैदा हो रही है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कठिनाई तो मैं नहीं कह सकता लेकिन फॉर्मर अजमेर राज्य ने किसी चीज़ को लागू किया उसको हमने लागू नहीं किया। कठिनाईसंभवतः इकॉनॉमी कट और फाइनेन्शिलय पोजीशन ऑफ दी स्टेट हो सकती है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह तो एक स्टॉप रिप्लाई है कि हमारी हालत खराब है, हम मर रहे हैं, हम दीवालिया हो रहे हैं, प्रश्न तो यह है कि जो सिद्धान्त आज तक फॉर्मर अजमेर स्टेट में लागू है, शिक्षा मंत्रालय उस प्रिन्सिपल को राजस्थान के अन्य हिस्सों में लागू करने के लिए क्यों नहीं विचार कर रहा है ? यदि वह प्रिन्सिपल अजमेर में सही है तो क्या वह दूसरे हिस्सों के लिए उपयोगी नहीं हो सकता ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : एक बार और रेफर कर देंगे, संभवतः, फाइनेन्स मिनिस्टर इस ओर ध्यान दे दें।

श्री पोहूमल ईसरदास : क्या मन्त्री महोदय महात्मा गांधी विद्यालय के बारे में जांच कराएंगे कि उनको पेन्शन क्यों नहीं दी गई है ?

श्री निरंजन नाथ आचार्य : हम आपस में दोनों बात कर लेंगे, इसमें जांच का क्या प्रश्न है।

फालना स्टेशन के पावर हाऊस की विद्युत् क्षमता

२६३. **श्री मोहनराज :** (बाली)—क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि फालना स्टेशन पर स्थापित पावर हाऊस की विद्युत् उत्पादन की क्षमता स्थानीय आवश्यताओं को देखते हुए बहुत कम है और यही कारण है कि उद्योग व खेती के लिए मांग होते हुए भी बिजली नहीं दी जा रही है ?

(२) उद्योगों व कृषि कार्य हेतु बिजली प्राप्त करने के कुल कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं जिनमें की गई मांग के अनुसार बिजली उपलब्ध नहीं की जा सकी है ?

Page No. 10

श्री (मोहनराज)

(३) विद्युत् मंडल इस पावर हाऊस की क्षमता बढ़ाने हेतु क्या कार्यवाही कर रहा है ?

(४) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र को चम्बल योजना से मिलने वाली बिजली उपलब्ध की जायेगी ? यदि हों तो कब तक ?

उप-मन्त्री विद्युत् : (श्री चन्दनमल वैद) : (१) मौजूदा स्थिति में नहीं लेकिन भविष्य में ऐसी संभावना है ।

(२) उद्योगों के दो और कृषि का एक भी नही ।

(३) और जनरेटिंग प्लान्ट लगाने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

(४) जी हां । सन् १९६७-६८ तक आशा है ।

श्री मोहनराज : आपने बताया कि उद्योग के लिए सिर्फ दो प्रार्थना पत्र हैं और कृषि के लिए एक । आपकी यह जानकारी १९६२ की है ?

श्री चन्दनमल वैद : यह जानकारी मुझे कल ही प्राप्त हुई है, उसके आधार पर बता रहा हूं ।

श्री मोहनराज : यह गलत है । गलत फिगर्स दिए गए हैं । मुझे मालूम है कि जब उस सम्बन्ध में फालना उद्योग की ओर से प्रश्न आया था और उस वक्त एक लंबी चौड़ी लिस्ट थी, वह पूरी नहीं थी । कम से कम पांच गांव ऐसे थे ।

श्री चंदनमल वैद : इसमें माननीय सदस्य का कहना भी एक तरह से ठीक है । कुछ लोगों ने अपनी इन्टेन्शन जाहिर की है, वे १९६५-६६ में बिजली लेना चाहते हैं लेकिन फ़ॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की, एल-फार्म भर कर नहीं दिया है । जिनकी फर्म इन्टेन्शन आ गई है । ऐसी केवल दो फर्म्स हैं । केवल इन्टेन्शन जाहिर करने से हम मान नहीं लेते । इन दो फर्मों में से एक कैंडिड स्टील कंम्पनी है जो ३०० हार्स पावर चाहता है, हमारे पास उपलब्ध करीब ६० के डव्ल्यू है । हमने इनसे कहा कि रात के वक्त १५० पावर लीजिए, उनको यूज करिए । उसने शुरू कर दिया और दूसरे के लिए हम कोशिश कर रहें हैं । महाराना भूपाल इलेक्ट्रिक सप्लाई से डीज़ल सेट करीब ६८० किलो वाट का खरीद लिया है और फ़ालना में लगाने की तैयारी कर रहे हैं और दूसरा २५० किलो वाट का जनरेटिंग सेट बाहर से खरीद लिया है जो जून में रवाना हो गया है । जो अक्टूबर नवम्बर तक लग जावेगा ।

श्री मोहनराज : मैं कहता हूं कि वहां काश्तकारों को जिनको तत्काल बिजली चाहिए करीब ४०० दरखास्तें पेंडिंग हैं ।

श्री चंदनमल वैद : इसमें भी जरा फर्क है । वे नए गांवों में बिजली ले रहे हैं। प्रश्न यह है कि फालना में हमारी ट्रांस्मिशन लाइन्स हैं उनके पास कितने लोग हैं जो बिजली लेना चाहते हैं । जो छोटे पावर लेना चाहते हैं उनको दे सकते हैं । हमारी कैपसिटी २५० के डव्ल्यू है और फर्म कॅप-सिटी ३४० है तो ६० किलो वाट हमारे पास सरप्लैस है । जो छोटे धंधे वाले हैं

(श्री चंदनमल वैद)

और जो बिजली चाहते हैं, उनको हम बिजली दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती नगेन्द्र बाला।

हायर सेकेन्डरी स्कूल में साइंस सेक्शन की मांग-छबड़ा

२६४. श्रीमती नगेन्द्र बाला (छबड़ा) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि छबड़ा हायर सेकेण्डरी स्कूल पिछले चार-पांच वर्षों से साइंस सेक्शन खुलवाने की मांग कर रहा है ?

(२) यदि हां तो अभी तक इसकी स्वीकृति क्यों नहीं दी गई ?

उप-मंत्री शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां। हाई स्कूल छबड़ा में साइन्स सेक्शन खुलवाने की जनता मांग कर रही थी।

(२) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि जुलाई १९६४ से साइन्स सेक्शन खोल दिया गया है।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : क्या इस व्यवस्था के अनुसार टीचर्स का स्टाफ पूरा है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह अलग प्रश्न है। साइंस सेक्शन खोल दिया गया है, स्टाफ का पता नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीलाल।

सलूम्बर ऋषमदेव के नजदीक पड़ने वाले कस्बों को सड़क से जोड़ने की योजना

२६५. श्री देवीलाल (सराड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर-हिम्मतनगर रेल्वे लाईन का निर्माण किया जा रहा है ?

(२) यदि हां तो इस लाइन से सलूम्बर व ऋषमदेव कस्बे कितने दूर पड़ते हैं ?

(३) क्या सरकार सलूम्बर व ऋषमदेव के नजदीक पड़ने वाले स्टेशनों से इन कस्बों को पक्की सड़क से जोड़ने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानी शंकर नन्दवाना) : (१) जी हां।

(२) प्रश्न नहीं उठता। ऋषमदेव ६ मील दूर है व सलूम्बर १५ मील।

(३) जी नहीं।

श्री देवीलाल : क्या रेलवे स्टेशन कल्याणपुर तक यह सड़क जोड़ी जायगी ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : अभी नहीं जोड़ी जायगी।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभूलाल सेन्टर

Page No. 12

भूमिहीन कृषकों की दरख्वास्तें ग्राम उम्मेदपुरा

२६६. श्री लक्ष्मीचन्द (पीपलदा) (श्री प्रभुलाल सेन्टर) खानपुर की ओर से : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(१) ग्राम उम्मेदपुरा (बीरान) बाघेर ग्राम से पश्चिम में तहसील खानपुर जिला झालावाड़ में कितनी भूमि रेवेन्यू की पड़त है ?

(२) तहसील खानपुर में २८-१२-६२ को कितनी दरख्वास्तें भूमिहीन कृषकों की इस ग्राम उम्मेदपुरा बीरान की पड़त भूमि को काश्त करने के हेतु पड़ी हुई थीं ?

(३) इन भूमिहीन कृषकों को जिन्होंने २८-१२-६२ को उक्त तहसील में दरख्वास्तें पेश कर रखी हैं कब तक यह भूमि मिलने की संभावना है ?

उप-मंत्री राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) (१) रेवेन्यू की कोई भूमि पड़ी हुई नहीं है।

(२) ५५ प्रार्थना पत्र भूमिहीन काश्तकारों के पेन्डिग थे।

(३) चूंकि आराजी जंगलात में है, जंगलात से आराजी माल विभाग में हस्तान्तरित होने के बाद ही इसका आबंटन किया जा सकेगा। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में निर्णय लिया जा चुका है एवं वन विभाग को शीघ्र चार्ज दिये जाने बाबत ताकीद की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरदत्तसिंह

अकाल घोषित करने के आधार-तहसील भादरा

२६७. श्री हरदत्त सिंह (नोहर) क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे--

(१) क्या यह सही है कि तहसील भादरा (जि० गंगानगर) के ग्राम भिरानी सूरतपुरा, अमरपुरा, करनपुरा और सिकरोड़ी रेवेन्यू रिकार्ड और रिपोर्ट रेवेन्यू अफसरान से कहतग्रस्त क्षेत्र घोषित होने की अवस्था में थे ?

(२) अगर हां, तो इन गांवों को अकाल ग्रस्त घोषित न किये जाने का क्या आधार है ?

उप-मंत्री अकाल सहायता : (श्रीमती कमला बेनिवाल) : (१) फसल खरीफ संवत् २०२० नुकसान हो जाने के कारण जिन गांवों को अकालग्रस्त घोषित किया गया उनमें ये पांच गांव नहीं हैं। इन पांच गांवों में से केवल दो गांव भिरानी और सूरतपुरा फसल रबी में अकाल ग्रस्त की स्थिति में थे।

(२) इनकी रिपोर्ट जिलाधीश गंगानगर से राज्य सरकार को जून १९६४ के अंतिम सप्ताह में प्राप्त हुई थी जब वहां वर्षा शुरू हो चुकी थी। अतः इन गांवों को फ़सल रबी के लिए अकालग्रस्त घोषित करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई।

श्री हरदत्त सिंह : जिन गांवों के लिए बताया है कि अकालग्रस्त घोषित होने की स्थिति में थे उनको घोषित क्यों नहीं किया ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं निवेदन कर चुकी हूँ ।

श्री हरदत्तसिंह : मेरी समझ में नहीं आया । क्या फरमाया ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने प्रश्न के भाग दो में स्पष्ट रूप से निवेदन किया है कि जिलाधीश गंगानगर द्वारा इन गांवों की रिपोर्ट जून के आखिरी सप्ताह में भेजी गई जब कि वहां बरसात शुरू हो चुकी थी । इसलिए अकालग्रस्त घोषित करने की स्थिति पैदा नहीं हुई ।

श्री हरदत्तसिंह : क्या यह सही नहीं है कि उन गांवों में कोई बरसात नहीं हुई ? वहां सबसे ज्यादा अकाल था ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : कलेक्टर महोदय की रिपोर्ट हमारे पास आई कि इन गावों में बरसात शुरू हो चुकी है इसलिए उनको अकालग्रस्त घोषित किए जाने की आवश्यकता नहीं है । इसलिए राज्य सरकार ने उनको रोक लिया ।

श्री भीमसेन : (लूणकरणसर) जिलाधीश ने समय पर रिपोर्ट नहीं दी उसके खिलाफ क्या कारवाई की ?

श्रीमती कमला बेनिवाल : रबी फसल की रिपोर्ट बहुत लेट नहीं हुई ।

श्री हरदत्तसिंह : कितनी बारिश हुई ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह तो मेरे पास सूचना नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : बरसात तो इस साल की है । कलेक्टर ने यह रिपोर्ट जून १९६४ में दी कि बरसात शुरू हो चुकी है इसलिए अब अकालग्रस्त घोषित न किया जाय ।

श्री हरदत्तसिंह : अकालग्रस्त घोषित हो जाने से लगान की वसूली माफ़ होती है । इसलिए अकाल से रिलीफ देने के लिए कम से कम लगान वसूली तो माफ़ हो सकती है । कायदे के अनुसार एक तरह की अनियमितता की जा रही है, उन गांवों के साथ । इसलिए मैं सरकार से आश्वासन चाहूँगा कि इन गांवों की जांच कराएं और वास्तव में जहां सेंट परसेंट अकाल है उनसे लगान वसूल न की जाय और कर ली है तो अगले साल उनको मुजरा दी जाय ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, खरीफ में जिन गांवों में नुक्सान हुआ था तो ४७ गांव राज्य सरकार ने अकालग्रस्त घोषित किये । उनका लगान भी माफ़ किया और राज्य सरकार की ओर से जो भी रिलीफ़ दिया जा सकता था वह दिया गया । रबी के लिए कलेक्टर ने ११ गांवों के लिए रिपोर्ट की थी कि अकाल की स्थिति है । रिपोर्ट जब तक आयी तब तक उन गांवों में बारिश हो गई थी इसलिए उसको अकालग्रस्त घोषित नहीं किया गया । अगर माननीय सदस्य का यह कहना हो कि अब तक वहां बारिश न हुई हो और हालत वही हो, वे ये बातें दोहरायें तो मैं जांच कर सकती हूं ।

श्री हरदत्तसिंह : अध्यक्ष महोदय, इन गांवों में अब बारिश हो चुकी है यह तो ठीक है । रबी और खरीफ़ इन गांवों में नहीं हुई थी । फिर भी इन गांवों को टाल

(श्री हरदत्तसिंह)

दिया गया। मैं आपसे इस सम्बन्ध में मिला था तो आपने भी कहा था। कि इन गांवों में कहते है। लेकिन इसके बावजूद भी अकालग्रस्त उनको घोषित नहीं किया गया। कहत के मामले में जो उन गांवों को रिलीफ़ देना चाहिये था, जो लगान वगैरह में उनको छूट दी जानी चाहिये थी उसके लिए भी आप तैयार नहीं हैं। अब बारिश हो जाने से उनके पास लगान थोड़े ही एक दम आ गया है जो वे दे देंगे। मैं आपकी ओर से स्पष्ट घोषणा करवाना चाहता हूं कि अकालग्रस्त क्षेत्रों में जिस प्रकार से लगान माफ हुआ है और रिलीफ़ दिया गया है वैसा ही इन गांवों में माफ़ होना चाहिये। अब बारिश हो जाने से उनके पास एक दम कहीं से पैसा नहीं आ गया है। उनके ऊपर वसूली के लिए सख्ती की जा रही है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, इन गांवों को अकालग्रस्त घोषित नहीं किया गया तो लैंड रेवेन्यू सस्पेन्ड करने का सवाल ही नहीं उठता है। जैसा आपने कहा मैंने तो रबी की फ़सल के लिए बताया। बारिश समय पर आ गयी तो अकालग्रस्त घोषित करने का सवाल नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह : (किशनपोल, जयपुर) रबी की फ़सल के लिए अकाल हो और इस वर्ष वर्षा हो इन दोनों का ताल-मेल कैसे बैठता है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : खरीफ़ के लिए जहां अकालग्रस्त घोषित किया वहां घोषित कर दिया। रबी की जैसी हालत फ़रवरी की बताते हैं जैसा जिला कलेक्टर ने कहा, राज्य सरकार कार्यवाही करती लेकिन समय पर बरसात आ जाने से कार्यवाही नहीं की।

श्री भैरोंसिंह : इस वर्षा का असर उस क्षेत्र पर पड़ा है जिसके कारण उस क्षेत्र को अकालग्रस्त घोषित किया जा सकता था ?

श्री भीमसेन : रबी के लिए अकालग्रस्त घोषित कर दीजिये।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अब घोषित करने का सवाल क्या है ? जून में वर्षा वहां आगयी है।

श्री अध्यक्ष : सरकार के नियम इस तरह के हैं कि वर्षा की बूंद पड़ते ही अकाल के सारे काम बन्द कर दिये जांय लेकिन इस साल इसमें भी रियायत की है कि अगस्त तक काम किये हैं। पुरानी परम्परा है उनको सरकार छोड़ना नहीं चाहती।

श्रीमती कमला बेनी वाल : ऐसा तो नहीं है कि वर्षा की बूंद पड़ते ही काम बन्द कर दें, अभी भी जिन गांवों में स्थिति ठीक नहीं है अकाल के अन्तर्गत काम चालू हैं। जिन गांवों में ऐसा नहीं है, न तो उनको घोषित किया है और न ही बन्द किया है।

श्री अध्यक्ष : सरकार स्वयं स्वीकार करती है। बाकी सब कारण मौजूद हैं। केवल रिपोर्ट यह आई है कि वर्षा हो गई है। सिर्फ इसी कारण से उनको घोषित नहीं कर रहे हैं। माननीय सदस्यों का यह कहना है कि केवल वर्षा आ जाने से ही फ़सल नही बन जाती है। समय पर

Page No. 15

(श्री अध्यक्ष)

यदि सरकार को रिपोर्ट मिल जाती तो उनको राहत तो मिल सकती थी। देर से रिपोर्ट आयी तो जनता उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अब भी सोचें तो रिलीफ मिल सकती है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जिन गांवों को अकालग्रस्त घोषित किया है उनमें किन तारीखों तक लैंड रेवेन्यू की वसूली स्थगित की ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : सितम्बर तक स्टे किया हुआ है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, रवी में अकाल घोषित हो जाय तो उनमें दिसम्बर तक वसूली नहीं की है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : रवी के अन्दर कोई गांव अकालग्रस्त घोषित नहीं किया गया था, खरीफ में किया गया था जिनको सितम्बर तक स्टे किया हुआ है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्लेक्टर की रिपोर्ट इन गांवों के लिए यह है कि रवी में अकाल पड़ा तो दिसम्बर तक सस्पेंड हो सकता है लगान। इन क्षेत्रों को अकालग्रस्त घोषित क्यों नहीं किया और लगान दिसम्बर तक सस्पेन्ड क्यों नहीं किया ?

श्री अध्यक्ष : लेकिन जून में वर्षा हो गई ना।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अब तक राज्य सरकार ने क्या उनसे पूछा कि इतनी देर से रिपोर्ट क्यों पेश की गई है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : रवी के अन्दर जो वारिश हुई। सोंइग हो चुका है। हालत खराब नहीं है इसलिए अकालग्रस्त घोषित करने का सवाल नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्लेक्टर को तुरन्त रूल्स के तहत रिपोर्ट भेजनी चाहिये थी, उसने नहीं भेजी और ब्रीच किया है तो कलेक्टर का सरकार की ओर से कोई एक्सप्लेनेशन पूछा गया था ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अभी नहीं पूछा है ?

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिन जिन स्थानों पर जून में बरसात हो गई है उन क्षेत्रों को अकालग्रस्त घोषित नहीं किया है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मुझे आपका प्रश्न समझ में नहीं आया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिन जिन क्षेत्रों में जून में बरसात हो गई उन क्षेत्रों को अकालग्रस्त घोषित नहीं किया गया ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : सारे राजस्थान का प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह : उसी तहसील का ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : किन किन जगहों से रिपोर्ट आयी और कहां कहां वर्षा हुई मैं अभी नहीं कह सकती।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकारी नियमों के अनुसार जून के महीने में वरसात हो जाय

(श्री भैरोंसिंह)

तो अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं किया जा सकता ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जिन गांवों में बारिश नहीं हुई और बारिश न होने की रिपोर्ट नहीं आयी है तो घोषित कर सकते हैं । बरसात हो गई तो घोषित करने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : रिपोर्ट देर से आयी और क्लेक्टर ने गलती की तो इसका जनता क्यों खामियाजा उठाये ? काश्तकार क्यों खमियाजा उठाये ?

(विराम)

प्रश्न संख्या २९८

श्री अध्यक्ष : श्रीमती गौरी पूनिया ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २९९

श्री चन्द्रसिंह बर्फा

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३००

श्री हरिप्रसाद शर्मा

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३०१

श्री हीराभाई

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार ।

खातेदारी अधिकार तहसील जयपुर

३०२ श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा-महल, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(१) जयपुर तहसील में अजमेर रोड़ पर लबे सड़क ५ से ७ मील तक के भाग में दोनों तरफ जमीन किस किस के खातेदारी में है और क्या ये व्यक्ति वास्तव में कृषक हैं और खुद निजी श्रम से काश्त करते हैं ? प्रत्येक खातेदार के पास कितना कितना रकबा है ? सूची सदन के समक्ष रखें ।

(२) जयपुर तहसील में झालाना फाटक से दुर्गापुरा तक टोंक रोड़ पर सड़क के दोनों तरफ लबे सड़क भूमि किस किस की खातेदारी में कितनी बीघा है ? कृपया सूची सदन के समक्ष प्रस्तुत करें ।

(३) क्या जयपुर तहसील में शहर से १० मील के क्षेत्र में चारों ओर खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं होने का कोई प्रावधान है ? और यदि है तो कब से ? प्रश्न के भाग १ व २ के व्यक्तियों के नाम खातेदारी कब से हुई ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) :

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(३) जी नहीं । सूची सदन की मेज रख दी गई है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

Page No. 17

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह अजमेर रोड पर करीब एक हजार बीघा जमीन खाते दारी में आपने बतायी। इसमें फूड ग्रेन कितनी जमीन में पैदा होता है, आप बता सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री उमरावसिंह ढाबरिया

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : प्रश्न संख्या ३०३।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है बड़ा इम्पोर्टेन्ट है।

श्री अध्यक्ष : आप कहां का प्रश्न कहां पूछने जा रहे हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या दस मील के एरिया के अन्दर किसी को खातेदारी न दी जाय इस प्रकार का सर्कुलर निकला है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया यह लिस्ट भी माननीय सदस्य के सामने पहुंच चुकी है। इसमें या तो खातेदारी बन्दोबस्त से मिली है या खातेदारी किसी खातेदार से जमीन खरीदने पर मिली है इसलिए खातेदारी नहीं लेने देने का उस सर्कुलर का इन केसेज में कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : दस मील के एरिया में खातेदारी के राइट्स प्राप्त करते हैं या नहीं ? मान लीजिये सरकारी जमीन है और अनओक्यूपाइड है उस लैंड की खातेदारी देने के लिए तैयार हैं या नहीं ? इस प्रकार के नियम हैं या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : राजस्थान टिनेन्सी एक्ट आपके सामने है किन को खातेदारी अधिकार किन सूरतों में मिलता है उनके खिलाफ जाने का प्रश्न नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आपने सर्कुलर ऐसा निकाला है कि खातेदारी न दी जाय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसा सर्कुलर नहीं है बल्कि ऐसा सर्कुलर है कि रेगुलेराइजेशन के मामले हैं १६२ के तहत नाजायज कब्जे को जायज करने के लिए हैं। लेकिन हमने यह सर्कुलर निकाला था यह रेगुलेराइजेशन का सर्कुलर था that within a radious of ten miles of the Jaipur city, it will not apply.

इसका मतलब यह है कि नाजायज कब्जा दस मील के रेडियम में खाली जमीन पर करे और १६२ के तहत सर्कुलर से लाभ उठाना चाहे तो उससे वंचित रखा है।

श्री अध्यक्ष : श्री उमरावसिंह ढाबरिया

आर. जे. टी. आर टैक्सी के परमिट-उदयपुर

३०३. श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) उदयपुर में १९६४ में किन किन को आर. जे. टी. आर टैक्सी के परमिट दिये गये और किन आधारों पर ?

(२) आर. जे. टी. आर टैक्सी के लिये कितने व्यक्तियों की मांग थी जिनको परमिट नहीं दिये गये उसके क्या कारण थे ?

Page No. 18

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) उदयपुर में १९६४ में श्री गुलाम अब्बास अजन्ता होटल, उदयपुर को आर. जे. टी. आर ६४ का परमिट दिया गया क्योंकि आर. जे. टी. आर नम्बर अलॉट करने की सब शर्तों की पूर्ति की गई थी।

(२) निम्नलिखित व्यक्तियों को परमिट नहीं दिये गये क्योंकि उन्होंने आवश्यक शर्तों की पूर्ति नहीं की :

१. श्री बसन्त कुमार, उदयपुर।

२. ,, दीन बन्धु, उदयपुर।

३. ,, मुखी गोर्वधन दास।

४. ,, रमेश कुमार पारीक।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : क्या यह सही है कि जिनके नाम आपने पढ़े हैं उनको परमिट नहीं दिया गया है ?

श्री भीमसिंह : यही मैंने निवेदन किया है ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जैसा उप-मंत्री महोदय ने फरमाया है जो दीनबन्धु, बसन्तकुमार हैं उनको परमिट नहीं दिया गया। मैं आपकी जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि उनकी फीएट गाड़ियां चल रही हैं, लाइसेन्स दिया गया है, टैक्सी ड्राई-वर हैं ये तीनों और गुलाम अब्बास को किस आधार पर दिया गया ?

श्री भीमसिंह : मैंने निवेदन किया इन तीन व्यक्तियों को परमिट नहीं दिया गया।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : तो इनके पास फीएट गाड़ियां कहां से आयीं ? वे टैक्सी कैसे चला रहे हैं ? क्या बिना परमिट दिये हुए टैक्सी चला सकते हैं ?

श्री भीमसिंह : इनको गाड़ियां अलॉट हुई हैं, इन्होंने परमिट के लिये दरख्वास्त दी होगी जो पूरी खाना पूर्ति नहीं थी, उसमें जो शर्तें थीं वह पूरी नहीं की होंगी। जब शर्तें पूरी होगीं परमिट मिल जायगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इन तीनों महाशयों की एप्लीकेशन्स हैं, इनको गाड़ियां अलोटेड हैं लेकिन परमिट नहीं दिया गया गुलाम अब्बास को किस आधार पर परमिट दिया गया ?

श्री भीमसिंह : परमिट के लिये गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिये। मेकेनिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट चाहिये। मेकेनिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट नहीं होता है तो अलॉट नहीं करते। गुलाम अब्बास ने ये सब शर्तें पूरी कर दी होंगीं, सब कागजात पूरे कर दिये होंगे। श्री रमेशकुमार ने ये सारी चीजें कम्पलीट कर दी हैं और वह सर्कुलेशन में है परमिट देने के लिये।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : सबसे जरूरी बात यह है कि किसी को गाड़ी अलॉट कर देते हैं आर० टी० ओ० से नम्बर मिल रहा है। छः महीने हो गये गाड़ियां चल रही हैं। ये तीनो व्यक्ति जिनका आपने जिक्र किया है ये किसी बहुत बड़े आदमी के रिश्तेदार हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर आप तथ्यों पर आइये।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इन्होंने दीनबन्धु, बसन्तकुमार आदि का नाम लिया है उन्हीं के लिये पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप नियमों के विपरीत मत जाइये, आप नियमों के बारे में, स्थिति के बारे में जानकारी करना चाहते हैं तो करिये।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि जिन लोगों को गाड़ियां मिली हैं वे गाड़ियां टैक्सी कोटे से दी गई हैं ?

श्री भीमसिंह : टूरिस्ट कोटे से दी गई हैं।

श्री भैरोंसिंह : टूरिस्ट कोटे के कुछ नियम बने हुए हैं उन नियमों के अनुसार मेडिकल सर्टिफिकेट, गाड़ी चलाने का सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेन्स आदि सहूलियतें विशेषतया चाहिये। इनके पास जब ये सर्टिफिकेट नहीं थे तो टूरिस्ट कोटे से इनको गाड़ियां कैसे दी गई ?

श्री भीमसिंह : ऐसा है कि आम तौर पर जो आदमी टूरिस्ट का काम करते हैं गाड़ी लेकर के टूरिस्ट का बिजीनेस करते हैं या होटल रन करते हैं इस बिना पर क्लेक्टर रिकमन्ड करता है गाड़ी देने के लिये तो उनको गाड़ी अलॉट कर दी जाती है। इन्हीं आधारों पर इनको गाड़ी अलॉट हुई है, मेकेनिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आदि खाना पूर्ति नहीं होगी इसलिये परमिट नहीं दिया होगा।

श्री भैरोंसिंह : आप अपने मुंह से कर रहे हैं ये कन्डीशन्स फुलफिल नहीं करते होंगे तो किस आधार पर दी गई ?

श्री भीमसिंह : क्योंकि ये पुराने केसेज हैं इनके लिये, मैं समझता हूं, ये कन्डीशन्स सब फुलफिल करते होंगे इसलिये दी गई होगी।

श्री भैरोंसिंह : आप तो यह कह दीजिये कन्डीशन्स फुलफिल करते हैं तभी गाड़ियां मिली हैं ?

श्री भीमसिंह : ये कन्डीशन्स पिछले साल से लागू की गई हैं वे पुराने केसेज़ हैं पहले शायद ये कन्डीशन्स नहीं होंगी।

श्री भैरोंसिंह : जिन केसेज के अन्दर गाड़ियां कवर होती हैं इस प्रकार के कोई रूल्स नहीं थे ?

श्री भीमसिंह : अध्यक्ष महोदय, उस वक्त यह देखा जाता था कि यह टूरिस्ट का बिजीनेस करना चाहते हैं उस आदमी के बारे में जानकारी मिलने पर उसको दे दी जाती थी।

श्री भैरोंसिंह : उप-मन्त्री महोदय की जानकारी के लिये कहना चाहता हूं उस समय भी ये ही रूल्स थे। जिन लोगों ने कन्डीशन्स फुलफिल नहीं की उनको रिजेक्ट किया गया है। जिन लोगों को आपने गड़ियां दी हैं उन्होंने रूल्स का कतई पालन नहीं किया है। न वे होटल रन करते हैं न उनके पास ड्राइविंग लाइसेन्स। है न टूरिस्ट बिजीनेस करने का हौसला है। एक भी कारण नहीं जिससे इनको गाड़िया दी जा सकती थीं। चूंकि बड़े आदमियों के रिश्तेदार है इसलिये गाड़ी का परमिट दे दिया गया।

Page No. 20

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक): क्या आप इस बात की भी जांच करेंगे कि बहुत सी ऐसी गाड़ियों के परमिट दिये गये जो टूरिज्म के काम नहीं जाती हैं । मैं आप की जानकारी के लिये आर० जे० टी० आर० ७५ की गाड़ीयां रखना चाहता हूँ जो भूतपूर्व मंत्री के इस्तेमाल में आती है और एक सरपंच को टूरिस्ट कोटे के अन्तर्गत अलॉट की गई है, आप जांच करिये ।

श्री भीमसिंह : यह प्रश्न अलग से है । आप इसको सवाल के रूप में अलग से पूछिये मैं जानकारी करके बता दूंगा ।

श्री भैरोंसिंह : आप रिलेवेन्ट क्वेश्चन का तो जवाब दीजिये ।

श्री भीमसिंह : उसके लिये आपने जानकरी दी है मैं देखूंगा ।

श्री भैरोंसिंह : मैंने जानगारी दी नहीं है ली है । टूरिस्ट कोटा के संबंध में रूल्स बने हुए हैं । कन्ट्रोलर ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंन्ट ऑफ इन्डिया द्वारा रूल्स बने हुए हैं । क्या जब से राजस्थान में कार कन्ट्रोल ऑर्डर लागू हुआ है, क्या उसी के मातहत रूल्स बने हुए हैं या यहां की गाड़ियां पर वे रूल्स लागू नहीं होते जो गाड़ियां टूरिस्ट के लिये अलॉट की जाती हैं ?

श्री भीमसिंह : जहां तक मै समझता हूं उसी से कवर होते होंगे फिर भी आपने जानकारी दी है उससे मालूम करा लूंगा ।

श्री भैरोंसिंह : क्या आप डेफिनेटली नहीं कह सकते कि कवर होते हैं । रूल्स पहले थे या नहीं ? आप कहते हैं कवर होते होंगे, आप को डेफीनेट होकर आना चाहिये उन रूल्स से कवर होते हैं या नहीं ?

श्री भीमसिंह : पहले रूल्स क्या थे उनकी जानकारी कर के ही निवेदन कर सकता हूं ।

श्री भैरोंसिंह : माननीय मंत्री महोदय को जानकारी नहीं है कि गाड़ियों का अलॉटमेंट किस प्रकार से होता है और हुआ है ? माननीय मंत्री को यह भी पता नहीं कि पहले क्या रूल्स थे टूरिस्ट के लिये किस प्रकार गाड़ियां अलॉट की जाती हैं आदि ऐसी बातें हैं जिनकी जानकारी मंत्री महोदय की होनी चाहिये अतः मेरा, अध्यक्ष महोदय, आप से निवेदन है कि इन सब बातों की जानकारी मंत्री महोदय करके आवें तब तक के लिये इस सवाल को पोस्टपोन किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : इस सवाल को अगले सप्ताह के लिये पोस्टपोन किया जाता है ।

श्री विजयसिंह झाला ।

मोटर दुर्घटनाओं से मृत्यु—जिला उदयपुर

३०४. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) उदयपुर डिवीजन में सन् ६३ के प्रारम्भ से लेकर जुलाई १९६४ तक कितनी मोटर दुर्घटनायें हुई और उनमें कितने व्यक्तियों को क्षति पहुँची तथा कितने मरे ? ये दुर्घटनायें कहां कहां हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(श्री विजयसिंह झाला)

(२) क्या यह सही है कि इन दुर्घटनाओं की संख्या गत सालों से बढ़ती जा रही हैं ?

(३) क्या इन दुर्घटनाओं के कारणों में से एक कारण यह भी रहा है कि मोटरों की कन्डीशन अच्छी नहीं थी ? यदि हां तो ऐसी दुर्घटनायें कितनी हुईं ?

(४) इन दुर्घटनाओं के मुख्य मुख्य कारण क्या हैं तथा सरकार उन्हें दूर करने के लिये क्या कदम उठाने जा रही है ?

उप-मंत्री गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) (१) सन् १९६३ जनवरी से जुलाई १९६४ तक २३७ मोटर दुर्घटनायें हुईं, जिनमें ६४ व्यक्ति मारे गये एवं ३९५ व्यक्ति आहत हुए। ये दुर्घटनायें जिन स्थानों पर हुईं उनकी सूची संलग्न है।

(२) सन् १९६२ की तुलना में १९६३ में दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है किन्तु इस वर्ष दुर्घटनाओं की संख्या औसत सन् १९६२ एवं ६३ दोनों वर्षों की तुलना में कम है ।

(३) जी नहीं।

(४) मोटर चालकों की मोटर चलाने में असावधानी ही इन दुर्घटनाओं का मुख्य कारण था। इसके निवारणार्थ विशेष रूप से ट्रैफिक चैकिंग सप्ताह बार बार मनाये जाते हैं और लाइसेन्स देते समय भी पूर्ण सावधानी बरती जाती है। मोटर व्हीकल्स एक्ट व नियमों के प्रावधानों का पूरी तौर से पालन कराया जाता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।

श्री विजयसिंह झाला : केवल एक डिवीजन में २३७ दुर्घटनायें हुईं। सन् ६३ से लेकर जुलाई ६४ तक ७४ व्यक्ति मारे गये और ९६ आहत हुए। जो स्टेप आपने उठा रखा है दुर्घटनाओं को रोकने के लिये केवल ट्रैफिक सप्ताह मनाकर उसमें आप असफल हुए हैं क्या यह बात सही है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, १९६४ की जुलाई तक औसतन एक्सीडेन्ट्स देखने से स्पष्ट है कि जो कदम उठाया गया है उसमें सफलता मिल रही है।

श्री विजयसिंह झाला : १९६४ का तो अभी बहुत समय बाकी है। ६३ ६४ में दुर्घटायें काफी हुई हैं और ट्रैफिक सप्ताह आप ६२ के पहले से मना रहे हैं, ऐसी स्थिति में आज तक ऐसा अनुभव रहा है इससे फायदा कुछ नहीं भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनायें न हों इसलिए क्या कदम उठा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री नत्थी सिंह।

गिरदावरी

३०६. श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) क्या यह सही है कि इस वर्ष गिरदावरी में काश्तकार का नाम दर्ज नहीं किया गया, सिर्फ जिन्स ही दर्ज की गई है ? अगर हां तो क्यों ?

उप-मन्त्री राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : राज्य सरकार को काफी शिका-

(उप-मन्त्री राजस्व)

यतें प्राप्त हुई हैं कि पटवारी अपनी इच्छानुसार खसरा गिरदावरी में काश्तकारों का नाम गलत दर्ज कर देते हैं जिससे बहुत काफी तादाद में इन्द्राज दुरुस्ती के मुकदमें दायर हुए और काश्तकारों को काफी कठिनाई व परेशानी हुई। काश्तकारों के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने आज्ञा प्रसारित की कि खसरे में उस काश्तकारो का ही नाम दर्ज किया जावे जो पिछली बार सालाना जमा बन्दी में दर्ज था और नाम का परिवर्तन सिर्फ नामान्तरकरण के आधार पर किया जावे।

श्री नत्थी सिंह : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि जो खातेदार हैं, उनकी जमीन काश्तकार बोते हैं, अगर मान लीजिये उनकी गिरदावरी चेन्ज नहीं होती है तो उसका जमीन पर का अधिकार मारा जाता है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि इस तरह से उस काश्तकार के अधिकार कैसे सुरक्षित रह सकते हैं जब कि उसका नाम पटवारी गिरदावरी में दर्ज नहीं करते।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह प्रश्न, अध्यक्ष महोदय, कई बार पहले भी आया है और काफी विस्तार से उस पर यहां चर्चा हुई है इसलिये मैं इस समय ज्यादा नही कहना चाहता। पर काश्तकार की कैपेसिटी खातेदार के अलावा और कोई हो सकती है तो सब-टिनेन्ट की हो सकती है और इस हैसियत से अगर आपका मतलब है तो उसकी रोक नहीं की है। इसके लिये खाना नम्बर ६ है। अगर इसके साथ कोई महसूस करता है कि वह सब-टीनेन्ट है और इन्दराज इसका नहीं हुआ है तो यह व्यवस्था की है कि किसी भी खाने में पटवारी सुओ मोटो अपना इन्दराज अपनी मरजी के माफिक नहीं कर सकता पर कम्पीटेन्ट आँथोरिटी का डिक्लेरेशन हो तो इन्दराज हो सकता है। तो इस प्रकार की सारी व्यवस्था विद्यमान है जिसके आधार पर काश्तकार को नुक्सान नहीं होना चाहिये। फिर भी जैसा निवेदन किया इसकी प्रतिक्रिया का हम अध्ययन कर रहे हैं कि इससे किस प्रकार का लाभ या हानि होती है तो इसके समाधान में कतई तौर पर बाद में निर्णय लिया जावेगा।

प्रश्न संख्या ३०६

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुल जब्बार।
(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३०७

श्री हनुमानसिंह चौधरी।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री भानुप्रसाद कराड़िया :

आबादी भूमि की मांग-ग्राम खातीपुरा

३०८. श्री भानुप्रसाद कराड़िया (चौमूं) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि ग्राम खातीपुरा तहसील जयपुर के अनुसूचित जाति के लोग खातेदारी की भूमि में रहते हैं? यदि हां, तो क्या उन्होंने आबादी की भूमि चाही है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आज तक क्या कार्यवाही की गई है?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : यह सही नहीं है। इनका कोई प्रार्थना-पत्र आबादी में भूमि चाहने हेतु तहसील जयपुर में प्राप्त नहीं हुआ है अतः कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री भानुप्रसाद कराड़िया : यह बिल्कुल सही है कि प्रार्थना पत्र दिया है और बीस गुना या तीस गुना जो चाहिये वह भी देने को तैयार हैं। इस जमीन का लगान भी जब से वह जन्मा है तब से दे रहा है। यह पहले भी प्रश्न आया है। तो उनकी आबादी का प्रबन्ध नहीं किया गया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरी समझ में आपकी बात आई नहीं (धीरे बोलने के कारण) पर यदि सही समझ सका हूँ तो जो अनुसूचित जाति के लोग इस समय रह रहे हैं उन्होंने मकान बना लिये हैं, सेटलमेन्ट के रिकार्ड के आधार पर आबादी के क्षेत्र में। इसलिये जहां रह रहे हैं वहां से हटाने का और एग्रीकल्चर लैंड में, खातेदारी लैंड में मकान बनाने का प्रश्न भी नहीं है। इसलिये आपने जो प्रश्न उठाया वह उठता नहीं। आबादी में और विस्तार की आवश्यता हो तो इसके लिये प्रोसीजर है उसके अनुसार कार्यवाही करने पर उचित व्यवस्था की जावेगी।

श्री भानुप्रसाद कराड़िया : खातेदारी की जमीन में रहते हैं उसका भी लगान देना पड़ता है। तीस चालीस आदमी हैं। उनको फिर मिलिटरी वाले भी तंग करते हैं कि मकान हटाये जावें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो जमीन खातेदारी की है और उसमें अगर कोई इम्प्रूवमेन्ट करता है जो हमारे टीनेन्सी एक्ट के तहत परमिसिबल है तो वह इम्प्रूवमेन्ट की तारीफ में आता है। तो मकान भी पार्ट ऑफ इम्प्रूवमेन्ट अथवा होल्डिंग होता है इसलिये हो सकता है कि लैंड रेवेन्यू लग गया हो।

अब आबादी वाला प्रश्न उठाया तो जो मेरी सूचना है उसके अनुसार जो लोग जिस जगह मकान बनाकर रह रहे हैं वह आबादी में दर्ज है सेटलमेन्ट में। कुछ ऐसे हो सकते है जो खेतों पर बने हों और इम्प्रूवमेन्ट की तारीफ में आने से लगान देना पड़ता हो।

श्री भानुप्रसाद कराड़िया : आबादी के लिये प्रार्थनापत्र दिये हैं कि आबादी के लिये जमीन दी जावे या कनवर्ट आबादी में किया जावे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आबादी में परिवर्तित किये जाने के लिये प्रार्थनापत्र व्यक्तिशः तो चलेंगे नहीं क्योंकि सरकार की नीति रेजीडेन्शिय परपजल के लिये व्यक्तिशः नहीं, बल्कि म्यूनिसिपल बॉडो, पंचायत समिति, पंचायत या अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के हक में ही परिवर्तित करने की है। इसलिये व्यक्तिशः दरख्वास्तों पर आदेश नहीं हो सकते। पंचायतों या म्यूनिसिपल एरिया में जिसमें रहते हैं उनके जरिये कार्यवाही करानी होगी।

श्री भानुप्रसाद कराड़िया : इस प्रकार व्यक्तिशः भी दरख्वास्तें दी गई हैं और उनको मन्जूर भी किया है जैसे झोटवाड़ा

(श्री भानुप्रसाद कराड़िया)

में है। खातेदारी लैंड को आबादी में उनकी दरख्वास्त पर कनवर्ट किया गया है तो जब यहां किया जा सकता है, तो वहां क्यों नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस नीति को प्रतिपादित किये लगभग एक साल हुआ है। इस अर्से में व्यक्ति विशेष को रेजीडेन्शियल जमीन में कनवर्ट नहीं किया, न दी।

श्री भानुप्रसाद कराड़िया : अगर पंचायत का प्रस्ताव आ जावे तो जरूर ध्यान देंगे और आबादी में कनवर्ट करने की आज्ञा देंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : प्रस्ताव आने पर नियमानुसार विचार किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न। नम्बर ८ पी।

स्थगित प्रश्न

कानवास-धूलेट-खानपुर सड़क

८. श्री जुझारसिंह (चेचट) : Will the P. W. D. Minister please reply :-

1. When was the Kanwas-Dhulet-Khanpur Road proposed to be completed ?

2. How much amount was sanctioned towards this road in the 1st and 2nd Five Year Plans and how has this amount been used and utilised ?

3. Is it a fact that all the amount proposed for the construction of Bridges unauthorised by the department and that no maintenance has been done on these bridges since they have been constructed with the result that many of them have got damaged ?

4. How many new bridges have been constructed on this road from the fund sanctioned for the road and how many of them require repair at this stage ?

5. Will the Govt. provide funds for the maintenance of such bridges and culverts in the future ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण : (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) (१) चतुर्थ योजना तक।

(२ १,५०,०००) की रकम कॉजवे तथा पुलियों के काम में ली गई है।

(३) यह कार्य कानवास से खानपुर रोड पर ही किये गये हैं। मरम्मत, सालाना मरम्मत की स्वीकृत धनराशि से की जाती रही है। क्षति पहुंचने का प्रश्न नहीं उठता।

(४) कॉज वेज व पुलिया १६ बनाये गये हैं। हालत साधारण है।

(५) प्रश्न नहीं उठता।

श्री जुझारसिंह : आपको रकम सेंक्शन की थी सड़क के लिये और इसके बजाय पुलियां बना दीं और जब से ये बनी हैं तब

Page No. 25

(श्री जुझारसिंह)

से मेन्टीनेन्स नहीं हुआ। बहुत सी गिर गई हैं। ऐसे गलत काम हो जाते हैं एक के बदले दूसरे काम हो जाते हैं तो मरम्मत का भी प्रोविजन आप उसके लिए रखते हैं या नहीं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मेन्टीनेन्स का प्रोविजन तो रहता ही है।

श्री जुझारसिंह : पर इसकी मरम्मत नहीं हो पाई है। अगर सड़क बनी होती तो मेन्टीनेन्स का प्रोविजन होता। पुलियाओं का अलग प्रविजन नहीं है मेन्टीनेन्स का जैसा कि आपके इन्जीनियर कहते हैं।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : हमारी सूचना के अनुसार तो हालत साधारण है, पर अगर खराब कहीं हो गई है तो मरम्मत के फण्ड से ठीक करा दी जावेंगीं। करवाते भी रहते हैं ठीक ।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, पुलियाओं के लिये मेन्टीनेन्स फण्ड नहीं है। रोड के लिये तो है। इसीलिये इनकी मरम्मत नहीं हुई है और इस वक्त काफी टूट फूट गई हैं।

श्री हरिश्चन्द्र (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : जनरल फण्ड से ही हम इन पुलियाओं की भी मरम्मत कराते हैं।

श्री दलपतसिंह (आबू) : क्या आपने इनका निरीक्षण किया है कि कितनी जगह से टूट गई हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : मेरी सूचना तो ऐसी नहीं है। आपके पास सूचना हो तो मुझे बताइये, इसकी मरम्मत हो जावेगी टूट गई है तो।

श्री जुझारसिंह : जब से ये बनी हैं तब से मरम्मत नहीं हुई। रेगुलर रोड बनी नहीं है, रोड बन जावे तब तो रोड़ के साथ इन पुलियाओं की भी मरम्मत हो जावे, पर रोड़ बनी नहीं इसलिये इनकी मरम्मत नहीं हो रही है।

श्री हरिश्चन्द्र : The Hon. Member is miking up tow things. आपके कोटा डिविजन में रियासत के समय में कई कच्ची सड़कों पर पुलियाएं बनी थीं। वह एक प्रश्न है और जो सड़कें पी० डब्लू० डी० की लिस्ट पर हैं वे रिपेयर होती हैं और रिपेयर में अगर ऐसी बात नोटिस में आई है तो मुझे कह दीजिये इनकी रिपेयर हो जावेगी।

पर आपका प्रश्न दूसरा है। जो पुरानी स्टेट टाइम में कुछ कच्ची सड़कों पर पुलियाएं बनी हुई हैं उनकी मरम्मत का प्रश्न विचाराधीन है। If I will get some money, I will get those bridges repaired.

श्री जुझारसिंह : मेरा तो प्रश्न पर्टिकूलर रोड की पुलियाओं से है। इनकी मरम्मत होती है या नहीं या हो सकेगी या नहीं ?

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (इकलेरा सु०) : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात मन्त्री महोदय की जानकारी में है या नहीं कि मुख्य मन्त्री इस रोड पर होकर गुजरे थे हाई स्कूल खानपुर का

Page No. 26

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

उद्घाटन करने के लिये जब वहां आये थे तब और तब इसकी यह हालत देखकर उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि यह बीस मील का टुकड़ा जल्दी ही पक्का कर दिया जावेगा ? पर यह रोड आज दिन तक नहीं बनी। क्या मुख्यमन्त्री ने इस जनता को दिये आश्वासन के बारे में मन्त्री महोदय से कहा है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मेरी यह जानकारी में जरूर है कि मुख्य मंत्री जी के साथ आप भी पधारे थे लेकिन उन्होंने क्या आश्वासन दिया इसका मुझे पता नहीं है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : आप भी तो साथ ही थे। उन्होंने कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि जो यह २० मील का टुकड़ा बाकी बचा है उसको भी पक्का करा दें।

श्री अध्यक्ष : श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

स्थगित प्रश्न

१०-८-६४

भीलवाड़ा जिले को स्कूलों का रिजल्ट

१३०. श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) भीलवाड़ा जिले की हाई स्कूलों, जूनियर हायर सेकेण्ड्री स्कूलों व हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में १९६३-६४ में गत वर्ष की तुलना में कितने कितने लड़के पढ़े व कितने पास हुए ? स्कूलोंवार सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(२) क्या यह सही है कि किसी भी स्कूल का रिजल्ट ४० प्रतिशत भी नहीं रहा ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(२) जी नहीं। कुल २३ स्कूलों में से १२ स्कूलों के रिजल्ट ४० प्रतिशत से कम रहे व ११ स्कूलों का ४० प्रतिशत से अधिक रहा है। प्रतिशत कम होने के कारण सूची में दर्ज हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो सूची दी गई है इसमें २० स्कूलों के नाम हैं और कुल १२६२ लड़के इम्तिहान में बैठे हैं जिनमें से ५०२ लड़के पास हुए हैं। फिर यह कहना कि ४० परसेन्ट से भी ज्यादा रिजल्ट रहा है यह कहां तक ठीक है ? मैंने सारे जिलों के रिजल्ट के बारे में पूछा है वह २३ परसेन्ट से ज्यादा नहीं है और आपने जो कारण दिये हैं वह हैं कि इंगलिश साइन्स और मेथेमेटिक्स में लड़के ज्यादा फेल हुए हैं और मेरा चार्ज यह है कि क्योंकि वहां पर ६-६ महीने तक न तो साइन्स के मास्टर हाईस्कूल और हायर सेकेन्ड्री स्कूल्स में गये हैं, न मेथेमेटिक्स के मास्टर गये हैं और जो इंगलिश पढ़ाने वाले हैं वे भी ग्रेजुएट नहीं हैं बल्कि इन्टरमीडियेट पास हैं और वह मेट्रिक और हायर सेकेन्ड्री स्कूल

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

को साइन्स पढ़ाते हैं और यही कारण है कि इतने लड़के फेल हुए हैं और जैसा कि इस लिस्ट में बताया गया है आप बता दें कि जो प्राईवेट स्कूल हैं उनका ८० परसेन्ट रिजल्ट रहा और गवर्नमेंट स्कूल का २० परसेन्ट ही क्यों है ? जब कि आज कल इतनी मंहगाई है और एजूकेशन में लोगों को इतनी तकलीफें होती हैं और इतने पैसे खर्च होते हैं। अगर २० परसेन्ट रिजल्ट रहा तो जो लड़कों का स्टेन्डर्ड है वह कैसे ठीक होगा ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, धूलिया में ७४ परसेन्ट और गवर्नमेन्ट इन्सटीट्यूशन शाहपुरा में ५६ परसेन्ट, गंगापुर में ४८ परसेन्ट और बिजोलिया में ४५ परसेन्ट, भीलवाड़ा में ५० परसेन्ट और ७२ परसेन्ट पूलिया में, ७६ परसेन्ट एच० एस० गुलाबपुरा में रहा और ४० परसेंट से अधिक भी रिजल्ट रहा है और नीचे भी रहा है। यह परसेन्टेज के प्रश्न पर माननीय सदस्य सच पूछें तो सप्लीमेन्टरी में कई लड़के आये हैं उनका रिजल्ट इसमें नहीं जोड़ा है। अगर वह जोड़ दिया जाये तो परसेन्टेज भी ज्यादा बढ़ जाता है। यह बात ठीक है कि साइन्स, मेथेमेटिक्स और इंग्लिश के टीचर्स बहुत कम मिलते हैं, यह भी दिक्कत है। तो हर हालत में सबजेक्ट्स में कमजोरी रहना वह टीचर्स की वजह से भी हो सकती है और स्टूडेन्ट्स की वजह से भी हो सकती है। लेकिन परसेन्टेज के प्रश्न पर मैंने निवेदन किया कि ४० से अबोव भी है और नीचे भी है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने कहा है कि मास्टरों की कमी की वजह से परसेन्टेज कम रहा। तो मैं इसी लिस्ट के आधार पर बता रहा हूं कि १९६२–६३ में जो इन स्कूलों का रिजल्ट था वह परसेन्टेज १९६३–६४ में कम कैसे रह गया ? उसका यही कारण है कि आपने मास्टर प्रोवाइड नहीं किये और जो प्रोवाइड भी किये वह उस स्टेन्डर्ड के नहीं हैं जो कि हाई स्कूल और हायर सेकेन्डरी स्कूलों को पढाने के काबिल हों। आप एक भी उदाहरण बता दें जिसमें आपने डिमान्ड रखी हो कि हमें इन इन टीचर्स की आवश्यकता है और उनकी एप्लीकेशन्स नहीं आई हैं। टीचर्स जो कि अवेलेबल हैं और उनकी एप्लीकेशन्स होते हुए भी आपने उनको लिया नहीं पहली बात तो यह है। जो पंचायत समिति के ग्रेजुएट टीचर्स हैं हमने बहुत दफा भीलवाड़ा जिला परिषद में कहा है कि इन टीचर्स को ले लिया जाये लेकिन वहां के इन्सपेक्टर कहते हैं कि हम अपने डिपार्टमेन्ट के लोगों को ही लेंगे। ९–१० महीने तक स्कूलों में मास्टर नहीं पहुंचते हैं और यही कारण है कि लड़के फेल होते हैं। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा बहुत नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मंहगाई के अन्दर जहां हजारों रुपये एक एक लड़के के पीछे उनके मां बाप खर्च करते हैं उनकी जिन्दगी इस तरह से खराब नहीं की जानी चाहिए अगर आपके पास मास्टर नहीं हैं तो कोई जरूरत नहीं है कि आप ३–३ मील के रेडियस में एक स्कूल खोलें।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : अध्यक्ष महोदय, जिन-जिन स्कूलों का ४० परसेन्ट से भी कम रिजल्ट रहा है वहां के प्राध्यापकों और जिन विषयों में लड़के फेल हुए हैं उनके अध्यापकों के खिलाफ सरकार

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

क्या कदम उठायेगी ? जैसा कि पंजाब की सरकार ने और दूसरी सरकारों ने उठाया है। और जिनका रिज़ल्ट खराब रहा है उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है तो सरकार यह आश्वासन देगी कि जिन लोगों ने शिक्षण व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं की है उनके खिलाफ एक्शन लिया जायेगा ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, जिनके रिज़ल्ट्स खराब रहे हैं उन स्कूलों के हैड मास्टर्स के संबंध में सरकार ने नीति बना रखी है। जिन स्कूलों का रिज़ल्ट खराब रहे उन स्कूलों के हैड मास्टर अथवा जिस सब्जेक्ट का रिज़ल्ट खराब रहा है उन टीचर्स के संबंध में कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है और हम कर रहे हैं। यह गत वर्ष से सिलसिला बराबर आरम्भ है। जिन टीचर्स का रिज़ल्ट अच्छा रहा है उनको एप्रीसियेशन देने का भी प्रावधान है।

दूसरा प्रश्न अभी कहा गया कि जिला परिषद के प्राथमिक शालाओं के जो टीचर्स हैं उनको नहीं लिया जा रहा है। उस सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि अंग्रेजी, मेथेमेटिक्स और साइन्स इन विषयों की अत्यन्त आवश्यकता है। शिक्षा विभाग के स्कूलों में जहां कहीं भी मेथेमेटिक्स और साइन्स के टीचर्स मिलते हैं उनको पहले प्रिफरेन्स राजकीय माध्यमिक शालाओं में लेने का दिया है और वह कार्यवाही आरम्भ है। दूसरा यह है कि ऐसे टीचर्स कई हैं जिनको हम ले नहीं रहे हैं, यह ठीक नहीं है। जहाँ तक इन ३ विषयों का प्रश्न है अंग्रेजी, मेथेमेटिक्स और साइन्स इनके बारे में हम पूरी कोशिश में हैं कि हमें कहीं टीचर्स मिलें तो हम उनको लें और लेने जा रहे हैं और ऐसे शिक्षकों की बड़ी आवश्यकता है और यही कर रहे हैं कि कई स्कूलों में साइन्स टीचर्स नहीं भेजे जा सके हैं वहां की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विद्यालयों को जोर दे रहे हैं और हम शिक्षकों को भी लेने में सजग हैं। जो परसेन्टेज निकला है उसमें सरकार सजग है और जिनका रिज़ल्ट खराब रहा है उसके संबंध में भी हम कदम उठा रहे हैं और हमारा रिज़ल्ट उत्तरोत्तर बढ़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोटड़ा का रिजल्ट १२ परसेन्ट, आसींद का १६ परसेन्ट है, करेरा का १६ परसेन्ट है, फिर २० परसेन्ट है। इस तरह के जो रिजल्ट रहे हैं आपके सामने मैं यह शिक्षा मन्त्री महोदय से अर्ज करना चाहता हूं कि क्या इनका यह भी कारण हो सकता है कि इन स्कूलों के अन्दर बैठने के लिए कमरे नहीं हैं और लड़कों को पढ़ाया नहीं जाता है जैसा कि हुरड़ा की स्कूल में है। जहां आठ कमरे होने चाहिए वहां केवल २ ही कमरे हैं। तो क्या आप कहते हैं कि इस सारे रिजल्ट को देखने के बाद संतोष है कि आप जो कार्यवाही कर रहे हैं ठीक है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : संतोष तो जब तक सेन्ट परसेन्ट नहीं हो तब तक नहीं रहेगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जब तक आप रहेंगे तब तक नहीं रह सकता।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं हूं या नहीं लेकिन आप नहीं हैं।

Page No. 29

श्री उमरावसिंह ढावरिया : यही कारण है कि ६२-६३ का रिजल्ट अच्छा रहा और आपके आते ही ६३-६४ में २० परसेन्ट हो गया। यह आपकी काबलियत का नमूना है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

पुष्कर-डेगाना टार-रोड

२६८. श्रीमती गौरी पूनिया (डेगाना): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या पुष्कर से डेगाना टार-रोड बनाने की योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(२) क्या सरकार की जानकारी में है कि इस सड़क पर भारी यातायात की बहुतायत रहती है और इस सड़क की मरम्मत भी पूर्णरूप से वर्षो नहीं होती है ?

उत्तर—

(१) जी नहीं। अर्थाभाव के कारण।

(२) सड़क की हालत साधारण है। आवश्यकतानुसार मरम्मत की जा रही है।

जोधपुर-भोपालगढ़ सड़क को डामर रोड बनाने का विचार

२६६. श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सरकार जोधपुर से भोपालगढ़ आने वाली सड़क को डामर रोड बनाने का विचार रखती है ?

(२) क्या इसी योजना के अन्तर्गत खेतराबा से दइ कोट वाया भिनियाना (जिला जोधपुर व जैसलमेर) तक की अधूरी सड़क पूर्ण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) पोपारसिटी से भोपालगढ़ तक का डामर कार्य योजना में स्वीकृत है।

(२) जी नहीं। योजनानुसार यह कार्य चतुर्थ योजना तक पूर्ण होने को है।

एसोसियेटेड स्टोन इन्डस्ट्रीज, कोटा के श्रमिक

३००. श्री हरिप्रसाद शर्मा, (पाटन): क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(१) क्या यह सही है कि रामगंजमंडी में एसोसियेटेड स्टोन इन्डस्ट्रीज नाम की कम्पनी है ?

(२) यदि हां, तो इस उद्योग में कितने श्रमिक काम करते हैं ?

(३) क्या यह सही है कि खदानें बरसात में पानी से भर जाती हैं जिससे काम बन्द हो जाता है ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त उद्योग में मजदूरों से ८ माह तक काम लिया जाता है और ४ माह बरसात में उन्हें बैठा दिया जाता है ?

Page No. 30

उत्तर

(१) जी हां।

(२) भिन्न भिन्न माह में श्रमिकों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है। औसतन संख्या २५०० मासिक रहती है।

(३) जी हां। बरसात में खदान कार्य कम हो जाता है किन्तु खानों के पास से मलवा हटाने का कार्य और शुरु कर दिया जाता है।

(४) बरसात में खदान कार्य कम हो जाता है और यद्यपि मलवा हटाने का कार्य और प्रारम्भ कर दिया जाता है तो भी बरसात के दिनों में मजदूरों की संख्या और महिनों की अपेक्षा कम हो जाती है।

पुलिस विभाग के मोटर ड्राइवरों के ग्रेड

२०१ श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान रोडवेज तथा यातायात विभाग के मोटर ड्राइवरों के वेतन के मुकाबले में पुलिस डिपार्टमेंट के मोटर ड्राइवरों का वेतन कम है ? यदि हां, तो अन्तर कितना और क्यों है ?

(२) क्या यह सही है कि सरकारी निर्णय के अनुसार राज्य के सरकारी मोटर ड्राइवरों की तनख्वांह कम से कम (१२५) रु० निर्धारित है ? यदि हां, तो कब से ?

(३) पुलिस विभाग के ड्राइवरों की वेतन शृंखला क्या है ?

उत्तर

(१) पुलिस विभाग में मोटर चालकों के लिए कोई पृथक् वेतन शृंखला नहीं है। मोटर चलाना जानने वाले कान्स्टेबिल हैड कान्स्टेबिल तथा थानेदारों में से ही मोटर चलाने का कार्य लिया जाता है और उन्हें क्रमशः १५-२०-२५ रु० ड्राइविंग भत्ता दिया जाता है। अतः रोडवेज तथा यातायात विभाग के मोटर चालक तथा पुलिस विभाग के मोटर चालकों की वेतन शृंखला की तुलना करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(२) इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं हुआ है।

(३) मोटर चालकों की कोई पृथक् शृंखला नहीं है। यह कार्य सिपाही, हैड कान्स्टेबिल या थानेदार करते हैं।

शिकारवाड़ी-तहसील भदेसर

३०६. श्री अब्दुल जब्बार खां, (निम्बाहेड़ा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ में शिकारवाड़ी नाम की जगह पर किसका कब्जा है और उस पर कितने लाख रुपये के कीमती दरख्त खड़े हुए हैं ?

(२) क्या यह सही है कि इस जमीन को गुप्त रूप से किसी को अलॉट किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों और उस पर खड़े लाखों रुपये के पेडों की कीमत कौन जमा करायेगा ?

उत्तर

(१) शिकारवाड़ी राज्य सरकार के आधीन है। अनुमानित १०००) या १५००) रु० के पेड़ हैं।

(२) जी नहीं।

नगरपालिका कुचामन को अनुदान के रूप में दी गई रकम की वसूली

३०७. श्री हनुमानसिंह चौधरी, (नावां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) क्या यह सही है कि सन् ६१-६२ में नगरपालिका कुचामन को सड़क व नाली नर्माण के लिये ७,५००) रु० राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिये गये थे ?

(२) क्या यह सही है कि नगरपालिका कुचामन द्वारा इस रकम का दुरुपयोग करने की सूरत में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इस रकम को नगरपालिका कुचामन से वापिस वसूल करने के आदेश जारी किये थे ?

(३) यदि हां, तो यह रकम आज तक नगरपालिका कुचामन से क्यों कर वसूल नहीं की गई ? सरकार शीघ्र वसूली के लिये क्या कदम उठाने जा रही है ?

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजनैतिक पीड़ितों के प्रार्थना-पत्र जिला चूरू

६५. श्री रावतराम, (सादुलपुर)-क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में राजनैतिक पीड़ितों को सहायता देने तथा उनसे सम्बन्धित मामलों पर विचार करने हेतु सरकार ने जो समिति गठित की है, उस समिति के सदस्य कौन २ हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) चूरू जिले से कितने राजनैतिक पीड़ितों के प्रार्थना-पत्र सरकार के सम्मुख आये हैं ? उनके नाम तहसीलदार तथा उनमें जिन लोगों को सहायता मिल चुकी है उनके नाम तथा निवास एवं उन्हें कितनी सहायता मिली है, यह दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) राजनैतिक पीड़ितों के मामले सरकार कब तक निपटा देगी ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) सरकार इन मामलों को यथाशीघ्र निपटाने में प्रयत्नशील है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

डिस्प्लेस्ड पटवारियों के पेंशन केसेज—जिला अजमेर

६६. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) वेस्ट पाकिस्तान के कितने डिस्प्लेस्ड पटवारी अजमेर जिले में किस किस वर्ष में पटवारी के पद पर नियुक्त किये गये ?

(२) अब तक ऐसे कितने पटवारियों को कब कब कन्फर्म किया गया तथा कितने कब कब से अभी अन्कन्फर्म्ड हैं और क्यों ?

(श्री जोधसिंह चौहान)

(३) इन पटवारियों में से अब तक कितने कन्फर्म्ड और अनकन्फर्म्ड रिटायर हो चुके हैं ? अनकन्फर्म्ड पटवारियों के रिटायरमेन्ट पर उनको पेन्शन मिलने की क्या कोई व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) इन पटवारियों को किस किस ग्रेड में अपाइन्ट किया गया है ? राजस्थान के पटवारियों की पे-स्केलस क्या क्या है ?

उत्तर

कुल १५ नियुक्त किये गये हैं :—

१९४८	६
१९४९	२
१९५०	१
१९५२	१
१९५३	१
१९५४	१

१३ पटवारियों को कन्फर्म कर दिया गया है । केवल २ अभी अनकनफर्म्ड हैं :

१९५१	८
१९५२	२
१९५३	२
१९५४	१

१ पटवारी १९-७-५४ और १ पटवारी २६-१०-५२ से जगह मुस्तकिल न होने के कारण अनकन्फर्म्ड रहे ।

६ कन्फर्म्ड पटवारी रिटायर हुए हैं— केवल १ अन् कन्फर्म्ड पटवारी रिटायर हुआ है जिसके कागजात पेन्शन महा लेखापाल को भेज दिये गये हैं ।

इन पटवारियों की अजमेर राजस्थान में विलय होने के पूर्व ३५-१-५० की ग्रेड थी । राजस्थान के पटवारियों की पे स्केल यह है जिसके साथ अजमेर स्केल की डीयरनेस पे नहीं मिलती है ।

४०-१-५०	१-४-५०
४०-१-५०-ई०बी०२-६०	१-३-५६
६५-१-७०-२-९०	१-६-६१

इन पटवारियों को यह अधिकार था कि वे अपनी पुरानी स्केल रक्खें या राजस्थान की स्केल लें । किन्तु उन्हें अपनी पुरानी स्केल रखने में लाभ था क्योंकि उसके रखने में अधिक पैसा मिलता था ।

चोरी के मामले—थाना दूदू

६७. श्री अमरसिंह सावरदा (दूदू) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) ता० १-१-६३ से ३१-१२-६३ तक कुल कितने चोरी के केसेज थाना दूदू में दर्ज हुये ?

(२) इनमें से कितने मामलों में चोरी बरामद हुई ?

उत्तर

(१) कुल ४२ मुकदमें दर्ज हुए ।

(२) १८ मुकदमों में माल बरामद हुआ ।

गुरूकुल बकानी, जिला झालावाड़ द्वारा सहायता के लिये आवेदन-पत्र

६८. श्री जुझारसिंह (चेचट)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) गैर सरकारी शिक्षा संस्थाओं को किस आधार पर कितनी २ सहायता दिये जाने का नियम है ?

(२) इन संस्थाओं द्वारा बनाये गये स्कूल भवन, बोर्डिंग हाउसेज व दूसरे प्रकार के मकानों पर किस अनुपात में सहायता दी जाती है ?

(३) क्या गुरुकुल बकानी, जिला झालावाड़ द्वारा सरकार से सहायता के लिये आवेदन-पत्र दिये गये हैं ? यदि हां, तो शिक्षा विभाग द्वारा इसे कितनी सहायता दी जाती है और किस अनुपात में ?

(४) गुरुकुल बकानी द्वारा अब तक स्वयं के खर्चे से बनाये गये मकानों का खर्चा कितना आंका गया है और इस खर्चे के अनुपात में सरकार द्वारा अब तक सहायता नहीं दिये जाने के क्या कारण है ?

(५)क्या सरकार इस संस्था द्वारा किये जाने वाले प्रशंसनीय कार्य को देखते हुए भविष्य में मकानों व चालू खर्च के लिये अधिक सहायता देने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(१)गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को राजस्थान सरकार उनके कुछ वार्षिक व्यय धनराशी पर ५० प्रतिशत से लेकर ६० प्रतिशत तक सहायता देती है ।

(२) इन संस्थाओं द्वारा बनाये जाने वाले स्कूल भवन तथा बोर्डिंग हाऊस के भवन पर इन नियमों के आधार पर ५० प्रतिशत मान्य व्यय पर अनावर्तक सहायता दी जा सकती है । दूसरे प्रकार के मकानों पर सहायता देने का कोई नियम नहीं है।

(३) जी हां । संस्थाओं को आवर्तक सहायता कुल मान्य व्यय पर दी जाती है नकि कुल व्यय पर । इसी आधार पर इस संस्था के कुल मान्य व्यय पर ५० प्रतिशत के हिसाब से ३०७८-०० आवर्तक सहायता दी गई । इस संस्था का मान्य व्यय ६१५६-०० रुपया था ।

(४) गुरूकुल बकानी द्वारा अब तक स्वयं के खर्चे से बनाये गये मकानों का व्यय पी० डब्लू० डी० झालावाड़ द्वारा ६५,४४१)रु० आंका गया है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक २४-४-६१ को ५०,०००) रु० की धनराशि एप्रूवल दी गई यदि यह संस्था ५०,०००) रू० की धनराशि से भवन निर्माण करे तो सरकार उसमें से २५,०००)रु० की धनराशि दे सकती है परन्तु अभी तक संस्था द्वारा चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा खर्चे का हिसाब नहीं भेजा है इसलिये सरकार द्वारा धनराशि नहीं दी गई । संस्था ने भवन निर्माण हेतु अग्रिम धनराशि की प्रार्थना की परन्तु नियमों के अन्तर्गत न होने से स्वीकृति नहीं दी जा सकी ।

(५) यह प्रश्न संस्था द्वारा ऐसी सहायता के लिये प्रार्थना पत्र विभाग को प्रस्तुत करने के बाद विचार किया जाने योग्य है ।

बसों के परमिट और बसों का समय-
मनोहरथाना से सालपुरा

६६. श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) मनोहरथाना से सालपुरा कितनी बसों को परमिट दिया हुआ है तथा उनका मनोहरथाना से सालपुरा व सालपुरा से मनोहरथाना रवाना होने व पहुंचने का क्या समय निर्धारित किया गया है ?

(२) उपरोक्त मार्ग पर इस समय कितनी बसें चल रही हैं और कितनी नहीं ?

(३) जिनकी बसें नहीं चल रही हैं उन बस मालिकों के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(४) क्या सरकार ऐसी बसों का परमिट समाप्त कर दूसरी बसें चलाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) मनोहरथाना से सालपुरा के लिए ३ तरफ से परमिट हैं।

(१) मनोहरथाना—सालपुरा वाया हरनावदा बनजारी। इस पर तीन परमिट हैं।

(२) मनोहरथाना से सालपुरा वाया हरनावदा—इकलेरा। इस पर कुल चार परमिट हैं।

(३) मनोहरथाना से सालपुरा वाया ल्हास—इकलेरा। इस पर दो परमिट हैं।

निर्धारित समय:-

मनोहरथाना सालपुरा वाया बनजारी

रवाना मनोहरथाना		पहुंच सालपुरा
(१)	०६.००	१०.००
(२)	१२.००	१६.००

रवानगी सालपुरा		पहुंच मनोहरथाना
(१)	१२.००	१६.००
(२)	२०.००	२४.००

मनोहरथाना सालपुरा वाया
हरनावदा--इकलेरा

रवानगी मनोहरथाना		पहुंच सालपुरा
(१)	०५.००	०६.००
(२)	०७.००	११.००
(३)	१०.३०	१४.३०

रवानगी सालपुरा		पहुंच मनोहरथाना
(१)	०६.००	१३ ००
(२)	१२.००	१७.००
(३)	२०.००	२४.००

मनोहरथाना-सालपुरा वाया
ल्हास—इकलेरा

रवानगी मनोहरथाना		पहुंच सालपुरा
(१)	०६.००	१२.००
(२)	१५.००	१८.००

(श्री यातायात मन्त्री)

रवानगी सातपुरा	पहुँच मनोहरथाना
(१) १२.३०	१७.००
(२) ०८.३०	११.३०

(२) इस समय उपरोक्त नं० १ व नं० २ मार्ग कच्चे होने के कारण बन्द हैं अतः बसें भी बन्द हैं। केवल मार्ग नं० ३ पर २ बसें चलती हैं।

(३) इस समय बरसात के कारण मार्ग कच्चे होने से बसें नहीं चल रही हैं इनके केसेज आर० टी० ए० में उचित कार्यवाही हेतु प्रस्तुत कर दिये गये हैं।

(४) उपरोक्त हालात में नियमानुसार उचित कार्यवाही की जावेगी।

ऋण की वसूली

७०. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) देवस्थान विभाग उदयपुर द्वारा जिन जिन को ऋण दिये गये हैं उनमें से वसूल करने योग्य कितनी राशि किस किस में बाकी है ?

(२) वसूल करने योग्य राशि को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

(३) वसूल नहीं करने योग्य ऋण कितना है तथा किस २ में ? सूची देवें।

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) वसूली के लिये तीन प्रकार की कार्यवाही जारी है:—

(१) जागीरदारों को दिये गये ऋण की वसूली उनको मिलने वाले मुआवजे से करने हेतु नियमानुसार फार्म नं० १० जागीर कार्यालय में भेजे जा चुके हैं और जैसे जैसे क्लेम तय होते जाते हैं रकम वसूल होकर रकम प्राप्त होती रहती है इस प्रकार ९ (नौ) जागीरदारों में ६८३२८ रु०) बकाया निकल रहे हैं।

(२) पी० डी० आर० के तहत १० कर्जदारों से कर्जा वसूली करने के लिये सम्बन्धित सब डिविजनल कार्यालयों में वसूली की कार्यवाही पेन्डिंग है, जिनकी राशि २६७३६२) रु० की है।

(३) कुछ कर्जदारों से कर्ज की वसूली विभागीय तौर पर चल रही है तथा अदालत द्वारा भी की जा रही है।

कोई भी ऋण की रकम ऐसी नहीं है जो वसूल करने योग्य न हो। प्रश्न नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विद्युतीकरण हेतु गांवों का चयन

७१. श्री उम्मेदसिंह (बाडमेर)—
Will the Minister for Power please state :—

(1) The criterion for selecting villages for electrification ?

(श्री उम्मेदसिंह)

(2) The names of the villages in Rajasthan which have been selected for electrification during the Third Five Year Plan?.

(3) The time by which the work of electrification in those villages is scheduled to be completed ?

उत्तर

(1) The Criteria in the past had been :—

(a) If they were remunerative as per Board's criteria i. e. Gross Revenue should be able to cover 12% on capital invested plus units charges @ 5 n.p. per unit.

(b) Population of locality should be 5000 or above.

(c) Localities were within 2 miles of sub—Transmission lines on either side provided there was sufficient load potential.

(d) Localities falling enroute to the Sub—transmission lines (11 kv).

(2) The target for the electrification of the localities for the Third Five Year Plan was 303. There is no list prepared for the villages which are selected for electrification.

(3) 305 villages have already been electrified upto the end of March 1964.

गृह निर्माण सहकारी समितियों को ऋण एवं अनुदान

७२. श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौडगढ़) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या चित्तौडगढ़ जिले में कोई गृह-निर्माण सहकारी समितियां हैं ? अगर हां, तो कितनी और कहां २ पर ?

(२) अब तक किन २ समितियों को कितना २ अनुदान या ऋण मिला और उन्होंने निर्माण कार्यों में कितनी २ प्रगति की ? कितने मकान अब तक बन चुके हैं और कहां कहां पर ?

(३) क्या कोई ऐसी भी समिति या सदस्य हैं जो ऋण एवं अनुदान प्राप्त करने पर भी गृह निर्माण नहीं करा सके और ऋण भी बाकी है ? अगर हां, तो उसके लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(१) चित्तोड़गढ़ जिले में एक गृह निर्माण सहकारी समिति है जो चित्तोड़गढ़ नगर क्षेत्र में है।

(२) इस समिति को सिर्फ १,५८,०००) रु० का ऋण मिला है। समिति द्वारा ३८ मकानों का निर्माण किया जा चुका है जो कि मीरां नगर (चितोड़गढ़) में है। समस्त निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

ऐसा कोई सदस्य नहीं है जिसको ऋण देने पर निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ और ऋण बाकी हो अतः कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता है ?

Page No. 37

निर्माण कार्य और ठेका श्रमिक सहकारी समितियां

७३. श्री हरीप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में कुल कितनी ठेका श्रमिक सहकारी समितियों का निर्माण अब तक किया जा सका है ? भिन्न भिन्न जिले में कुल कितनी ठेका श्रमिक सहकारी समितियां हैं जो राजस्थान सरकार का कार्य ठेके पर करती हैं ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) अब तक ठेका श्रमिक सहकारी समितियों को राज्य सरकार ने निर्माण कार्यों के ठेके कहां कहां पर दिये हैं ?

(३) क्या राज्य सरकार ऐसी समितियों के कार्य सचालन के लिये कर्ज के रूप में रुपये उधार देती है ?

(४) यदि हां, तो अब तक ठेके सम्बन्धी सहकारी समितियों को कितना कर्जा सरकार के द्वारा दिया गया है ? अलग अलग जिले की तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) माह मई १९६४ तक राजस्थान में कुल ५९० श्रमिक ठेका सहकारी समितियों का निर्माण किया जा चुका है राजस्थान के १२ जिलों में राज्य सरकार का कार्य ठेके पर करने वाली समितियों की सूची परिशिष्ट (क) संलग्न है। बाकी जिलों से सूचना प्राप्त की जा रही हैं। उपलब्ध होते ही प्रस्तुत करदी जावेगी।

(२) संलग्न सूचि (परिशिष्ट क) के कालम नं० ४ में अंकित है।

(३) जी नहीं। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

(म० पू० ९.१० बजे)

संयुक्त समाजवादी दल का गठन

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि राजस्थान विधान सभा में संयुक्त समाजवाद दल को विरोधी दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इस दल की संख्या १८ हो गई है। दल के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं :—

श्री मुरलीधर व्यास	(वि.सं. ११९)	नेता
श्री मानिकचंद सुराणा	(वि.सं. १०४)	चीफ ह्विप
श्री मुकटबिहारीलाल	(वि.सं. ११७)	ह्विप
श्री उमरावसिंह ढाबरिया	(वि.सं. १७१)	मंत्री
श्री केदारनाथ शर्मा	(वि.सं. ८७)	सदस्य
श्री हरदत्तसिंह	(वि.सं. ५८)	,,
श्री मोहनलाल सारस्वत	(वि.सं. १२२)	,,
श्री मांगीलाल	(वि.सं. १०३)	,,
श्री चन्द्रसिंह बर्फा	(वि.सं. २४)	,,

Page No. 38

(श्री अध्यक्ष)

श्री हीराभाई	(वि.सं ७१)	सदस्य
श्री विट्ठल	(वि.सं. १७५)	,,
श्री सतीशकुमार	(वि.सं १५६)	,,
श्री जावन्द सिंह	(वि.सं. ७८)	,,
श्री रामकिशन	(वि.सं, १४४)	,,
श्री नत्थीसिंह	(वि.सं. १२५)	,,
श्री हरिशंकर	(वि.सं. ६६)	,,
श्री प्रभुदयाल सेन्टर	(वि.सं १३५)	,,
श्री बालूराम चौधरी	(वि.सं. १०)	,,

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : एक क्लेरिफिकेशन यह कर दिया जाय कि ये सभी पार्टी के मेम्बर हैं या एसोसिएट मेम्बर्स हैं ?

श्री अध्यक्ष : सदस्य।

श्री भैरोंसिंह : सदस्य किस तरह से ?

श्री अध्यक्ष : पार्टी के सदस्य।

श्री भैरोंसिंह : संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बनी है उसके सदस्य हैं या एसेम्बली पार्टी के एसोसियेट सदस्य हैं ?

श्री अध्यक्ष : संयुक्त समाजवादी एसेम्बली पार्टी बनाई है उसके सदस्य हैं। हमें सूचना दी है कि निम्नलिखित माननीय सदस्य संयुक्त समाजवादी दल जो अपनी विधान सभा में है उसके सदस्य हैं।

श्री भैरोंसिंह : इसमें दो फर्क हैं। एक तो उक्त पार्टी के मेम्बर हैं और दूसरे एसेम्बली के लिये एसोसियेट मेम्बर्स हैं दोनों में काफी फर्क है। या तो संयुक्त समाजवादी पार्टी के मेम्बर हैं या एसेम्बली में काम करने के लिए एसोशियेट मेम्बर हैं इसका थोड़ा स्पष्टीकरण हो जाय ताकि आयन्दा गाइडेन्स मिल सके कि एसेम्बली में एसोसियेट मेम्बर्स को साथ लेने से भी रिकोग्नीशन मिल सकता है या नहीं या पार्टी की मेम्बरशिप होनी चाहिये तभी रिकोग्नीशन मिल सकता है ?

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास स्पष्टीकरण करेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने फरमाया, इसी प्रकार हमारे दल के पहले से जो विधान सभा के सदस्य हैं उन्होंने और इन्डीपेन्डेन्ट्स हैं उन्होंने संयुक्त समाजवादी दल की रीति नीति और कार्यप्रणाली के अनुसार कार्य करना निश्चित किया। इस आधार पर दल के सदस्य बनते हैं तो हमारे यहां जो भी विधान सभा में विधायक हैं और जो उसको रीति नीति और कार्य प्रणाली में विश्वास करते हैं उन्होंने आपके सामने हस्ताक्षर किये हैं और आपसे प्रार्थना की है कि विधान सभा में विधायक दल की हैसियत से उनको रिकोग्नीशन मिलना चाहिये। आपने स्पष्ट कहा है और मैं भी स्पष्ट कहता हूं कि यह दल राजस्थान विधान सभा के अन्दर जो विधायक इस दल की रीति नीति और कार्यक्रम में विश्वास करते हैं उसके आधार पर निर्माण किया है और उसी आधार पर मान्यता देने के लिये आपको प्रार्थना पत्र दिया था और उसी आधार पर आपने मान्यता प्रदान की है।

श्री भैरोंसिंह : फिर तो इस क्लेरिफिकेशन की विशेष आवश्यकता हो गई कि पार्टी के फुलफ्लेज्ड मेम्बर कितने हैं और एसोशियेट मेम्बर कितने है यह स्पष्टीकरण आना चाहिये।

श्री हरिराम चौहान : इसकी जरूरत नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी सारे हिन्दुस्तान में नये रूप से बन रही है और उसका विधान भी अभी तक निर्माण की स्टेज पर है और पोलिसीज भी निर्माण को स्टेज में है और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के एसेम्बली ग्रुप का विधान जब अखिल भारतीय स्तर पर पार्टी के द्वारा निर्धारित किया जायगा उसी को हम राजस्थान एसेम्बली में एडोप्ट करेंगे। क्योंकि ये सारे निर्माण की फोर्मल स्टेज पर चल रहे है, फाइनली क्या तय होगा यह अभी नहीं कहा जा सकता। फिलहाल संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के जो उद्देश्य हैं उनके आधार पर यह १८ आदमियों का ग्रुप कार्य करेगा। क्योंकि उनमें से कुछ यहा उपस्थित है कुछ अनुपस्थित हो सकते हैं लेकिन सबने अपने हस्ताक्षर करके अध्यक्ष महोदय को प्रार्थना पत्र दिया है उसी के आधार पर अध्यक्ष महोदय ने रिकोग्नीशन दिया है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा पोइन्ट तो अब भी क्लीयर नहीं हुआ। मैं पूछना चाहूंगा कि कोई ग्रुप एसोशियेट मेम्बर्स को साथ लेकर एसेम्बली में पार्टी के रूप में रिकोग्नीशन प्राप्त कर सकता है क्या?

श्री अध्यक्ष : जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया उनकी स्वयं की पार्टी का नया विधान अभी निश्चित नहीं हुआ है इसलिए उनके कहने का मतलब यह मानना चाहिये कि जिन १८ व्यक्तियों के नाम लिये गये वे सारे के सारे औपचारिक रूप से सदस्य नहीं हैं। उनको सदस्य बनाने के लिये जब पार्टी का विधान निश्चित कर दिया जायगा तब निश्चित रूप से वे उसके सदस्य बन जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न तो बाकी है। पार्टी में एसोशियेट मेम्बर को शामिल करके यहां दल बनाया जाता है जब कि विधान सभा के बाहर वे उस पार्टी में शामिल नहीं हैं बल्कि सिर्फ एसम्बली में वर्किंग के लिये एसोशिएट करते हैं उनको मिलाकर क्या उस पार्टी या दल को रिकोग्नीशन मिलना चाहिये?

श्री अध्यक्ष : विधान सभा में किसी दल को मान्यता देने के बारे में माननीय सदस्य का कहना है कि केवल उन सदस्यों की पार्टी को मान्यता दी जानी चाहिये जो सदन के अन्दर पार्टी के साथ काम करते हैं और सदन के बाहर भी उसी पार्टी के सदस्य के नाते कार्य करते हैं सामान्यतः माननीय सदस्य ने कहा वह उचित हैं केवल उन्हीं को मान्यता मिलनी चाहिये जो विधान सभा के अन्दर उस पार्टी के सदस्य हैं और साथ ही साथ बाहर भी उसी पार्टी के सदस्य हैं, उसमें सक्रिय कार्य करते हों और पार्टी के नियमों का पालन करते हों लेकिन जैसा कि माननीय श्री सुराणा ने बताया, अभी तक पार्टी का निश्चित स्वरूप तय नहीं हुआ है, इसको

(श्री अध्यक्ष)

अगर देखा जाय तो कोई भी सदस्य उस पार्टी के सदस्य नहीं हैं...

श्री भैरोंसिंह : ७ हैं।

श्री अध्यक्ष : यह सारा इतना अनिश्चित है कि उनको भी माना जाय या नहीं।

श्री भैरोंसिंह : फिर रिकोग्नीशन देने से क्या मतलब है ?

श्री अध्यक्ष : रिकोग्नीशन इस दृष्टि से दिया है कि उनको प्रोत्साहन दिया जाय। जो उनका कार्यक्रम और रीति नीति है उसके अनुसार कार्य करें और जब उनका संविधान पारित हो जायगा तब निश्चित रूप से मानकर चलना चाहिये कि वे उसके सदस्य बन जायेंगे और वे यदि उस समय सदस्य नहीं बनते हैं तो दूसरी स्थिति होगी।

श्री भैरोंसिंह : यदि उस समय दूसरी स्थिति हुई तो पार्टी को नुकसान होगा। रिकोग्नीशन मिल जाय और फिर पार्टी के मेम्बर नहीं बनते हैं तो रिकोग्नीशन विथड्रा करने की स्थिति पैदा होगी जो ठीक नहीं होगी। ऐसी स्थिति में आप निर्णय दे दें कि एसोशियेट मेम्बर्स को शामिल करके भी जो पार्टी के मेम्बर एसेम्बली के बाहर नहीं हैं, एसेम्बली में हैं तो उनको रिकोग्नीशन मिल सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था है तो रिकोग्नीशन मिल सकता है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं निवेदन करूं कि आज से पहले विधान सभा में १७ सदस्य संयुक्त समाजवादी पार्टी में थे और क्योंकि १८ नहीं थे, इसलिए मान्यता प्रदान नहीं की लेकिन वे पार्टी के सदस्य थे और उसकी रीति नीति और कार्यक्रम के अनुसार काम करने का आश्वासन दिया था इसलिए प्रार्थनापत्र दिया था और विधान सभा में आपने घोषित भी किया था कि संयुक्त समाजवादी दल के १७ सदस्य हैं। उसके बाद क्योंकि मान्यता मिलनी चाहिये थी उसके आधार पर एक और माननीय सदस्य शरीक हुए और उनके हस्ताक्षर सहित प्रार्थनापत्र दिया कि १८ सदस्य बन गये हैं इसलिए मान्यता प्रदान की जाय इस आधार पर आपने मान्यता प्रदान की है। १७ सदस्य तो अब तक थे ही।

श्री भैरोंसिंह : मुझे इस पर ऐतराज नहीं है बल्कि खुशी है कि आपको रिकोग्नीशन मिला, आप लीडर बने और मेम्बर्स बढ़े उस पर ऐतराज नहीं हैं लेकिन ये टिके रहें इसकी चिन्ता है। इसी हाउस के अन्दर, मुझे याद है, एक बार लास्ट टाइम इस प्रकार का प्रयास किया गया था, जब राम राज्य और जनसंघ के लोगों ने मिलकर एक दल बनाया था, तब माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी और बताया था कि विधान सभा के बाहर एक पार्टी के लोग नहीं हैं इसलिए रिकगनाइज्ड अपोजीशन पार्टी के रूप में रिकगनीशन नहीं दे सकते। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या उस परम्परा में कुछ हेर फेर किया गया है या कोई नई व्यवस्था दी गई है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो संयुक्त दल बना है, उसमें सोशियलिस्ट और पी. एस. पी. के सदस्य मिले है, उसमें इंडिपेंडेंट सदस्य नहीं मिले हैं। जिन लोगों ने इलेक्शन के टाइम पर एक प्लेट फार्म, एक लेवल और एक मैनीफेस्टो पर इलेक्शन कन्टेस्ट नहीं किया है,

(श्री भैरोंसिंह)

उनको उत्तर प्रदेश में रिकगनीशन नहीं दिया गया है। लेकिन यहां पर संयुक्त दल में इंडिपेंडेंट सदस्य मिल रहे हैं, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं हैं, लेकिन इस सदन में यह एक कन्वेशन एस्टेब्लिश करना है कि किस आधार पर अपोजीशन पार्टीज को रिकगनाइज किया जा सकता है। अगर यह आधार रहता है तो कल दूसरी पार्टी का प्रश्न भी इस प्रकार सामने आ सकता है, वे भी इंडिपेंडेंट सदस्य को पार्टी में ले सकते हैं और कह सकते हैं कि पार्टी को टिकग्नीशन देना चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि किस प्रकार आप उन लोगों की पार्टी को रिकगनीशन देना चाहते हैं, जिन्होंने एक प्लेट फार्म से एक लेवल पर इलेक्शन कन्टेस्ट नहीं किया, जिनका एक मेनीफेस्टो नहीं है? मुझे इसमें आपत्ति नहीं कि इनको रिकगनीशन मिल रहा है। इनको रिकगनीशन मिले और आप लीडर बनें–मैं इसके लिए बधाई देता हूँ–मुझे इसमें आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो बात कही, वह सामान्य तौर से निश्चित है, सामान्य तौर पर उन्हीं पार्टीज को रिकगनीशन मिलना चाहिए जो सदन में एक पार्टी के रूप में, एक पार्टी के तौर पर काम करती हैं और सदन के बाहर एक पार्टी की तरह काम करती हैं। दो पार्टी सदन में एक होना चाहें और सदन के बाहर वे विभिन्न पार्टी हों तो उसमें आपत्ति उठ सकती है क्योंकि शायद बाहर उनमें विरोधाभाव पैदा हो जाय तो यहां के कार्यक्रम को चलाने में उनका सहयोग नहीं मिल सके। अभी जो स्थिति है, जो माननीय सदस्य एस. एस. पी. के विधान सभा के दल के सदस्य बने हैं वे निश्चित पार्टी के सदस्य नहीं हैं और यह सम्भावना है कि जब उनका कार्यक्रम निश्चित हो जायगा, विधान निश्चित हो जायगा तो वे उसके साथ सम्बद्ध हो जायेंगे औपचारिक रूप से। इसलिए माननीय सदस्य ने जो स्थिति बताई है, उससे यह भिन्न है। आज स्थिति यह है कि सदन के बाहर निश्चित रूप से दल का स्वरूप नहीं है ताकि औपचारिक रूप से विधान सभाई दल के सदस्य बन सकें लेकिन अगर वे सदन में काम करना चाहें निश्चित आधारों के अन्दर और संगठित रूप से काम करना चाहें तो इससे सदन का कार्यक्रम भी सुविधादायक सिद्ध हो सकता है। इसलिए जो माननीय सदस्य इस दल में सम्मिलित हो रहे हैं, वे सदन में–कम से कम दल का कार्यक्रम हो विधान सभाई दल का, उसके अनुसार काम करेंगे ऐसी आशा है। जब स्थिति ऐसी पैदा होती है कि सदन के बाहर संगठन बने, विधान बन जाय तब आशा यह की जाती है कि वे उसके सदस्य बनेंगे। अगर नहीं बनते हैं तो जैसा मैंने पहले कहा, इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। क्योंकि बाहर निश्चित पार्टी हों और जो कुछ कार्यक्रम चलता हो वह पार्टियों का भिन्न हो और सदन में कहें कि एक दल सदन के लिए बना सकते हैं–उनकी स्थिति भिन्न है और जो इंडिपेंडेंट सदस्य हैं वे किसी दल में शामिल हों तो उससे स्थिति भिन्न हो जाती है। इसलिए मैं समझता हूं कि जो मान्यता प्रदान की गई है वह इस बात को ध्यान में रख कर की गई है कि जो माननीय सदस्य इस दल के सदस्य बने हैं वे एक दल के रूप मे काम करेंगे, दल के अनुशासन के अनुसार

(श्री अध्यक्ष)

काम करेंगे और जो संयुक्त नीति है उसके अनुसार काम करेंगे और बाहर संगठन निश्चित रूप धारण करेगा और उस प्रकार काम करेगा।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की विधान सभा जब दूसरी जगह कोट की जायगी तो अच्छी परम्परा निर्माण नहीं होगी क्योंकि इस सदन में दो कन्वेन्शन पहले एस्टेब्लिश कर दिये हैं-पहली बार एक हुआ, फिर स्पीकर कान्फ्रेन्स हुई तब दूसरा हुआ और अब तीसरा किया जा रहा है। राजस्थान के अलावा बाकी की असेम्बली में जब यह कोट करेंगे तो मेरी मान्यता है कि उसका अच्छा असर नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : मैंने माननीय सदस्य को बताने की कोशिश की, इंडिपेंडेंट मेम्बर चाहे एस. एस. पी. के मेम्बर बनते हैं, या किसी अन्य पार्टी के मेम्बर बनते हैं या स्वयं मिल कर कोई पार्टी बनाते हैं तो मेरी निश्चित रूप से राय है कि उनको ऐसी करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जुदा जुदा माननीय सदस्य काम करें, इससे सदन की कार्यवाही करने में बाधा उत्पन्न होती है। जब तक पार्टीज का स्वरूप ठीक तरह का नहीं बनता है तब तक संसदीय प्रणाली ठीक तरह नहीं चलती है। इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई नई परम्परा प्रतिपादित की गई है। इंडिपेंडेंट मेम्बर किसी पार्टी में मिल कर या स्वयं मिल कर पार्टी बना कर काम करना चाहें, तो मैं समझता हूं उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए और उसी बात को ध्यान में रखकर रिकगनीशन किया गया है। इसके विपरीत स्थिति बनती है तो समय समय पर विचार किया जायगा।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, सदन यह विश्वास करके चले कि इस दल में जो अठारह सदस्य हैं उनमें कोई ऐसे सदस्य नहीं हैं जो किसी अन्य राजनैतिक दल के सदस्य हों। अगर किसी दल के सदस्य नहीं हैं तो यह औचित्य है कि वे सब एस, एस. पी. के सदस्यों के रूप का काम करें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, विधान सभाओं और पालियामेंट में परम्परा रही है, पार्टी के फुल फ्लेज्ड सदस्य के अलावा एसोसियेट मेम्बर बना कर अपनी पार्टी में रख सकते हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि एसोसियेट मेम्बर की पार्टी बनी है और उन पार्टी ने एसोसियेट मेम्बर्स की ताकत पर सरकार बनाई है यह कह कर कि विधान सभा में एसोसियेट मेम्बर मिला कर उनका बहुमत है और राजस्थान इसका प्रमाण है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एसोसियेट मेम्बर से मिलकर असेम्बली की पार्टी ने बहुत जगह काम किया है। यह परम्परा राजस्थान में लागू की जाती हैं तो उससे पालियामेन्ट्री सिद्धान्तों के विपरीत कोई बात नहीं होती बल्कि विधान सभा के अन्दर दल के लोग अनुशासित ढंग से दल की नीतियों को रखें उसमें ज्यादा मदद मिलेगी।

(म० पू० ६.२५ बजे)

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत।

Page No. 43

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से तीन निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करती हूँ :

(१) पाली जिले में मवेशियों की चोरी को रोकने में पुलिस की असमर्थता सम्बन्धी याचिका।

(२) जागीर पुनर्ग्रहण के पूर्व कृषि भूमि व गैर आबादी पर बसी आबादी को मान्यता देने सम्बन्धी याचिका।

(३) राजस्थान में आयात किये हुए हाथी दांत का उचित मूल्य पर विक्रय की सरकार द्वारा उचित व्यवस्था न किये जाने सम्बन्धी याचिका।

श्री अध्यक्ष : श्री राधा कृष्ण गोयल !

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूँ :

(१) ३६ याचिका देने वालों से हस्ताक्षरित निवाई में हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने सम्बन्धी याचिका।

(२) ३६ याचिका देने वालों से हस्ताक्षरित निवाई मार्केटिंग कापरेटिव सोसाइटी में चीनी, गुड़, अनाज आदि की खरीद व वितरण में अनियमितताओं सम्बन्धी याचिका।

(३) ६० याचिका देने वालों से हस्ताक्षरित निवाई में जल व्यवस्था हेतु नल योजना के क्रियान्वयन सम्बन्धी याचिका।

(४) ३२ याचिका देने वालों से हस्ताक्षरित निवाई में गर्ल्स मिडिल स्कूल के लिये भवन निर्माण सम्बन्धी याचिका।

(५) ५४ याचिका देने वालों से हस्ताक्षरित निवाई–वोली सड़क के निर्माण सम्बन्धी याचिका।

पुर : स्थापित किया जाने वाला विधेयक

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, राजस्व) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान प्रेमिसेज (कन्ट्रोल आफ रेंट एण्ड एविक्शन) (संशोधन) विधेयक, १९६४ को पुर : स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान प्रेमिसेज (कन्ट्रोल आफ रेंट एण्ड एविक्शन) (संशोधन) विधेयक, १९६४ को पुर : स्थापित करने की····

श्री हरिराम चौहान : अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुर : स्थापित करता हूँ।

(९. २६ म० पू०)

राजस्थान यात्री तथा मालकर (संशोधन तथा वैधकरण) विधेयक १९६४ (विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री हरिराम चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रखा था।

श्री अध्यक्ष : यह स्थगन प्रस्ताव का समय नहीं है। आप यह प्रश्न उठायें नहीं मन्त्री महोदय बहस का उत्तर देंगे।

श्री परसराम मदेरणा (उप मन्त्री, आबकारी एवं कर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पैसेन्जर्स एन्ड गुड्स टैक्सेशन (अमेंडमेंट एण्ड वेलिडेशन) बिल, १९६४ के इन्ट्रोडक्शन के बाद स्टेच्युटरी व अन्य प्रस्तावों पर और सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पर इस सदन के १७ माननीय सदस्यों ने बहस में भाग लिया। मैंने उनकी तकरीरें बहुत ध्यान पूर्वक सुनीं लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वेलिडेशन बिल के सम्बन्ध में बहुत से माननीय सदस्यों के दिमाग में गलतफहमी चल रही है और वे तीन प्रकार से गलत-फहमियां मुझे प्रतीत हुई–एक तो यह कि जो फाइनेन्स एक्ट १९६१-६२ में इस बिल की धारा २ के अनुसार हम प्रिन्सिपल एक्ट की धारा ३ में अमेंडमेंड करने जा रहे हैं। यह अमेंडमेंट यह है, उनका ऐसा मानना था कि यह वेलिडेशन बिल हम इसलिए लाये हैं कि इन अमेंडमेंट्स को लेकर के हाईकोर्ट में जो रिट हुई है हाईकोर्ट ने उस पर जजमेंट दे दिया और क्योंकि हाई-कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है, उन धाराओं को उन्होंने अवैध घोषित कर दिया है इसलिये यह वेलिडेशन बिल लाया जा रहा है....

अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह नहीं है। स्थिति यह है कि इन दोनों फाइनेस एक्ट्स जो १९६१ और १९६२ के फाइनेन्स एक्ट्स हैं उनको लेकर हाई कोर्ट में कुछ रिट्स के द्वारा इनको चैलेन्ज किया है और चैलेन्ज करने के फलस्वरूप हाई कोर्ट ने स्टे आर्डर दिया है और स्थिति यह है कि अभी तक उन एक्ट्स को न तो वायड और न अलट्रा वायर्स डिक्लेअर किया है लेकिन उससे पूर्व हम यह वेलीडेशन बिल लाये हैं।

दूसरी गलतफहमी माननीय सदस्यों के दिमाग में यह चल रही थी कि जब कभी फाइनेन्स बिल सदन में लाये जायं........

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, एक इन्फर्मेशन के लिए कह दूं कि गलतफहमी इसलिये हुई थी कि जिस आधार पर ६१ में हाई कोर्ट ने स्टे आर्डर दिया है उसी आधार पर ६२ में दिया है और ६३ में दिया है तो जो आधार ६१ में हमारे सामने आगये थे उनका ६४ में जाकर वेलिडेशन कर रहे हैं और ६२ में ही क्यों नहीं कर लिया ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, इस प्वाइन्ट को आपने पहले उठा लिया था। मैं आपके प्वाइन्ट का सन्तोष-जनक जवाब देता हूँ, लेकिन बहस के बीच में पूरे केस को मेक-आउट नहीं करने देते हैं तो मुझको मुश्किल होगी।

दूसरी गलतफहमी माननीय सदस्यों के दिमाग में यह चल रहा है कि जो कुछ भी फाइनेन्स बिल सदन में लिया जाय वह एवरी केश के अन्दर आर्टीकल ३०४ (बी) के प्रोविजो से अटेच करता है। अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह नही है। अगर यह स्थिति होती तो वेलिडेशन बिल एक एक सेक्शन पर नहीं लाते। जिस सेक्शन के जरिये इसके प्रिन्सि-

Page No. 45

(श्री परसराम मदेरणा)

पल एक्ट के सेक्शन ३ को एमेन्ड किया है और जिसके जरिये रेट को इन्क्रीज किया है। इसलिए यह धारणा भी गलत है।

तीसरी धारणा माननीय सदस्यों के दिमाग में यह चल रही है कि कान्स्टीट्यूशन के अनुसार प्रेसीडेन्ट की सेक्शन का लिया जाना भी आवश्यक है तो ऐसा प्रतीत होता है कि सेन्क्शन को नहीं लिया जाकर बहुत बड़ी गम्भीर गलती की है, और वह सरकार की तरफ से भी है और लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से भी है, और लॉ डिपार्टमेंट इसमें दोषी है तो सर्विस एण्ड कन्डक्ट रूल्स के अन्दर जो पिक्यूनरी पेनल्टी इम्पोज़ करने का प्रोवीज़न है वह डिलेन्क्वेन्ट आफिसर पर इम्पोज की जानी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, यह मामला गम्भीर मामला है कि आया हम रेस्पान्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं या शुरू में नहीं, मैं इसको विस्तृत जानकारी पेश कर दूं कि इसमें बहुत कम्प्लीक्टेड लॉ के इश्यू इन्वाल्ड थे इसमें लॉ डिपार्टमेंड की गलती है या नहीं—यह देखना है। माननीय अध्यक्ष, यहां पर एक प्रश्न यह खड़ा होता है कि किन रीज़न्स को लेकर एमेंडिंग वेलिडेशन बिल इस सदन के अन्दर लाये हैं और उन सब कानूनी मामलों के फल स्वरूप जो स्थिति खड़ी हुई है. कि कौन दोषी है, किस हद तक दोषी है, यह तभी पता लग सकता है जब कि इंट्रीकेट प्राबलम आफ लॉ के ऊपर थोड़ी बहुत नजर दौड़ाए।

अध्यक्ष महोदय, इन कारणों में जाने से पहले मैं राजस्थान पैसेन्जर्स एण्ड गुड्स एक्ट नं० ३ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और इसलिए आकर्षित करना चाहता हूं कि दोनों ही प्रकार के वेलिडेशन एमेंडमेंड चाहे रेट्स के सम्बन्ध में हों, चाहे वह उसके मोडिफिकेशन आफ डिफेक्ट के सम्बन्ध में हो, दोनों ही प्रकार की वेलिडेटिंग क्लाजेज सेक्शन ३ से सम्बन्ध रखती हैं, और प्रिन्सीपल एक्ट का सेक्शन ३ यह कहता है—

"(1) There shall be levied, charged and paid to the State Government a tax on all fares and freights in respect of all passengers carried and goods transported by motor vehicles at such rate not exceeding..."

प्रिन्सीपल एक्ट जो इस सदन ने पास किया था और प्रेसीडेन्ट द्वारा एसेन्ट दी जा चुकी है उसमें वर्ड्स यह हैं—"not exceeding one eighth of the value of the fare or freight, in the case of cemented tarred, asphalated, metalled, gravel and kankar roads and not exceeding 1/12th of such value in other cases, as may be notitied by the State Government."

Here comes the notification under section 3. "......from time to time, subject to a minimum of one naya paisa in any one case, the amount of tax being calculated to the nearest naya paisa."

अध्यक्ष महोदय, जो फाइनेन्स एक्ट हमने यहां सदन में पास किया ६१ में उसमें "1/12th of such value in other cases" वहां पर वर्ड्स सबस्टीट्यूट किये हैं "1(%" और "1/8th of the value" है वहां पर वर्ड्स सबस्टीट्ट किया हैं "15%"। ६२ का जो एमेंडमेंट आया है उसमें इसको "15%" की जगह "20%" वर्ड्स सबस्टी-

(श्री परसराम मदेरणा)

ट्यूट किये हैं और "10%" की जगह "15%" वर्ड्स सबस्टीट्यूट किये हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह जो खास कानूनी प्रोब्लम खड़ा हुआ है, यह जो एनोमली है वह इसी सेक्शन को लेकर है, इसी सेक्शन के नोटिफिकेशन को लेकर है, जिस नोटिफिकेशन के वर्ड्स मैंने यहां पढ़े हैं इसी सेक्शन के हैं। इन फाइनेन्स बिल्स ६१ और ६२ में जो रेट्स फेयर एण्ड फ्रेट के इन्क्रीज किये हैं उसको लेकर हाई कोर्ट में रिट हुए हैं।

अब, अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह खड़ा होता है कि जो बिल लाये हैं वह किन लॉ के आब्जेक्ट्स को एचीव करने के लिए लाये हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने जहां तक नोटिफिकेशन का सवाल है जजमेंट दे दिया है और हाईकोर्ट ने यह होल्ड किया है कि फाइनेन्स बिल्स ६२ और ६३ को इनेक्ट करने से पूर्व प्रेसीडेन्ट की एसेन्ट नहीं ली गई थी और प्रेसीडेन्ट की एसेन्ट इसमें वान्टिंग थी और उस प्रोवीजन को एप्लाई नहीं किया है इस लिए यह बिल वेलिड नहीं है और जब वेलिड नहीं है तो इस प्रकार टैक्स नहीं लिया जा सकता। इस मामले को लेकर कई बस आपरेटर्स की ओर से करीब ३०४ के आसपास रिट्स हाई कोर्ट में दायर हुई हैं और हाई कोर्ट ने हमें स्टे आर्डर दिया है कि किसी प्रकार की टक्स को रिकवरी बस आपरेटर्स से या मोटर आपरेटर्स से नहीं करें जिन लोगों ने हाई कोर्ट में रिट किया है और इन फाइनेन्स एक्ट्स को जिनका कि प्रिन्सीपल सेक्शन में हवाला है जिनको कि हमने एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स में दिया है उनको चैलेन्ज किया है।

अध्यक्ष महोदय, लॉ डिपार्टमेंट की किसी भी प्रकार की रेस्पान्सिबिलिटी फिक्स करने से पूर्व, उन्हें दोषी ठहराने के पूर्व यह देखना होगा कि आया यह जो राजस्थान पैसेन्जर्स एण्ड गुड्स एक्ट की जो एन्ट्री है वह कौनसी लिस्ट के अन्दर है। यह जो राजस्थान में पैसेन्जर्स और गुड्स पर जो टैक्स लगाया जा रहा है यह एन्ट्री लिस्ट नम्बर २ की है जो कि स्टेट लिस्ट की है। स्टेट लिस्ट की एन्ट्री नं० ५६ है वह इस प्रकार है—

"Taxes on goods and passengers carried by road or on inland waterways."

इसमें, अध्यक्ष महोदय, यह होता है कि इस लेजिस्लेचर को लेजिस्लेट करने के पावर्स हैं उस एन्ट्री के सम्बन्ध में जो एन्ट्री ५६ लिस्ट २ की और वह लिस्ट दो स्टेट लिस्ट है। अगर स्टेट लिस्ट की होती है तो प्रश्न यह खड़ा होता है कि उसमें ३०४ (बी) आर्टिकल के प्रोवीजो कैसे अटेच होता है। सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के अन्दर उन्होंने इसका इन्टरप्रिटेशन दिया है वह यह दिया है कि कान्स्टीट्यूशन के पार्ट १३ जिसमें ट्रेड एण्ड कामर्स का हवाला है और ट्रेड एण्ड कामर्स के पार्ट के अन्दर जो एन्ट्रीज हैं उन एन्ट्रीज के अलावा दूसरी एन्ट्रीज जो लिस्ट नं० ३ में हैं, उस स्टेट लिस्ट में है और जो कान्करेन्ट लिस्ट में हैं उन सब पर असर उस प्रकार के टैक्सिंग मेजर का कान्स्टीट्यूशन के पार्ट १३ पर पड़ता है और पार्ट १३ में भी खास तौर से आर्टिकल ३०१ जो कि कान्स्टीट्यूशन के पार्ट १३ का पहला आर्टिकल है, अगर उस पहले आर्टिकल को आफेण्ड करता है तो उसमें प्रेसीडेन्ट की प्रिवियस सेंक्शन की जरूरत है। इस प्रश्न पर मैं माननीय सदस्यों

(श्री परसराम मदेरणा)

से निवेदन करूंगा कि सबसे पहले इस प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट ने जो खास जजमेंट दिया है और उस जजमेंट में यह कहा कि दूसरे टेक्सिंग मेजर्स हैं यह कान्स्टीट्यूशन के पार्ट १३ को एट्रेक्ट करते हैं। यह एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हुआ है और उस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद हम ऐसा कोई बिल सदन में नहीं लाये है कि जिस बिल की तरफ यह कहा जाय। ६३ का बिल है वह टेक्सेशन के सम्बन्ध में नहीं है, वह दूसरे सम्बन्ध में है और मैं उसका जिक्र बाद में करूंगा। इसलिये मैं यहां पर यह उपयुक्त समझूंगा कि जो मेन एप्लीकेबिलिटी part 13 of Constitution है, इस प्रोविजन की भी है या नहीं है। सभी फाइनेन्सियल मेटर्स में वह क्लाज लागू होता है या नहीं। मैं समझता हूं कि बसू की इस सम्बन्ध में जो कमेन्ट्री है वह इस पोइन्ट को साफ करेगी। बसू जो कॉन्सटीट्यूशन के माने हुए व्यक्ति और हिन्दुस्तान में कॉन्सटीट्यूशन पर आथोरिटी माने जाते हैं, उन्होंने जो कहा है उस रिलेवेन्ट पेरा को आपके सामने पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। इसलिये कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में भी जो थ्योरी है उसके लिये कौन जिम्मेदार है, आया यह लॉ डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है या यह इन्टरप्रिटेशन ऑफ लॉ का मामला है। इसलिये बसू की कमेन्ट्री है वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बसू की कमेन्ट्री का पेरा इस प्रकार है -

"Though it is now settled that a tax law may also offend Articles 301 and 304, the principle governing the application of Clause (b) and the Proviso has not yet been finally settled notwithstanding several Supreme Court decisions.

In a number of High Court cases, it had been held that no question of violation of Article 301 arises where the Legislature is exercising its legislative power other than that relating to trade, commerce or intercourse. In this view, the freedom guaranteed by Article 301 could be interfered with only........."

श्री विजयसिंह झाला : यह तो कमेन्ट्री सभी ने पढ़ रखी है। यह आपका इन्टरप्रिटेशन हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : वे अपना इन्टरप्रिटेशन देंगे।

श्री विजयसिंह झाला : जो गलतियां हमने पहले कीं उनको अब तक....

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, बार बार खड़े होकर मुझे डिस्टर्ब करते हैं। मैं यह कहूंगा कि ६१, ६२ और ६३ में रिटें आई हैं। सबसे पहले फरवरी १९६४ में फैसला दिया है। यह गलत धारणा चल रही है आपके दिमाग में और आप बार बार खड़े होकर मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री विजयसिंह झाला : आपने पहले पैसा वसूल क्यों नहीं किया ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, आप सलेक्ट कमेटी के सदस्य थे और उस समय आपके सामने बसू की कमेन्ट्री

(श्री परसराम मदेरणा)

मगर आपके समझ में नहीं आया क्योंकि आपके दिमाग में गलतफहमी थी । इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सलेक्ट कमेटी में १५ ही सदस्य थे और सदन में माननीय सदस्यों के अलावा और भी सदस्य हैं जिनको यह बसू की कमेन्ट्री की जानकारी देना जरूरी है । इसलिये यह जानकारी दे रहा हूं । आप तो रिकवरी वाले मामले को ले कर ही गलतफहमी पैदा करना चाहते हैं ।

बसू कामेन्ट्री जो मैं आपको बता रहा था वह इस प्रकार है :

"In this view the freedom guaranteed by Article 301 could be interfered with only where the law has been enacted in exercise of the power conferred by Entry 41 or 42 of List I; Entry 26 of List II Entry 33 of List III. This view gained some support from the observation of the Supreme Court in Chamarbaugwala, case that clause (b) of Article 304 has no application unless the impugned law in its pith and substance relates to an independent power (i. e. other than under any of the Entries relating to trade and commerce, just specified)......

The above theory has, however, been demolished by the majority of the Supreme Court in the Automobile case.

The majority, speaking through S. K. Das, J. observed:—

"The narrow interpretation on cannot be accepted, namely, that the relevant articles in Part XIII apply only to legislation in respect of the entries relating to trade and commerce in any of the lists of the Seventh Schedule"

According to the majority, Article 301........"

आर्टिकल ३०१, अध्यक्ष महोदय इस प्रकार है :

"Subject to the other provisions of this Part, trade, commerce and intercourse throughout the territory of India shall be free."

Now, "According to the majority, Article 301 constituted a limitation upon legislative power in general and was not confined to the Entries relating to trade and commerce. Any law made under any Entry in any of the three Lists, including taxing laws may, accordingly, interfere with the freedom guaranteed by Art. 301, subject to certain conditions. Consequently, a State Bill or amendment relating to any of the Entries in Lists II and III may require the sanction of the President, if any of those conditions are present"

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद में हमारे यहां तय किया गया है । ओटोमोबाइल केस के पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने इन्टरप्रिटेशन दिया था कि इसमें ट्रेड एन्ड कोमर्स का हवाला है । उस एन्ट्री के सम्बन्ध में जो लिस्ट एक के ४१-४२ आइटम पर है, लिस्ट २ के २६ आइटम और लिस्ट तीन के एन्ट्री

(श्री परसराम मदेरणा)

३३ का हवाला है। राजस्थान ऑटोमोबाइल्स बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह होल्ड किया है वह मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए निवेदन करता हूँ मगर इस मामले में भी देश के हाइयेस्ट लोग हैं उनकी अलग अलग राय है। आटॉमोबाइल्स केस में लॉ के मामले में सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजों की अलग अलग राय है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की सब की एक राय नहीं है। वह केस जो डिसाइड हुआ है उसमें तीन जज एक राय के और दो जज एक राय के हैं और उन्होंने अपनी अलग अलग राय दी है। इस लिये वह ३ । २ के रेशियो से केस तय हुआ है। मेजोरिटी एक ज्यादा होने से यह तय हुआ है। इसका मतलब साफ है कि युनानिमसली यह तय नहीं हुआ है। जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जजों की अलग अलग राय है तो ऐसा मान लेना है कि यह आर्टिकल ३०१ trade and commerce पर रेस्ट्रेक्शन इम्पोज़ करता है यह सुप्रीम कोर्ट ऑटोमोबाइल्स केस से प्रतीत नहीं होता और न उन का यह प्रयोजन था। इसलिये जो लॉ की बात है, जहां तक लॉ डिपार्टमेंट की बात है वह किसी बिल के लिये ३०४ (बी) का आर्टिकल किससे होता है और किससे नहीं होता है, निश्चित नही है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में यह थ्योरी ऑफ सरटेन्टी डेवलप नहीं हो पाई है। इसमें कहा गया है कि रीज़नेबल टैक्स लगाने के लिए इसकी जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा बाद में यह भी कहा गया है कि इसमें विचारों की रेगुलेरिटो की बात नहीं है। जब कोई केस आवेगा तो यह मामला खड़ा होगा। जैसा उन्होंने अपनी राय में इस बात के लिये कहा है :

"It is evindent that while the per-Automobile theory of Article 304 (b) coming into play only where the legislation in question related to the Entries relating to trade or commerce had the merit of certainty, the Automobile decision imposes a very heavy task on the advisers of the State Government as to the selection of the cases where they should advise whether tne President's sanction must be obtained in order to save the law from invalidity."

अगर इस तरह के हिन्दुस्तान के वसू जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट की यह मान्यता है कि लॉ डिपार्टमेंट के सामने, लॉ एडवाइज़र जो स्टेट के हैं, आर्टिकल ३०४ (बी) को एट्रेक्ट करते हैं या नहीं। अब तक जो थ्योरी रखी गई है उसमें सरटेन्टी की पोजीशन अभी तक नहीं आई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले हो गये हैं। ट्रेड एन्ड कोमर्स के जितने भी मामले थे उनके लिये रिलेवेन्ट आर्टिकल्स आस्ट्रेलियन कॉमन वेल्थ कॉन्स्टिट्यूशन से लिये हैं। वहां पर भी इस प्रकार के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स दिये हैं। यह प्रॉब्लेम अभी भी उनके सामने है। अभी वे यह कहने की पोजिशन में नहीं हैं कि यह फाइनल हो गया है। इसलिये कोई सरटेन्टी की पोजीशन नहीं है।

तो मैं समझता हूं लॉ डिपार्टमेंट ने ऐसा एड्वाइज ऑटोमाइल्स के सम्बन्ध में किया तो वह ठीक था। इसके लिये लॉ डिपार्टमेंट को दोषी ठहराना अनुचित और बहुत ज्यादा एक्सेस होगा।

(श्री परसराम मदेरणा)

अब जहां तक इन बिल्स की previous sanction of the President under Article 304 (b) लेने का प्रश्न है, मैंने इस स्थिति को आपके सामने रखा। अब प्रश्न यह खड़ा होता है कि हाई कोर्ट ने बालूराम वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान में हाई कोर्ट से जो हमने नोटिफिकेशन निकाले सेक्शन ३ के नीचे रूल ८ में जो लम्प सम का नोटिफिकेशन निकाला है वह ओब्लिगेटरी नहीं है उस मोटर के मालिक पर कि उनको वह एक्सेप्ट करे। रूल ८ के नीचे जितने नोटिफिकेशन हैं they cannot tak effect of levying tax.

इस लिये और लेविंग टैक्स का इफेक्ट था वह सब-सेक्शन (३) के नीचे ही ला सकते थे, इसलिये यह लम्प सम का नोटिफिकेशन है कुछ क्लासेज ग्राफ विहिकल्स स्पेसिफाई की हैं कि इनको लम्प सम का नोटिस दे सकते हैं ३१ में, इसके सम्बन्ध में हाई कोर्ट ने होल्ड किया है कि इसमें लेकुना रह गया है इसलिए रिकवर नहीं किया जा सकता।

हाई कोर्ट ने यह भी होल्ड किया है कि यह कन्साइन्स या जिस प्रोसीजर से लाये हैं उसमें इस प्रकार की अनोमली, लेकुना रह गया है। उसके लिये हम यह क्लाज २ लाये हैं।

क्लॉज़ ३ मेथड ऑफ पेमेंट के सम्बन्ध में है। वह दो नोटिफिकेशन हमने निकाले थे उनके जरिये जो अमाउन्ट राज्य को मिला है या मिलने वाला है, उनकी वसूली के सम्बन्ध में सेफ्टी का क्लाज ३ प्रोवाइड किया है। पर लेकुना जो होई कोर्ट ने पोइन्ट आउट किया है उसके लिये क्लॉज २ हमने इसलिए प्रोवाइड किया है कि यह लेकुना तभी दूर हो सकता है जब कि सेक्शन ३ के नीचे नोटिफिकेशन निकाले हैं इनको अमेंड कर दें। अमेंड करने में रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ला सकते नहीं, इसके लिये प्रिन्सिपल एक्ट में प्रावधान करना पड़ेगा, तभी हम उन नोटिफिकेशन्स को वेलिड कर सकते हैं। इसलिये यह वेलिडेटिंग क्लॉज़ २ लाये हैं।

हमारा पहले इन्टरप्रिटेशन था कि सेक्शन ३ टैक्स लेवी करता है और सेक्शन ४ गवर्नमेंट को अधिकार देता है। राज्य सरकार का इन्टरप्रिटेशन यह था कि लम्प सम अमाउन्ट की मेग्ज़िमम लिमिट सेक्शन ३ में है, उसको एक्सीड नहीं कर के लम्प सम का नोटिफिकेशन निकाला है वह सेक्शन ३ (१) की आबिट में आता है पर हमारा यह इन्टरप्रेटेशन हाई कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। हाई कोर्ट ने यह कहा है कि रूल ८ के नीचे ओब्लिगेटरी नोटिफिकेशन नहीं है सेक्शन ३ के नीचे है, तो सेक्शन ३ में डिफेक्ट है। सेक्शन तीन में डिफेक्ट यह था कि कमेंसमेंट हुआ है १ मई ५९ को और आर्डर निकाला है स्टेट केरेजेज के बारे में शुरू में जब यह बिल पास हुआ राजस्थान पेसेन्जर्स एन्ड गुड्स टैक्सेशन बिल १९५९, उसमें क्लास ऑफ विहिकल्स का मेन्शन कर दिया था। बाकी क्लासेज ऑफ विहिकल्स का मेन्शन २९ मार्च १९६२ को दूसरी विहि-कल्स का मेन्शन किया है, वान्टिंग नोटिस का उन्होंने नहीं बताया है। इस पीरियड में दूसरी क्लासेज ऑफ विहिकल्स को ३ में मेन्शन नहीं किया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि यह लेकुना रह गया है।

उस लेकुना को ठीक करने के लिये, जो टेक्स पेएबल है वह पब्लिक एक्स्चेकर को

(श्री परसराम मदेरणा)

मिले इसके लिये यह अमेंडमेंट लाना जरूरी हो गया और इसी लिये यह लाया गया है। यह जो दोनों अमेंडमेंट लाये हैं उनके लाने की वजह यह है कि हाई कोर्ट के इन्टर-प्रिटेशन से जो हमारा इन्टरप्रिटेशन था उस में गलती रह गयी थी, लेकुना रह गया था। हाई कोर्ट ने जो गलती, जो लेकुना बताया उसको दूर करने के लिये यह अमेंड-मेंट लाया गया है।

अब सवाल यह आता है कि लेकुना रह गया है, उस लेकुना को दूर करने के लिये यह अमेंडमेंट लाये हैं तो इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे सकते हैं या नहीं? मैं समझता हूँ इस सदन को प्रिलिमिनरी पावर्स हैं इसे रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने के, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी ऐसा सोचा है और इस हाउस को सोवरेन माना है, किसी प्रकार का लेकुना हाई कोर्ट के इन्टरप्रिटेशन के फलस्वरूप आता है तो उसको मीट करने के लिये यह हाउस पूरी तरह एम्पावर्ड है। इसलिये क्लॉज २ में, क्लॉज ४ में रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लाने के लिये अमेंडमेंट लाये हैं।

सिलेक्ट कमेटी के दो माननीय सदस्यों ने अपना नोट ऑफ डिसेन्ट दिया है। उन्होंने कुछ मुद्दे रेज किये हैं। बाकी सदस्यों को जो गलत फहमी थी वह, मैं समझता हूं, बहुत हद तक या कम्पलीटली दूर हो गई थी।

दौसा से आने वाले माननीय सदस्य ने दो मुद्दे उठाये। एक तो यह कि बोडी ऑफ दी बिल में इस प्रकार डिस्क्राइब नहीं करना कि इस पर प्रेसिडेन्ट की सेंक्शन ली गई थी, यह कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इसलिये यह होल बिल इन्ट्रोड्यूस नहीं हो सकता है।

इस आपत्ति के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की यह मंशा होती कि बिल की बॉडी में यह इन्कोर्पोरेट करना चाहिये तो संवि-धान के आर्टिकल ३०४ में यह साफ लिखा होता। पर यह आर्टिकल ३०४ में कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि बिल को इन्ट्रो-ड्यूस करने से पहले बिल की बॉडी में यह डिक्लेअर होना चाहिये, यह डिस्क्राइब होना चाहिये कि प्रेसिडेन्ट की प्रीवियस सेंक्शन आ चुकी है। चूंकि यह नहीं लिखा हुआ है और हमारे यहां यही प्रेक्टिस रही है। लोक सभा में इस प्रकार का डेस्क्रिप्शन है। यह अध्यक्ष महोदय के निर्णय लेने की बात है।

सिलेक्ट कमेटी में दूसरी बात अपने डिसेन्टिंग नोट में उठाई है वह यह है कि क्लॉज ३ में और ४ में उन्होंने कन्फ्यूज किया है, इस तरह कन्फ्यूज किया है जो नोटिफिकेशन ३ में इश्यू हो रहे हैं नोटि-फ़िकेशन में डिफेक्ट है उसे क्लॉज किया जा रहा है। क्लाज ४ में नहीं होना चाहिये था पर वे गलतफहमी में हैं, इसलिये गलतफहमी में हैं कि ४ में रूल्स बनते हैं। रूल्स में नोटिफिकेशन होता है वह लम्प सम का है तो वह ऑब्लिगेटरी नहीं। तो ऑब्लिगेटरी के अभाव में हाई कोर्ट ने डिफेक्ट पाया है वह ३ के नीचे पाया है इसलिये उनका यह तर्क कि ४ के नीचे होना चाहिये था वह सही नहीं है। उनके

(श्री परसराम मदेरणा)

दिमाग में एक तरह से मिस्अन्डरस्टेन्डिंग चली आ रही है।

(१०.०० म० पू०)

उसके बाद मैं नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत से मुद्दे इस सदन में उठाए, सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई उससे पहले भी और उसके बाद में भी। आपने नोट ऑफ डिसेंट में पैरा १ में लिखा है कि राज्य सरकार के पास पूरी पॉवर्स नहीं हैं। उसका मतलब यह है कि टैक्स को रीअलाइज करने की पावर्स राज्य सरकार को नहीं हैं।

श्री विजयसिंह झाला : वित्तमंत्री के अनुसार। उन्होंने खुद हाऊस में स्वीकार किया था कि कुछ पुलिस पावर्स हमें होनी चाहिए। यह बदकिस्मती है कि जिस दिन सिलेक्ट कमेटी बैठी थी, उस रोज आप गायब थे लेकिन उनकी अंदरूनी इच्छा है कि और पावर्स मिलने चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा : वित्त मंत्री जी ने कभी भी यह नहीं कहा था कि हमें पुलिस की पावर्स मिलनी चाहिए।

श्री विजयसिंह झाला : आप उनसे कहला दीजिए। आप इस बात को स्वीकार करने के लिए उठे भी थे और आपने उनको बिठा दिया।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : जो डिप्टी फाइनन्स मिनिस्टर साहब कह रहे थे, वह मेरी तरफ से कह रहे थे। मेरी कोई ऐसी मन्शा नहीं है कि इस कॉमर्शियल टैक्सेशन को एक पुलिस कानून बना दिया जाय। माननीय सदस्य ने जो इशारा किया है वह शायद कोई प्राइवेट बात का इशारा है....

श्री विजयसिंह झाला : सदन की प्रोसिडिंग्स देख लीजिए और उसमें यदि उन्होंने पुलिस की पावर्स की डिमांड नहीं की हो तो जो भी सजा आप देंगे....

श्री बालकृष्ण कौल : अगर प्रोसिडिंग्स देख ली जाय तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला : आप कुछ पुलिस पावर्स चाहते हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल : आप प्रोसीडिंग्स का जिक्र कर रहे हैं तो उनमें देख लिया जाय।

श्री विजयसिंह झाला : वह बाद में देखेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : प्रोसिडिंग्स मैंने खुद पढ़ी है। वित्त मन्त्री ने कहीं पर भी नहीं कहा कि वह पुलिस...

श्री विजयसिंह झाला : बिल्कुल कहा है।

श्री परसराम मदेरणा : अगर कहा है तो प्रोसिडिंग्स मंगवा लीजिए।

श्री विजयसिंह झाला : मंगवा लीजिए। बिल्कुल आपने बैठे हुए कहा है कि आपको पुलिस पावर्स की जरूरत है, बड़ी मुस्कान के साथ कहा है। बदकिस्मति है कि आप एब्सेंट थे।

Page No. 53

श्री बालकृष्ण कौल : जहां तक मुझे याद है कोई इस किस्म की बात मैंने नहीं कही। यदि वह प्रोसिडिंग्स पर ही जोर दे रहे हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, शायद मेमोरी फ ेश हो जाय। यह हो सकता है कि मैंने कहा हो कि मेरे पास पुलिस पावर्स नहीं है लेकिन यह कभी नहीं कहा कि मुझे पुलिस पावर्स चाहिए।

श्री विजयसिंह झाला : आपने कहा था कि "मेरे पास नहीं है इसलिए में टैक्स रीएलाइज नहीं कर सकता।" इसका मतलब आप पुलिस पावंस चाहते हो।

श्री बालकृष्ण कौल : बदकिस्मती यह है कि माननीय सदस्य के दिमाग में कुछ इस किस्म के विचार उठते है जिसमें इन्टेन्शन ही इन्टेन्शन लगाया करते हैं। यह इन्टेन्शन हो सकती है कि सीधी बात को उल्टी समझते हैं तो इसका इलाज कराया जाय, मैं कुछ नहीं कर सकता।

श्री विजयसिंह झाला : इसका इलाज तो वित्त मन्त्री को कराना होगा। आपकी अन्दरुनी इच्छा कुछ और है लेकिन आप कहना नहीं चाहते इसलिए इसका इलाज बहुत जरूरी है।

श्री भैरोंसिंह : मैं सुझाव दूंगा कि दोनों के लिए इस समय यदि डॉक्टर व्यास से कन्सल्ट किया जाय तो अच्छा होगा।

श्री बरकतुल्ला खां (स्वाध्य मन्त्री) : अगर माननीय सदस्य डॉक्टर व्यास की जरूरत समझते हों तो मैं अभी टेलीफोन करके बुला सकता हूं यदि वे बुरा न मानें तो।

श्री भैरोंसिंह : अभी भी आपने नहीं समझा। कौल साहब इतना कह गए फिर भी जरूरत नहीं समझी ?

श्री बरकतुल्ला खां : जरूरत किस किस के लिए समझता हूं, यह मैं माननीय सदस्यों से नहीं कह सकता।

श्री परसराम मदेरणा : यह बात फौजदारी पावर्स देने के संदर्भ में सदन के सामने आई थी, वह टैक्स के अरीयर की रिकवरी के सम्बन्ध में थी और नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाई थी कि जो मोटर ओनर्स हैं वे कन्ज्यूमर्स से और कन्साइनर्स से टैक्स वसूल कर लेते हैं और उसके बाद वे अपने पास रख लेते हैं। तो यह मिस्एप्रोप्रेशन है और उसके खिलाफ फौजदारी मुकदमा चलना चाहिए और अगर फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया तो क्यों नहीं ? इस तरह की कोई बात उन्होंने कही थी और उस संदर्भ में वित्त मन्त्री ने कहा था कि हमारे पास पुलिस पावर्स नहीं हैं या इस तरह का पेनल लॉ हमारे पास नहीं है ताकि उन पावर्स को एक्सरसाइज करें, इस संदर्भ में यह बात उन्होंने कही थी। उन्होंने यह कभी भी नहीं कहा था कि हमें पुलिस पावर्स की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि हमारा कमर्शियल डिपार्टमेन्ट है और वह डिपार्टमेन्ट इस स्टेट की रेवेन्यू वसूल करने के लिए है, उस रेवेन्यू को बेस्ट तरीके से और इफेक्टिव तरीके से वसूल किया जा रहा है, उस ओर प्रयास जारी हैं और पेनल लॉज इम्पोज करके टैक्स वसूली में किसी प्रकार की दिक्कत पड़े, हम उस तरह की दिक्कत का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं।

(श्री परसराम मदेरणा)

माननीय सदस्य के दिमाग में यह बात है कि जो मौजूदा स्टैचूट है और जिस स्टैचूट के अन्तर्गत हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेन्ट पावर लेता है और इस टैक्स की वसूली करता है उसमें इसके लिए एडीकुएट प्रोविजन नहीं है। कुल मिलाकर मुद्दे इस पर आते हैं, मैं सूचना देना चाहता हूं कि राज्य सरकार के पास में और राज्य सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंन्ट के पास में और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर्स जो हमारे टैक्स की वसूली करते हैं, जिनको अलग २ जूरिस्डिक्शन दिया हुआ है, उनको काफी पावर्स दिए हुए हैं और यदि इन पावर्स का इस्तेमाल होगा तो हमें इस तरह के पेनल क्लॉज रखने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि जेल में डालने से ही टैक्स की वसूली हो जाती है तो ऐसी नीति को हम अपनाना नही चाहते। आप कह दें कि सिविल सूट कर दीजिए तो बात समझ में आ सकती है, लेकिन जेल में डालने से डिटरेंट असर पड़ता है, यह बात....

श्री विजयसिंह झाला : जो टैक्स वसूल होता है वह सरकारी प्रॉपर्टी है उसको बीच में रख लेना क्रिमिनल लॉ के अनुसार मिसएप्रोप्रियेशन ऑफ प्रापर्टी है। चाहे आप उन पावर्स को काम में न लें, वह बात दूसरी है।

श्री बरकतुल्लाखां : टैक्स अगर वैलिड होगा तभी माना जायगा। हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि यह टैक्स वैलिड नहीं है तो इसके अन्दर मिसएप्रोप्रियेशन का सवाल नहीं आता।

श्री विजयसिंह झाला : मैं वैलिडेशन के लिए नहीं कहता। मैंने कहा था कि जो स्टेप आपने नहीं लिया है आप क्रिमिनल लॉ के तहत क्यों नहीं लेते हैं। आप अपनी डॉक्टरी लगाने के लिए बीच में खड़े हो गए।

श्री बरकतुल्लाखां : हर माननीय सदस्य को बोलने की आज्ञा है। हमारे मुंह पर ताले नहीं लगे हुए हैं।

श्री परसराम मदेरणा : सेक्शन ६ में हमें पावर्स हैं कि अगर कोई मोटर ऑनर समय पर रिटर्न्स सब्मिट नहीं करता या टैक्स का पेमेंट समय पर नहीं करता, तो पेनल्टी पांच रुपये पर डे इम्पोज़ की जा सकती है अगर विल्फुली टैक्स नहीं दे रहा है तो वन एण्ड हाफ टैक्स उस पर इम्पोज की जा सकती है। उसके बाद में सेक्शन १६ में प्रासिक्यूशन भी हो सकता है, वह फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट करेंगे और कन्विक्शन हो जाता है प्रॉसिक्युशन के फल : स्वरुप, तो उसके पहले आफेन्स पर एक हजार तक जुर्माना किया जा सकता है और यदि वह कन्टीन्यूइंग है तो तो सब्सिक्वेंट कन्विक्शन २५, रुपये पर डे हो सकती है। उसके बाद में हमने राजस्थान मोटर व्हीकल्स एक्ट, १९६१ के अमेंडमेंट में क्लाज डाला है। आप जो एरीअर्स की वसूली के लिए जिस एक्ट का हवाला दे रहे हैं राजस्थान फाइनेन्स एक्ट, १९६३ का उसमें जो रिलेवेन्ट क्लॉज है वह टैक्स के संबंध में नहीं है, वह एटैचमेंट के संबंध में है। असेसिंग अथॉरिटी को इस सेक्शन के जरिए इस प्रकार की पावर्स दी गई हैं कि वह इस टैक्स की वसूली के लिए प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है क्योंकि सेक्शन १६ के अन्दर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को पावर्स थीं इसलिए एडीशनल पावर्स असेसिंग अथॉरिटी को दी गई हैं। इसके अलावा टैक्सेशन की रिकवरी इफेक्टिव तरीके से हो, उसके लिए मैं माननीय सदस्यों की भावना को ध्यान में

(श्री परसराम मदेरणा)

रखूंगा और इस समय सदन में इतना ही कह सकता हूं कि जो कुछ सजेशन्स आपने समय समय पर दिए हैं कि क्या मेजर्स लेने चाहिए और जो टैक्स की बीच में इफेक्टिव रिकवरी नहीं हो रही है, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि इफेक्टिव रिकवरी हो रही है, रिकवरी कुछ बाकी है, कुछ एरीयर्स में बाकी है हेन्स फोर्थ में स्ट्रिन्जेन्सी मेजर्स लिये जांय और उसके फलस्वरूप कोई लेकुना हमारे पावर्स में रह गया और उसकी जरूरत है तो सदन के समक्ष बाद में पहुंच हो सकेगी अगर यह ध्यान में आगया तो ।

दूसरे माननीय सदस्यों ने एक बड़ी बात इस सदन में कही । आर० टी० ओ० का कॉओर्डिनेशन हो जाना चाहिये । अगर होने की आवश्यकता है तो राज्य सरकार के विचारधीन यह रहना चाहिये या नहीं इसको कन्सीडर करेंगे और कन्सीडर करने के बाद उपयुक्त समझा गया कॉओर्डिनेशन और अमलगमेशन की वजह से टैक्स की वसूली ठीक तरह से हो सकती है तो उस-स्टैप को लेने में राज्य सरकार नहीं हिचकेगी ।

एक बात यह कही गई कि टिकट क्यों नहीं छपवाये और स्टैम्प्स क्यों नहीं लगाये ? यह डिसिजन के तौर पर निर्णय ले लिया गया है कि स्टैम्प लगाने चाहिये । सिक्योरिटी प्रेस नासिक को लिखा गया था । डिनो-मिनेशन का सैम्पल दिया गया । एप्रूव भी हमने कई किये हैं । इन्डिजिनस पेपर होगा । फोरिन पेपर नहीं होगा । गोंद उस पर तब ही चिपक सकता है जब कि वह फोरिन पेपर हो । भारत सरकार इसके लिए फोरिन एक्चेन्ज देने के लिए तैयार नहीं है । यह दिक्कत राज्य सरकार के सामने है । इसको देखते हुए राज्य सरकार निर्णय लेने वाली है ।

माननीय सदस्यों ने कहा कि टैक्स का इवेजन होता है । इसको रोकने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हर तरह से तैयार है, प्रयत्नशील है । सरकार इस ओर बार बार सोचती रहती है । माननीय सदस्यों को मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि राज्य सरकार जहां कहीं मालूम हुआ कि यहां लूपहोल है तो उसको प्लग करने के लिए, टैक्स का इवेजन हो रहा है उसको रोकने के लिये फ्रुडेलेन्टली जितने डिवाइसेज़ हैं ऑटोमोबाइल्स के ओनर्स इवेड करते है, उनको चेक किया जाय, हम उसको देखेंगे और जो राज्य सरकार का पैसा ड्यू है और वसूल होना चाहिये उसको वसूल किया जायगा । इन शब्दों के साथ मुझे जो बात कहनी थी वह समाप्त करता हूं ।

श्री विजयसिंह झाला : एक प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, आधा मिनट लूंगा । स्टे हुआ है उसके बाद रिकवरी बन्द हो जाती तो बात समझ में आ जाती लेकिन सन् ६४ में स्टे हुआ उसके पहले रिकवरी न होने के क्या कारण हैं ?

श्री अध्यक्ष : पूछ चुके हैं ।

श्री विजयसिंह झाला : ऐसा नहीं था । हम ऐसा समझते थे कि ६१ में स्टे हो गया होगा । लेकिन जब वित्त मन्त्री का स्टेटमेन्ट हुआ तब मालूम हुआ । माननीय सदस्य अब तक भ्रम में थे । स्टे तो १९६४ में आकर हुआ । फरवरी १९६४ में स्टे होता है तो जब तक स्टे नहीं मिला तब तक

(श्री विजयसिंह झाला)

गवर्नमेंट को रिकवरी करने के पावर्स थे उनको काम में क्यों नहीं लिये ?

श्री अध्यक्ष : रिकवरी हो रही थी।

श्री विजयसिंह झाला : ६१-६२ की भी बाकी है। पच्चीस लाख रुपया बाकी है। फरवरी ६४ के बाद का तो छोड़ सकते हैं। ६४ से पहले की रिकवरी क्यों नहीं हुई ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, स्टे आॅर्डर के पहले बहुत रिकवरीज की हैं। मेरे पास एक एक मोटर आॅनर का तो स्टेटमेन्ट नहीं है। लेकिन खास तौर से जिन आॅपरेटर्स के बारे में बात कही उनके स्टेटमेन्ट को मैंने देखा है पिछले डेढ़ दो महीने में काफी इफेक्टिव तरीके से रिकवरी की है। रिकवरी पूरी कर लेते लेकिन हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया।

श्री विजयसिंह झाला : एक फिगर बता दीजिये ?

श्री परसराम मदेरणा : हाईकोर्ट के इतने व्यापक आॅर्डर्स हैं कि जो रिकवरी है वह स्टे कर दी जाय।

श्री विजयसिंह झाला : फरवरी १९६४ से है।

श्री परसराम मदेरणा : दो तीन लाख की वसूली की। एरीयर्स रहते थे यह मैंने पहले भी कहा था। यह मैं दावा भी नहीं करता कि हमने पूरी की पूरी रिकवरी कर ली है हर साल की। रिकवरी करनी रह गई हो और कोई अपील में चला गया हो, अपील में चले जाते हैं और रिविजन में चले जाते हैं तो फैसले में देर लग जाती है, और इस कारण से रिकवरी रुक जाती है। जिनमें ज्यादा थी उनसे इफेक्टिव तरीके से की है।

श्री अध्यक्ष : रिकवरी का प्रश्न यहां नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : ८ हजार की बात करते करते, १ लाख की बात करने लग गये। सरकारी बस सर्विस....

श्री विजयसिंह झाला : सरकारी बस सर्विस का सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज।

श्री विजयसिंह झाला : On a point of clarification, Sir...

श्री अध्यक्ष : रिकवरी पर बहस कई दफा हो चुकी है।

श्री विजयसिंह झाला : पचास लाख रुपया बाकी है।

श्री अध्यक्ष : कृपया आप स्थान ग्रहण कर लें। कई बार आप कह चुके हैं। रिकवरी के बारे में कई बार बहस हो चुकी है।

श्री विजयसिंह झाला : On a point of clarification, Sir, ऐसा है कि,

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कर लें।

(विराम)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि राजस्थान पेसेन्जर्स एन्ड गुड्स टेक्सेशन (अमेन्डमेन्ट एन्ड वेलिडेशन) बिल, १९६४ को जिस प्रकार प्रवर समिति ने संशोधित किया है उसको विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री परसराम मदेरना : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पेसेन्जर्स एन्ड गुड्स टैक्सेशन (अमेन्डमेन्ट एन्ड वेलिडेशन) बिल, १९६४ को पारित किया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को यह ध्यान रखना है कि यह बिल कल ही पास होने को था और आज दो बिल और पास करने हैं उनमें समय कम करना पड़ेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उनको ध्यान में रख कर ही खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पेसेन्जर्स एन्ड गुड्स टेक्सेशन (अमेन्डमेन्ट एन्ड वेलिडेशन) बिल १९६४ को पारित किये जाने का प्रस्ताव माननीय उप मन्त्री महोदय ने सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है उसके सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। वैसे तो, अध्यक्ष महोदय, इस सदन में इस विधेयक पर काफी वादविवाद हो चुका है और उस वादविवाद का ही यह परिणाम था कि यह विधेयक सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया। सिलेक्ट कमेटी से आने के बाद इस सदन में कल भी इस पर विचार हुआ और सरकार की ओर से उस सम्बन्ध में आज जो उत्तर दिया गया, में निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात सही है कि यह विधेयक अभी पास होगा और इस विधेयक को पास करना भी होगा, कारण कि राजस्थान सरकार की फाइनेन्सेज का सवाल इसमें है लेकिन इसमें एक दो बातें जो मैं सरकार के ध्यान में रखना चाहता हूँ उनकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि फरवरी सन् १९६४ में हाई कोर्ट की तरफ से इस बात का स्टे ऑर्डर जरूर हो गया खास कर टैक्स की जो गलत बकाया की वसूली सरकार की ओर से की जा रही थी उसको स्टे कर दिया गया। सरकार की ओर से यह उत्तर दिया जाता है कि वह स्टे ऑर्डर इतना काम्प्रिहेन्सिव था कि सरकार की सारी बकाया की वसूली रुक गयी और राज्य सरकार के कोष में पैसा आना बन्द हो गया और इस कारण सरकार के सामने एक विकट परिस्थिति पैदा हो गई और इस कारण एक अध्यादेश राज्य सरकार को जारी करना पड़ा और यह वेलिडेटिंग बिल लाना पड़ा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि फरवरी, १९६४ में जब हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर जारी हुआ तो उस को कन्टेस्ट किया, सरकार ने जवाब पेश किया, क्या सरकार ने हाई कोर्ट के सामने अन्डरटेकिंग दी कि बकाया को बाद में इल्लीगल माना जायगा तो सरकार इसको वापिस कर देगी ? हाई कोर्ट में स्टे ऑर्डर होता है। कोई पार्टी जाय और नेचरली यदि सरकार जाती और वहां जाकर कहती कि सरकार यह अन्डरटेकिंग देने के लिए तैयार है कि बिना दावा पेश किये यदि हाईकोर्ट जो ऑर्डर सरकार

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

ने दिये उनको गलत करार दे देगी तो राजस्थान सरकार साहुकार की तरह बिना दावा पेश किये लोगों की रकम को वापिस दे देगी। लेकिन राजस्थान सरकार, राजस्थान का वित्त विभाग इस सम्बन्ध में जागरूक नहीं है कि हाई कोर्ट में जाकर कन्टेस्ट किया जाय सिक्योरिटी के लिये आश्वासन दिया जाय। राजस्थान सरकार अपने वकीलों के जरिये हाई कोर्ट में सिक्योरिटी ऑफर करती तो क्या यह खारिज हो सकता था? आप कन्टेस्ट नहीं करते, सिक्योरिटी ऑफर नहीं करते उसके बाद स्टे ऑर्डर हो जाते हैं। आपने सीलिंग का कानून बनाया, लगभग ५०० रिट याचिकायें इसके खिलाफ दायर कर दी गई, उन पर स्टे ऑर्डर ले लिया गया, सीलिंग कानून लागू नहीं हो सकता, उसके लिये स्टे ऑर्डर जारी हो गया, उस स्टे एप्लीकेशन का कोई जवाब नहीं पेश किया। आप स्टे एप्लीकेशन का जवाब पेश नहीं करें तो फिर हाई कोर्ट के सामने और क्या रास्ता हो सकता है? इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ इस प्रकार के मसलों में जब स्टे ऑर्डर जारी होता है स्टे एप्लीकेशन्स को कन्टेस्ट करना चाहिये। सिक्योरिटी ऑफर करनी चाहिये। खारिज करने के बाद केस कन्टेस्ट करना चाहिये। यहां तो इस प्रकार की परिस्थिति पैदा ही नहीं होती। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एक बात और है इस कानून द्वारा १९६१ का फाइनेन्स एक्ट, १९६२ का फाइनेन्स एक्ट, १९६३ का फाइनेन्स एक्ट इन सब को इसके द्वारा वेलीडेट करने की व्यवस्था कर रहे हैं। आखिर हमारा वित्त विभाग, विधि विभाग करता क्या रहा है? फाइनेन्स एक्ट पर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक था आखिर इस चीज को ध्यान में लाने की जिम्मेदारी किसकी थी? यहां विधान सभा में आते हैं, विधान सभा का समय जाया किया जाता है, कानून यहां से पास होने के बाद यानी चार साल के बाद आया। १९६१ के फाइनेन्स एक्ट के बारे में, जिसको हमने यहां पास किया था, उस पर प्रेसिडेन्ट की प्रायर एप्रूवल नहीं ली और इसी कमी के आधार पर इसको हाई कोर्ट में चेलेन्ज किया जा रहा है, लाखों करोड़ों रुपयों की वसूली रुक रही है। ऐसी सरकार जिसने विधान सभा में संविधान की धाराओं की कसमें खाई हैं, उसके अनुसार शपथ ली है जिसके आधार पर यहां बैठे हैं, उसी संविधान की धाराओं की अवहेलना कर कानून लाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जिस फाइनेन्स एक्ट को १९६१ में पास किया बिना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के, क्या उसमें संविधान की अवहेलना नहीं हुई? आखिर उसका कौन जिम्मेदार है? वित्त मन्त्री जिम्मेदार हैं या विधि विभाग जिम्मेदार है? आखिर किसी की रेस्पान्सिबिलिटी आपको फिक्स करनी होगी, आप इसके लिये किसी को उत्तरदायी नहीं ठहरायेंगे तो आज हम कानून बनाते हैं, अफसोस इस बात का है, राजस्थान विधान सभा कानून बनाती है गैर उत्तरदायित्व के कारण, गैर कानूनी मनोवृत्ति के कारण उसका, अपमान सदन को सहन करना पड़ता है। इससे बाहर यह असर होता है कि विधान सभा में कोई कानूनी बेन्च नहीं, राजस्थान विधान सभा कानून को नहीं समझती, बिना समझे ही कानून को पास कर देती है। जहां तक कानून के बनाने का सवाल है, यहां पर कानून जल्दी जल्दी बनते हैं, ड्राफ्ट को

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

देखते नहीं, ड्राफ्ट पेश कर देते हैं उस पर पूर्व स्वीकृति ली या नहीं, यह कोई नहीं देखता। कानून को इन्ट्रोड्यूस कर देते हैं और मेजोरिटी के आधार पर उसको पास कर दिया जाता है। कानूनी खामियों, संवैधानिक आपत्तियों की ओर ध्यान दिलाते हैं और कहते हैं कि यह संविधान की धाराओं के खिलाफ है, तो सरकार कहती है कि आप तो कानून पास करो, यह तो अदालतों के देखने का काम है। सरकार कानून पेश करते समय ही कानूनी अड़चनों, संवैधानिक आपत्तियों का निराकरण कर दे तो ऐसी परिस्थिति पैदा ही नहीं हो सकती। वलिडेटिंग बिल लाने की आवश्यकता ही न पड़े। मुझे सख्त अफसोस के साथ निवेदन करना पड़ता है आखिर ऐसे बिल जिन पर प्रेसिडेन्ट की स्वीकृति लेना आवश्यक है उनको बिना उनकी स्वीकृति लिये पेश कर देते हैं उसकी रेस्पोन्सिबिलिटी किसी पर फिक्स करनी होगी। किस अधिकारी की गलती से इस प्रकार के कानून सदन के सामने आ जाते हैं और वह सदन द्वारा पारित हो जाते हैं ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसका मतलब दे दिया है उसको शायद आपने सुना नहीं।

श्री बालकृष्ण कौल : उस समय माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डिसकस हो गया, मैं तो एक्शन चाहता हूँ। एक्शन के लिये अपील करता हूं। आप डिस्कशन करते हैं, डिस्कशन हुआ है ६१, ६२ और ६३ में जिन कानूनों को पास कर दिया उनके लिये एक्स्प्लेनेशन की जरूरत नहीं है, एक्शन की जरूरत है। उसी के लिये मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री बालकृष्ण कौल : वेलीडेशन बिल आया है यह उसी का तो एक्शन है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अब तो बकाया वसूल होगी। आपको तो चाहिये यह था कि ६१ में फाइनेन्स एक्ट बिना राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के प्रस्तुत कर दिया और वह पास कर दिया आखिर इसमें किसकी गलती थी जिसने सदन को आपको गुमराह करने की कोशिश की उसके खिलाफ आपको एक्शन लेना चाहिये। आप उसके लिये वेलीडेशन बिल ले आये आपको तो अपना खजाना भरना है। आपका जो यह रवैया है वह निन्दनीय रवैया है। आप एक तरफ गलतियां करते चले जांय, उसके लिये आपत्तियां उठायी जांय तो उस पर विचार न करें और उसको वेलिडेट करने के लिये आयें, इसके लिये केवल आप इस तरह से वेलीडेटिंग बिल लाकर आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते आपको रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिये कि किसकी गलती से यह सारा हुआ है।

इसके साथ साथ मैं सरकार से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि किसी आदमी ने दावा कर दिया, दावा करने के बाद डिक्री हो गई सरकार के खिलाफ, वह डिग्री एक्जीक्यूट नहीं होगी। मैं वित्त मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जस्टिस के आधार पर जिस आदमी ने दावा किया, जिसके लिये डिग्री हो गई, उसका दावा करना गलत नहीं था, आज भी अगर कोई दावा करता है तो वह गलत नहीं करता है, इस

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कानून के पास होने के बाद कोर्ट फीस लगाता है उसने क्या पाप किया जो आप की गलती से दावा करता है उसके लिये कोर्ट फीस लगाता है और खर्चा करता है तो आप इस तरह वेलिडेटिंग बिल लाकर सब पर पानी फेर देते हैं तो क्या आपकी गलती से जो कुछ हुआ है क्या उसको जितना पैसा उसका लगा है उसको वापिस करेंगे ? आप वापिस नहीं करेंगे तो जनता आपकी सरकार को बेईमान समझेगी, ईमानदार सरकार नहीं मानेगी। आपने कानून की खामियां रख दीं और उसके कारण लोग अदालतों में दावा करें, दावा करने के बाद कोर्ट फ़ीस लगाते हैं, कोर्टफ़ीस का एक बार रुपया दे दिया उसके बाद अदालत द्वारा डिक्री हो जाय, डिक्री इजराय नहीं हो सकती और दावा खारिज हो जाता है तो यह किसकी गलती से होता है ? लोगों को दावा करना पड़ा आवश्यक फ़ीस जमा करानी पड़ी उनका खर्चा देने की जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी चाहिये यह न्याय का तकाजा है, हमारे वित्त मंत्री महोदय तो पैसा बटोरने के लिये आतुर हैं चाहे जायज तौर पर आये या नाजायज तौर पर जाये, ईमानदारी से आवे या बेईमानी से आवे, सरकार तो केवल पैसा इकट्ठा करना चाहती है। इस तरह से कानून का राज नहीं होता। अगर किसी ने दावा कर दिया, डिक्री हो गई, अदालत द्वारा डिक्री हो गई।

आज जो अदालतें, हमने कानूनों के द्वारा संविधान के द्वारा बनाई, उनके द्वारा दी गई डिक्रीयों को हम एग्जीक्यूट होने से रोक दें इस तरह राजस्थान में हम लोकतन्त्र की जड़ों को हमारे प्रदेश में और देश में मजबूत नहीं कर रहे हैं बल्कि उसकी कब्रें ही खोद रहें हैं। यदि ऐसे ज्युडीशियल डिसीजन को इनवेलिड करार देने के लिये इस बिल को यहां सदन से आप वेलिड कराते हैं तो यह लोकतन्त्र की कब्रें आप खोद रहे हैं।

इसलिये थर्ड रीडिंग के समय इन मुख्य मुद्दों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए इतना कहना चाहूंगा कि केवल येन केन प्रकारेण पैसा बटोरने की नीयत न रक्खें। यह कानून का राज्य है, कानून का युग है कानूनी ढंग से हमें चलना होगा। यह सही है कि हमारे वित्त मन्त्री कानून नहीं जानते। पहले वाले कानून के मामले में अज्ञानी थे उसी तरह ये भी हैं। पर फिर भी आपके पास लॉ विभाग है, वित्त विभाग है। आप क्यों नहीं उनसे जानकारी करते हैं पहले ?

उनकी इसी गफलत के कारण आज सेल्स टैक्स कानून भी हाई कोर्ट से गैरकानूनी होने जा रहा है। इसमें भी आपने प्रेसिडेन्ट की प्रायर सेक्शन नहीं ली। आप इस सेल्स टैक्स पर भी आर्डिनेन्स जारी करेंगे। फ़िर आप वेलिडेटिंग कानून लेकर यहां सदन में आवेंगे। इसलिए निवेदन करूंगा कि बाकी झगड़ों को छोड़कर आप इन बातों पर विशेष ध्यान दीजिये, आपने इन लॉ और वित्त विभागों को कसिये। किसकी गलती से ऐसा होता है इसकी रेस्पोन्सिबिलिटी फ़िक्स अप करके उनको सजा दीजिये ताकि आगे से ऐसी गलती करने वालों के लिये नजीर रहे।

जिनके पास आपका पैसा जमा है उनसे आप उसे वसूल करें इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, बल्कि हमारी तो यह शिकायत

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आपसे रही है कि आप उनसे अपना पैसा क्यों नहीं वसूल करते, पर करें आप कानूनी ढंग से। यह वसूली गैर कानूनी ढंग से न करें। आप पैसा वसूल करते रहें गैर कानूनी ढंग से पर आप इसकी रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स करने को तैयार नहीं। फरवरी में ऑर्डिनेन्स जारी किया तो अप्रेल के सेशन में कानून क्यों नहीं पेश किया आप ने? किस बात की आपको इन्तजार थी? लोगों ने रिट याचिकाएं पेश कीं, आपको मालूम था, फिर ११ अप्रेल तक कानून पेश क्यों नहीं किया? अब जिन लोगों ने आपके खिलाफ डिक्री ले ली, स्टाम्प लगाये, खर्चा किया, उनका क्या होगा? इमानदारी तो यह है कि आप उनका यह खर्चा उनको वापिस दें। आप अगर यह कहें कि हाई कोर्ट क्या फैसला करता है इसका इन्तजार करते रहें, तो हाई कोर्ट का फैसला तो आज भी नहीं हुआ। आज फिर यह बिल क्यों लाये? आपके मन में पाप क्यों उपजा? यह शंका क्यों आपके मन में पैदा हुई कि हाई कोर्ट आपके खिलाफ फैसला देगा इसलिये इस कानून की जरूरत है।

हाई कोर्ट में चलने वाले मुकद्मों में आपके साथ ऐसा ही हुआ। यूनिवर्सिटी वाले मामले में ऐसा हुआ। उस पर भी सदन में वेलिडेटिंग बिल लाये। यह मनोवृत्ति आपकी खतरनाक है। आप चाहे बहुमत के जोर पर ये कानून सदन में पास करवा लें पर दुनियां में कोई नहीं कहने वाला है कि यह ईमाननार सरकार है, साहूकार सरकार है। आम जनता में इस को चर्चा है कि यह सरकार बेईमान सरकार है, चोर सरकार है, कानून गलत सलत सदन से पास करवा लेती है, उसमें कानून की खामियां रख देती है, उसके लॉ डिपार्टमेन्ट सोते रहते हैं, उनके साथ कड़ाई से एक्शन नहीं लेती यह सरकार। वह लापरवाह है तो भी कुछ नहीं कहती उसे। फिर कोई अदालत में जाता है, वहां कानून गैर कानूनी घोषित हो जाता है, तो यहां उसे वेलिडेट कराने को आ जाते हैं। इसलिये जनता की यह धारणा भी बन गई है इस सरकार के लिये कि इस सरकार को अदालतों का डर नहीं है, हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर का भी डर नहीं है, रिट पिटिशन भी चाहे कोई करता रहे, उसका भी महत्व इस सरकार के सामने कुछ नहीं है। संविधान की धारा २२६ का भी इसने कुछ महत्व नहीं रक्खा। तो मैं निवेदन करता हूं कि आम जनता में आपके प्रति यह धारणा बनती जा रही है कि यह सरकार पैसे के नाम पर, उसे इकट्ठा करने के नाम पर बेईमान होती जा रही है। इसलिये निवेदन करता हूँ कि ऐसी बातें अधिक सुनने को न मिलें इसके लिये आप लॉ विभाग में किसकी गलती से यह होता है उस पर रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स करें। हम नहीं चाहते कि सरकार के खजाने में पैसा नहीं आए, हम खजाने में पैसा लाना चाहते हैं पर जिस ढंग से आप लाना चाहते हैं, कानून का उल्लंघन करके संविधान का उल्लंघन करके, अदालतों का अपमान और अवमानना करके उस तरह से नहीं। कानून का संविधान का पालन करके लाना चाहते हैं हम। कानून बनाना विधान सभा का काम है। राजस्थान में बनने वाला हर कानून सही तरीके से कानूनी ढंग से बने यह विधान सभा को देखना चाहिये। सदन को देखना चाहिये कि कोई भी कानून संविधान की धाराओं का पालन करते हुए बने पर यहां भी कहीं इस

Page No. 62

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सरकार के अनुत्तरदायित्वपूर्ण रवैये के कारण ऐसा नहीं हो जावे कि सदन को भी ऐसी बात सुननी पड़े । इसलिये, अध्यक्ष महोदय, यह सारी स्थिति जो पैदा हुई है आज इस सरकार की फोरसाइटेडनैस के अभाव के कारण और इस सरकार के विधि विभाग के निकम्मेपन के कारण हुई है । इसे बदला जाय । विधि विभाग के इस निकम्मेपन के बारे में निवेदन करूंगा कि उस पर रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स की जाय । वे कहेंगे हम क्या करें, वित्त विभाग जाने । वित्त विभाग कह देता है हम तो लॉ विभाग को भेज देते हैं । तो यह लॉ विभाग की खामी है, वे अपनी जिम्मेदारी टालने की कोशिश करते हैं पर जिम्मेदारी इस तरह से टालने से काम नहीं चलेगा । आप पर जिम्मेदारी आई तो लॉ विभाग पर डाल दी । आप यह कहते क्यों नहीं कि इस कानूनी खामी के कारण मथुरादासजी को बर्खास्त किया जावे ।

श्री बालकृष्ण कौल : जहां इतने काबिल वकील बैठे हैं वे भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना वित्त विभाग ।

श्री अब्दुल जब्बार : हाउस तो ब्रूट मेजोरिटी पर चलता है, उन काबिल वकीलों की सुनता कौन है यहां ?

श्री बालकृष्ण कौल : एक तरफ तो ऐतराज नहीं किया उस समय, फ़िर यह कहें कि सदन की जिम्मेदारी नहीं है यह गलत है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं तो जिम्मेदारी भूतपूर्व वित्तमन्त्री पर डाल रहा हूं ।

श्री बालकृष्ण कौल : यह कह सकते हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो आप इसके लिये तो खुश हैं कि आपके भूतपूर्व मन्त्री बदनाम हों । उनको बर्खास्त कर दिया जावे तो आपको खुशी है ?

श्री बालकृष्ण कौल : आप भी भूत थे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं नहीं था । आप थे जरूर । नहीं तो, अब भूत हो जावेंगे । जैसे वे भूत हो गये, वैसे आप भूत हो जावेंगे । फिर नहीं आवेंगे आप लौट कर इस सदन में ।

श्री बालकृष्ण कौल : हम तो यहां पर बैठे राज्य करते हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हम तो यहां पर पोइन्ट्स रेज करते हैं । अनेक बार कहते हैं कि यह कान्स्टिट्यूशन के खिलाफ है । पर सरकार का क्या रवैया है कि यह कानून कान्स्टिट्यूशनल है या नहीं यह अदालत देखेगी । शासन की स्थिति तो स्वीकार कर सकते हैं । पर सरकार यह जवाब दे कि यह कान्स्टिट्यूशनल है या नहीं तो यह अदालत देखेगी ....

श्री बालकृष्ण कौल : यह कभी सरकार नहीं कहती ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हर कानून पर कहती है, इसकी साक्षी तो शासन स्वयं है । सरकार की तरफ से हमेशा यही जवाब मिलता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कोई, यह अदालतें डिसाइड करती हैं । फिर जब अदालतों में मामला जाता है, तो पैरवी करते फिरते हैं,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आॅर्डिनेन्स इश्यू करते हैं, भागे भागे वेलिडेट कराते हैं। तो पहले तो कहते हैं डिसाइड करने दो अदालतों को और जब अदालतों का फैसला होता है तो फिर उसके कॉन्सिक्वेन्सेज को फेस करने की हिम्मत भी रक्खो भागते क्यों हो ? कॉन्सिक्वेन्सेज को फेस करने की क्षमता रक्खो।

श्री बालकृष्ण कौल : जिन्होंने पैसेन्जर टैक्स वसूल कर लिया वह उनके पास ही रहने दिया जाय, यह आपका मतलब है कहने का। आप क्या यह चाहते हैं ? कानून में कोई टैक्निकल गलती रह गई हो और इसके बिना पर जो वाजिब टैक्स हम वसूल करने जा रहे हैं उसे भी वसूल न किया जाय तो मैं नहीं समझता कि क्यों इसके लिये इतनी दलीलों का अम्बार लगाया जा रहा है। इन टैक्निकल गलतियों का आधार लेकर कहने के पीछे उनकी क्या मंशा है कि यह टैक्स न वसूल किया जाय, नालायक हैं गलती की है, हाउस ने गलती की, विधि विभाग ने की, जिसने कानून बनाया उसने की किसने की, मैं कहता हूं जिसने कानून पास किया उसने की, अगर गलती यह है ही तो। पर मैं नहीं मानता गलती है। इसलिये नहीं मानता कि उन सरकम्स्टेन्सेज में जो गलती हुई है वह गलती नहीं मानी जा सकती।

अगर यह मान लिया जावे कि हर चीज जो यहां से पास होती है सही हो, तो ये हाई कोर्ट मौजूद हैं, हम बहुत से कायदे कानून बनाते हैं तो हाई कोर्ट तो उनका इन्टरप्रिटेशन दूसरा लेता है। तो उस वक्त हमारी मजबूरी होती है। हम फिर उस वक्त यह कहते हैं कि इसे ठीक कर दो। पर इतनी सी बात पर जो यह दलीलों का अम्बार लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि यह बेइन्साफी है इसे वापिस ले लिया जावे। एक तरफ तो एक साहब कहते हैं कि जो पैसा जमा पड़ा है उनके पास तो यह एक क्रिमिनल आॅफेन्स है, फौजदारी केस उन पर बनाया जावे और दूसरी ओर यह कहते हैं कि छोड़ दिया जावे इनजस्टिस हो जावेगा, लिया गया तो बेइन्साफी हो जावेगी, तो मैं कहता हूँ बेइन्साफी तो उस वक्त हो जावेगी जब वह नहीं लिया गया।

श्री विजयसिंह झाला : यह टैक्निकल डिफिकल्टी तो आप बहुत पहले भी ठीक कर सकते थे, और यह आप आज तक क्यों टालते रहे ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुझे इस बात की तो खुशी है कि माननीय वित्त मन्त्रीजी ने कहा कि जो कुछ नालायकी हुई वह तो हो गई, तो नालायकी तो अपनी मान ली।

श्री बालकृष्ण कौल : नहीं, मैंने यह नहीं कहा कि नालायकी हुई।

श्री भैरोंसिंह : आपकी सब बातों का सार यही निकलता है।

श्री बालकृष्ण कौल : हमारे दिल और दिमाग में ये इस तरह घुसे हुए हैं, दिल दिमाग को इस तरह से पढ़ते हैं जैसे मालूम होता हो ये अल्ला मियां के अवतार हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपके दिल दिमाग में घुसने का इरादा नहीं है क्योंकि इसमें घुसकर निकले तो वह सड़ा हुआ ही होगा।

श्री बालकृष्ण कौल : निकल नहीं रहा है।

श्री अब्दुल जब्बार : 'लिबासे जाहिरी से हरगीज दिल की हकीकत नहीं छिपती। जिस तरह फानूस में शम्मा की उर्यानी नहीं जाती।"

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इनको रोका जावे, नहीं तो इधर से भी शायरी शुरू हो जावेगी। दोनों ही उर्दू के बड़े शायर हैं।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था माननीय वित्त मन्त्री जी को कि मैंने कभी नहीं कहा कि जो लोगों ने वसूल किया है उसको आप वसूल न करें। लेकिन इस सदन में मांग इस बात की है कि सरकार का जो पैसा लोगों ने वसूल कर लिया है उसको सरकार ने वसूल नहीं किया और जायज रूप से जो सरकार कर सकती है वह भी उसने वसूल नहीं किया। कल भी सदन में इस बात की मांग की गई थी कि उन लोगों से पैसा वसूल किया जाये जिन्होंने कि लोगों से वसूल कर लिया है, वह सरकार का ही पैसा था। किसी भी माननीय सदस्य ने यह भी नहीं कहा कि आप वसूल न करें। उनको जल्दी से जल्दी वसूल करें और जल्दी से जल्दी वसूल करना चाहिए था। हम तो यही कहते हैं कि अभी तक क्यों नहीं किया? प्रश्न इतना सा है कि फरवरी में स्टे आर्डर हुआ तो आपने कन्टेस्ट क्यों नहीं किया? आपने सिक्योरिटी ऑफर क्यों नहीं की? जो आपकी तरफ से पैरवी करते हैं उस बात की तरफ मैं थोड़ा जाना चाहता हूं। आपने पिछले बजट सेशन में कानून क्यों नहीं पेश किया? ऑर्डिनेन्स को जारी करने की नौबत क्यों आई?

श्री बालकृष्ण कौल : अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी गलत फ़हमी दूर कर दूं कि उसी समय गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया के पास प्रेसीडेन्ट की स्वीकृती के लिए भेजा था फाइनेन्स बिल अलग था उससे पहले ली। उनकी इजाजत उस समय तक नहीं मिली थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : १९६१-६२ और ६३ में क्यों नहीं ली? उसकी रेस्पान्सिबिलिटी किस की है? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इन बातों का भविष्य में ध्यान रखे कि ऐसी स्थिति कभी पैदा न हो क्योंकि यह ऐसा बिल है जिसके ऊपर सदन को बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम करना पड़ता है। सरकार को इस बात का एश्योरेन्स देना चाहिए कि इस संबन्ध में वह रेस्पान्सिबिलिटी फिक्स-अप करें, लीगली वेसेज को अच्छी तरह से कन्टेस्ट करें और आर्डिनेन्स जारी करने के बजाय तुरन्त सदन में कानून पास करें और जिन लोगों के ऊपर बकाया है उन सारे लोगों से जितनी भी बकाया है, चाहे वह सुखाड़िया साहब के साले हों, चाहे आपके दामाद हों, उनसे सख्ती के साथ वसूली करे। इन शब्दों के साथ इस थर्ड रीडिंग पर मैं अपने विचार रखता हूं।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त) : अध्यक्ष महोदय, इनके लास्ट पाइन्ट का जवाब मैं पहले देना चाहता हूं।

(श्री परसराम मदेरणा)

जहां तक रिकवरी का प्रश्न है चाहे कोई भी हो दामाद हो, भाई हो या साला हो जिस समय मैंने सदन में अभी कहा था उस समय शायद माननीय सदस्य नहीं थे, यहां सदन में। मैंने उस संबंध में यह कहा है कि पूरे इफेक्टिव तौर पर वसूली की जायेगी। कौन किस का क्या रिश्तेदार है, क्या नहीं इसका कोई ख्याल नहीं रखा जायेगा। लेकिन जो टैक्स ड्यू हैं और जो पब्लिक एक्सचेकर में आना चाहिए उस टैक्स की रिकवरी में किसी प्रकार की लीनियेन्सी नहीं बरती जायेगी, इतना मैं इसके लिए आश्वासन देना चाहता हूं।

दूसरा माननीय सदस्य ने कहा कि जब हाई कोर्ट के सामने स्टे आर्डर आया तो फिर आपने कन्टेस्ट क्यों नहीं किया। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए निवेदन कर दूं कि जब यह डिसकस हो रहा था तो हमने उसको कन्टेस्ट किया है और हमारे कन्टेस्ट करने के फलस्वरूप ही सिक्योरिटी का प्रावधान मोटर आपरेटर्स के लिए हाई कोर्ट ने किया है। कोटा ट्रान्सपोर्ट कम्पनी के बारे में हाई कोर्ट ने लिखा है कि इन व्यक्तियों से २ लाख ५३ हजार २५ रुपये की सिक्योरिटी ली जाये और उसके बाद में असेसिंग अथारिटी देख ले कि सिक्योरिटी पूरी है या नहीं। इस तरह से हर एक से सिक्योरिटी ली गई है और यह कहना कि कन्टेस्ट नहीं किया बिलकुल बेबुनियाद बात है—

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने सिक्योरिटी क्यों नहीं आफर कर दी? राजस्थान सरकार की तरफ से हम सिक्योरिटी देते हैं। सिक्योरिटी दोनों आफर कर सकते हैं, both parties can offer security to the High Court for vacating orders,

वह सिक्योरिटी आफर करते हैं स्टे आर्डर कन्फर्म कराने के लिए आप सिक्योरिटी आफर करते हैं वेकेट कराने के लिए।

श्री परसराम मदेरणा : गवर्नमेन्ट की तरफ से गवर्नमेन्ट एडवोकेट पैरवी कर रहे थे जो कि अभी हाई कोर्ट के जज हैं और जो भी कानूनी मुद्दे थे वह उन्होंने उठाये। हमने सिक्योरिटी की बात कही है या नहीं यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको सिक्योरिटी आफर करनी चाहिए थी।

श्री परसराम मदेरणा : In the absence of the information as to what the Government Advocate said there. I can not say. अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात माननीय सदस्य ने यह कही कि तीनों बिलों के ऊपर....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गवर्नमेन्ट को कोई कैश सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। आपने अपनी तरफ से कोई सिक्योरिटी आफर नहीं की। आप अपने एडवोकेट से पूछ लो।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने रूल आफ ला और कानून के युग की बहुत बड़ी बड़ी बातें कान्सटीट्यूशनल लौइयर की हैसियत से सदन के सामने रखीं। मैं तो आपसे एक बात पूछना चाहता हूं और आप मुझे एक बात यह बता दें कि यह गुड्स और

(श्री परसराम मदेरणा)

पैसेंजर्स टैक्स लिस्ट २ जो कि स्टेट लिस्ट है इसमें स्पेसिफिकली कहां लिखा है कि उसकी प्रीवियस सेंक्शन जरूरी है। मैंने जिस समय ग्रोटोमोबाइल की थियोरी का विवेचन सदन में किया उस समय माननीय सदस्य यहां मौजूद नहीं थे ग्रौर जब ऊंचे लोग दूसरे व्यूज रखते हैं तो ला डिपार्टमेन्ट को कैसे रेस्पान्सीबल मान सकते हैं ग्रौर ला डिपार्टमेन्ट के बारे में यह कहना कि उसने जानबूझकर गलती की है या उनके ऊपर पैनल्टी इम्पोज की जानी चाहिए यह सब बातें निराधार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो इसका इन्टरप्रिटेशन लिया है ग्रौर मैंने ग्रास्ट्रेलिया के कान्सटीट्यूशन को भी देखा है तो मैं एक नतीजे पर पहुँचा हूं कि ला डिपार्टमेन्ट किसी प्रकार से भी इसमें दोषी नहीं है। ग्राप ही बतायें कि कान्सटीट्यूशन में कहां लिखा है ? कान्सटीट्यूशन में फाइ-नेन्स बिल के संबंध में नहीं लिखा है। हमने तो टैक्स की रेट को इन्क्रीज की है ग्रौर उसको इन्क्रीज करने के फलस्वरूप ३०१ ग्राफेन्ड होती है तो उसमें जो सब रूल्स ३०१ से ३०७ तक हैं वह प्रोवाइजो हैं। उसमें लिखा हैं कि ग्रगर स्टेट लेजिस्लेचर ऐसे टैक्सेशन मैजर्स लेती है ग्रौर उसकी वजह से फ्रीडम टू ट्रेड में रेस्ट्रिक्शन्स होती हैं ग्रौर ग्रगर वह पब्लिक इन्टरेस्ट में है तो प्रेसीडेन्ट की प्रीवियस ग्रसेन्ट लेकर ही इन्ट्रोड्यूज किया जा सकता है। वह एना-माली हमारे सामने नहीं थी। दूसरी बात मैं निवेदन कर दूं कि ६३ का जो एक्ट है उसके ऊपर स्टे ग्रॉर्डर नहीं दिया है। यह कहना कि कान्सटीट्यूशन के स्पेसिफिक प्रावीजन ये उनको इग्नोर करके ला डिपा-र्टमेन्ट ने राज्य सरकार को स्टे ग्राडॅर लाने के पहले दूसरी सलाह दी है ऐसी बात नहीं है। ग्रगर ग्राप रूल ग्राफ ला की बात कहते हैं उसमें कान्स्टीट्यूशन मेकर ने इसको रखा है उसका इन्टरप्रिटेशन रखने की उनकी इन्टेन्शन क्या थी उसमें कई प्रकार के इन्टर-प्रिटेशन किये जा सकते हैं ग्रौर बहुत राय होती है तो ला डिपार्टमेन्ट को दोषी ठहराने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। इसलिए जो भी पाइन्ट्स यहां पर रेज किये हैं ग्रगर वह सदन में बैठे रहते तो उनको जानकारी हो जाती। माननीय सदस्य तो ऐसी बात कह रहे हैं जो कि गलतफहमी रखती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ग्रगर प्रीवियस सेंक्शन की जरूरत नहीं है तो फिर ग्राप लाते ही क्यों हैं ? ग्राप मानकर क्यों चलते हैं कि प्रीवियस सेंक्शन की जरूरत क्या है।

श्री परसराम मदेरणा : इसमें कई तरह के काम्पलीकेशन्स पैदा हो सकते थे। फ्लो ग्राफ पैसेंजर्स हो रहा था। जो ग्रादमी बैठे हुए थे उनको मूवमेन्ट की फ्रीडम थी। यह मैटर ग्राफ इन्टरप्रिटेशन था। मैं ग्रापसे यह कहता हूं कि ग्राप उन केसेज को पढ़िये। जब कभी इस प्रकार के केसेज जो कि कान्सटट्यूशन के पार्ट १३ के संबंध में कोई भी मुद्दे सुप्रीमकोर्ट में गये हैं तो हमेशा डीसेन्टिग व्यूज रहे हैं। तो वह भी दूसरा इन्टरप्रिटेशन ले सकते हैं। तो कोई ला की सरटेन्टी नहीं थी। ६२ के पहले उस समय यह एक्वीसेज करना कि ला डिपार्टमेंट इस तरह को पहले राय दे देता, मैं सम-झता हूं कि हमारे ला डिपार्टमेन्ट से ऐसा एक्सपेक्ट कैसे किया जा सकता है ग्रौर मैं यह समझता हूं कि जो माननीय सदस्य समझ गये बहुत ग्रच्छी तरह से उन्होंने स्वागत

(श्री परसराम मदेरणा)

किया है, सिर्फ कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने और जो आर्डिनेन्स के बारे में नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य हैं, वे बहुत कुछ कहा करते हैं क्योंकि आर्डिनेन्स के वे बहुत भुक्तभोगी रह चुके हैं, फ्रीडम मूवमेंट के वक्त के, उन्होंने खास तौर से इस वेलिडेटिंग और एमेंडिंग बिल का स्वागत यह कह कर किया है कि अगर कोई एनोमली खड़ी हो गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी स्टेट्यूट के इन्टरप्रिटेशन के फलस्वरूप तो वह एनोमली मीट आउट होनी चाहिए, लेकूना रिमूव किया जाना चाहिए, डिफेक्ट को क्योर किया जाना चाहिए। इसलिए यह बिल लाये हैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, एक स्पष्टीकरण करें कि यह अध्यादेश जब पेश हुआ उसके बाद में हाई कोर्ट की इस संबंध में पेशी पड़ी या नहीं और उसके बाद में सरकार ने स्टे को वेकेट करने के लिए मूव किया है ?

श्री परसराम मदेरणा : स्टे वेकेट करने के लिए जितनी भी एप्लीकेशन्स हुई हैं उनका रिप्लाई हम आज सबमिट कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम आज ही इसके स्टे को वेकेट करने के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आर्डिनेन्स के जारी करने के बाद क्या किया ?

श्री परसराम मदेरणा : आर्डिनेन्स जारी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ा।

(हंसी)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह मिसयूज आफ कान्स्टीट्यूशनल पावर्स हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पैसेन्जर्स एण्ड गुड्स टैक्सेशन (एमेंडमेंट एण्ड वेलीडेशन) बिल, १९६४ को पारित किया जाय।

(स्वीकृति)

विधायक पारित किया गया

(विराम)

डूंगरपुर देवस्थान निधि (एमेंडमेंट) बिल।

(१०. ५१ म० पू०)

डूंगरपुर राज्य देवस्थान निधि (संशोधन) विधेयक, १९६४

(विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, राजस्व) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि डूंगरपुर राज्य देवस्थान निधि (संशोधन) विधेयक, १९६४ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

मन्त्री महोदय, संक्षेप में बता दें ताकि इस पर बहस की आवश्यकता नहीं हो।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्ष जब राजस्थान की सभी रियासतों

Page No. 68

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

का एकीकरण मर्जर के जरिये हुआ उससे कुछ समय पहले डूंगरपुर रियासत में धर्मार्थ विभाग था उस धर्मार्थ विभाग को समाप्त करके डूंगरपुर महारावल ने एक निधि कायम की और इस निधि का एक एक्ट प्रोमलगेट किया राजस्थान बनने से १५—२० रोज पहले और उसके जरिये जितने मन्दिर जिनकी संख्या इस शेडूल में दी हुई है जो कि लगभग ३१ की है उन सारे मन्दिरों को और उनकी व्यवस्था को उस निधि के अन्दर निहित किया जो कि उनके स्वयं के नाम से रखी गई थी "लक्ष्मण निधि"। उनका इन्तजाम रखने और उनके फण्ड्स के बारे में और सारी चीजों के बारे में उस एक्ट के अन्दर व्यवस्था की गई।

जो मेन डिस्प्यूट खड़ा हुआ वह यह था कि उसके अन्दर में इस प्रकार का प्रावधान था कि हिज हाईनेस महारावल डूंगरपुर में वह वैस्ट होगा और वही सब कर्ताधर्ता होंगे और उस निधि के प्रेसीडेन्ट होंगे। इस बात पर आगे चलकर यह डिस्प्यूट खड़ा हुआ कि हिज हाइनेस महारावल डूंगरपुर जब हिज हाईनेस नहीं रहे तो उनके टेम्पुल्स का मैनेजमेंट हिज हाईनेस के बजाय जब राजप्रमुख आफ राजस्थान हो गए उनमें वैस्ट हो। इस प्रकार का विचार सामने आया और यह डिस्प्यूट राजस्थान सरकार और डूंगरपुर महारावल के दरम्यान खड़ा हुआ। इस पर डूंगरपुर महारावल हाई कोर्ट में रिट के जरिये १९५६ में गये और १९५७ के अन्दर राजस्थान की हाई कोर्ट ने यह फैसला किया कि राजस्थान सरकार द्वारा इन मन्दिरों की व्यवस्था के सम्बन्ध में हिज हाईनेस इन्टर फियर न करें।

इसके बाद में १९५७ के अन्दर जब यह फैसला हुआ उसके बाद में गवर्नमेंट आफ इंडिया और राजस्थान सरकार के दरम्यान करसपोन्डेन्स चली वह इस बात पर चली कि संविधान के लागू होने के बाद जो यह डूंगरपुर निधि एक्ट है जो कि ४८ में बना था उसके अन्दर कुछ प्रावधान ऐसे थे, मलसन लेवी के प्रावधान, टैक्सेशन से एक्जेम्पशन और दूसरे एक्जेम्पशन्स के प्रावधान थे और इसकी कई धाराओं में इत्तिफाक नहीं था लीगली ड्राफटेड ठीक नहीं होने की वजह से। एक तरफ तो यह कहा गया था कि यह ट्रस्ट कारपोरेशन होगा और दूसरी तरफ यह कहा गया कि सारे मन्दिरों की व्यवस्था निहित होगी डूंगरपुर महारावल में। इस तरह के कुछ कन्ट्राडिक्शन्स सामने आये, और यह भी सामने आया कि जो संविधान की धाराओं की मन्शा है उन मन्शाओं के प्रतिकूल कुछ प्रावधान हैं उनकी दुरुस्ती की जाय।

इसके ऊपर राजस्थान सरकार ने भारत सरकार की सलाह लेकर १९५९ के अन्दर एक एमेंडिंग बिल प्रस्तुत किया और वह बिल इस विधान सभा में अक्टूबर में पारित किया गया। उस बिल के पारित हो जाने के बाद भी डूंगरपुर महारावल साहब को उस एमेंडिंग बिल के सम्बन्ध में एतराज हुआ। उनका यह मानना था कि यह इनवेलिड है, इल्लीगल है और अल्टा वायर्स है और फिर उन्होने हाईकोर्ट के अन्दर रिट दाखिल किया। वह रिट जारी कर रहे थे कि उनके तरफ से यह प्रस्ताव आया कि यह ५ मन्दिर जो इन ३१ मन्दिरों के

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

अन्दर हैं जो कि सूची में दर्ज हैं इन मन्दिरों की विशेषता यह है कि हमारे खानदान का उन से ताल्लुक है यानी उनके जो पूर्वज हैं या उनकी फेमिली है उनकी हिस्ट्री से उन देवी-देवताओं का ताल्लुक होने की वजह से और जो कवेनेन्ट के जरिये उनकी जो पर्सनल प्रापर्टी रही है उस पर्सनल प्रापर्टी के प्रेमिसेज के अन्दर एक्सक्लूजिवली होने के आधार पर उनके वकील ने यह कहा कि यदि इस प्रकार की व्यवस्था हो जाय तो हिज हाइनेस डूंगरपुर यह बात मानने को तैयार हैं कि जो व्यवस्था सरकार उस एक्ट के जरिये करना चाहती है, वह करे। राजस्थान सरकार ने इस पर विचार किया और इस विचार का यह नतीजा सामने आया कि ५ मन्दिर जो कि सूची में बताये गये हैं वह ऐसी जगह स्थित हैं कि जो उनकी पर्सनल प्रापर्टी की प्रेमिसेज के अन्दर है और उसके अन्दर आम तौर पर बाहर का आदमी पूजा करने के लिए नहीं जाता है, बल्कि उनके स्वयं के कुल के देवी-देवता जिस प्रकार के हुआ करते हैं उस प्रकार के हैं। इसलिए इन मन्दिरों को वापिस हिज हाईनेस डूंगरपुर के सुपुर्द कर दिया जाय। इस प्रकार का सरकार ने फैसला किया। सरकार ने यह फैसला केवल डूंगरपुर महारावल के लिए ही किया हो यह बात नहीं है। सरकार ने जितने मन्दिर राजा-महाराजाओं की पर्सनल प्रापर्टी की प्रेमिसेज के अन्दर हैं और एक्सक्लूजिवली उन्हीं के यूज में आते हैं और जिनका बाहर की जनता से कोई सम्बन्ध नहीं है, ऐसे मन्दिर चाहे जयपुर के महाराज, जोधपुर के महाराज, डूंगरपुर व उदयपुर के महाराज के हों सभी लोगों को देने का फैसला सरकार ने किया। उससे दो लाभ सरकार को होते हैं। एक तो डूंगरपुर महारावल का जहाँ तक सम्बन्ध है उनकी रिट चल रही है जिस में उसकी वेलिडिटी को उन्होंने चैलेन्ज किया था वह दूर होगी और दूसरा सब से बड़ा लाभ जो सरकार को है यह है कि राजस्थान मे राजा-महाराजाओं की पर्सनल प्रापर्टी की प्रेमिसेज में मन्दिर हैं उनको ग्रान्ट इन एड दी जाती है वह ग्रान्ट इन एड की रकम सारे मन्दिरों की तुलना में काफी हो जाती है तो सरकार ने मुनासिब समझा कि जब यह मन्दिर आम जनता के काम नहीं आते हैं, यह उनकी पर्सनल प्रापर्टी की प्रेमसेज के अन्दर हैं वे जहा स्वयं ही उसका उपयोग करते हैं तो उनका खर्चा सरकार क्यों भुगते ? इसलिए उन मन्दिरों को उनके सुपुर्द करने का फैसला किया, और साथ ही साथ यह भी फैसला किया कि इनकी व्यवस्थायें अपने तौर पर करें। उनको ग्रान्ट-इन-एड नहीं दी जाय। उस फैसले के फलस्वरूप और इस आफर के फलस्वरुप जो डूंगरपुर महारावल की तरफ से आई थी उन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने यह मुनासिब समझा कि इन ५ मन्दिरों को इनके सुपुर्द कर दिया जाय। इनकी ग्रान्ट-इन-एड जो करीब १५०० रुपये होती है वह बन्द कर दी जाय और हिज हाइनेस डूंगरपुर इन की स्वयं अपनी जेब से व्यवस्था करें।

यह जो बिल रखा है हमने उस बिल में इन सब बातों का प्रावधान रखा है कि यह ५ मन्दिर जिनका नाम लिस्ट में लिखा हुआ है हिज हाईनस डूंगरपुर के सुपुर्द कर दिये जांय और वे उनकी व्यवस्था करें और ग्रान्ट इन एड नहीं दी जायगी, और वे इनका

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

इन्तजाम स्वयं करेंगे। इस बिल की मन्शा यह है और इस कार्यवाही पर यह बिल लाया गया है।

(११.०० म० पू०)

श्री अध्यक्ष : कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो बोल सकते हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रस्ताव रखा है...

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव न भी रखें तो भी बहस में हिस्सा ले सकते हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : (प्रस्ताव इस प्रकार है—

"डूंगरपुर राज्य देवस्थान निधि (संशोधन) विधेयक, १९६४ को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परचालित किया जावे।")

डूंगरपुर राज्य देवस्थान निधि (संशोधन) विधेयक उपस्थित हुआ है उसके सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है जैसा कि मन्त्रीजी ने बताया बहुत से ऐसे मन्दिर थे जो एक्सक्लुजिवली इन पजेशन ग्रोफ हिज हाइनेसेज थे, जिनका ताल्लुक ग्रलग ग्रलग स्टेट्स के हिज हाइनेसेज से था, और उनके रेजिडेंशियल मकानों में स्थित होने के कारण और दूसरी पब्लिक का एन्ट्रेन्स नहीं होने के कारण उनको दिये हैं लेकिन इस प्रकार के भी बहुत से मन्दिर हैं जो एक्सक्लुजिवली उनकी बिल्डिंग्स के ग्रन्दर हैं लेकिन पब्लिक यूज में ग्राते हैं, जनता के लोग वहाँ पर दर्शन करने जाते हैं। यदि ग्राप राजस्थान में जगह जगह देखेंगे तो बहुत से ऐसे पैलेसेज हैं जिनमें जो मन्दिर बने हुए हैं वहां पर ग्रब भी लोग मन्दिर दर्शनार्थ जाते हैं और वहां पर एक्सक्लुजिव पजेशन राजाग्रों का नहीं है लेकिन मन्दिर उनके मकानों में स्थित है इसलिये यह बात स्पष्ट नही होती कि जो एक्स्क्लुजिवली उनके पजेशन में है लेकिन जनता का एन्ट्रेंस उन तक है उनके बारे में क्या व्यवस्था होगी।

इसके ग्रलावा दूसरे ऐसे मन्दिर हैं जो राजामहाराजाग्रों के ग्राधीन थे लेकिन बाद में राजस्थान गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिये। लेकिन ग्रब तक सरकार द्वारा उनका प्रबन्ध नहीं किया गया ऐसे मन्दिरों का प्रबन्ध कैसे होगा? बहुत से जागीरदारों और राजा महाराजाग्रों से मकानों में मन्दिर थे जिनमें सेवा पूजा राजा महाराजा और जागीरदारों की तरफ से होती ग्राई थी। लेकिन १०-१५ साल से जब से यह गवर्नमेंट बनी है, भारत ग्राजाद हुग्रा है इस ग्ररसे के दरमियान बहुत से पैलेसेज राजा महाराजाग्रों से गवर्नमेन्ट ने खरीद लिये हैं। लेकिन उनके ग्रन्दर जो मन्दिर हैं उनकी व्यवस्था ग्रब तक नहीं हो पाई है उनका क्या होगा। मेरा ग्रर्ज करने का मकसद यह है कि यह व्यवस्था सिर्फ डूंगरपुर के मंदिरों के बारे में न की जाकर बहुत से ऐसे स्थान हैं जैसा मैंने ग्रभी बताया वहां पर भी इस प्रकार का प्रबन्ध हो तो ज्यादा ग्रच्छा होगा और व्यवस्था ठीक तरह चल सकेगी और राज्य सरकार खर्चे से भी बच जायेगी। कई ऐसे मन्दिर खड़े हैं जिनकी व्यवस्था न तो राज्य सरकार करती है और न राजा महाराजा या जागीरदार करते हैं और इस कारण लोगों की धार्मिक निष्ठा पर ठेस

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

पहुंचती है इसलिये मेरी अर्ज है कि उनकी भी व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : मन्दिरों में काम करने वाले व्यास थे वे भूखों मर रहे हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : व्यास भूखों मर रहे हैं या नहीं, आप उनको दे दीजिये।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : [प्रस्ताव इस प्रकार है :—

"डूंगरपुर राज्य देवस्थान निधि (संशोधन) विधेयक, १९६४ को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे।"]

अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने डुंगरपुर के मंदिरों की व्यवस्था के स्पष्टीकरण दिया उसके विषय में मैं दो चार बातें जानना चाहता हूँ क्योंकि मंत्रीजी ने कहा कि देवस्थान निधि के बारे में सन् ४८ का आपका फरमान है उसके अंतर्गत यह निधि अलग बन गई है और कानून बन गया और उसके अंतर्गत ४१ मंदिर आये उनमें ये भी ५ आ गये और फिर ५९ में कानून बनाकर वहां इस प्रकार की बात रही और ये ५ मंदिर भी उनमें रहे और जैसा कि आपने कहा कि ये ५ मंदिर उनके एरिया में आते हैं इसलिये इतना प्रावधान है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि देवस्थान निधि पहले भी बनी थी जो धार्मिक निधि थी और ४८ में ये मंदिर आये उनमें इस बात का समावेश नहीं था कि यह पर्सनल प्रोपर्टी है लेकिन क्योंकि धार्मिक निधि बन चुकी थी, सामुहिक बन गई और उसके बाद उसमें से इतने जैसा आप कहते हैं उनकी पर्सनल प्रोपर्टी में आते हैं, मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि ये मंदिर उनकी पर्सनल प्रोपर्टी में आते हैं तो व्हाइट पेपर में दर्ज होने चाहिये थे। यदि पर्सनल प्रोपर्टी में आते हैं तो उसमें दर्ज करा सकते थे यह कह कर कि ये देवस्थान के ५ मंदिर हमारी प्रोपर्टी के अंतर्गत हैं। उस समय के बाद भी आपने इनको फर्मान के अंतर्गत लिया और आपने मान्य कर दिया। मैं यह जानना चाहता हूं कि इनके पीछे इस प्रकार की बात है मुआवजे की बात, अनुदान की बात......

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा था कि उस एक्ट में जो १९४८ में पास किया था उसमें सन् १९५९ में अमेन्डिंग बिल पास हो गया और उसके बाद ४८ में जो शिड्यूल दिया है १ उसमें (ए) पार्ट है वहां सारे टेम्पल्स हैं उसमें तीसरा खाना है जिसमें बांटा, रुपये आदि लिखे हैं, १९५९ में जो बिल बना, विधान सभा ने उसे पारित किया। उसमें उस तीसरे खाने को ओमिट कर दिया और उसी प्रकार (बी) और (सी) खाने को ओमिट कर दिया। उसका मतलब गांव देवस्थान की परिधि में नहीं रहे। इसलिये जो मतलब निकलता है उससे आप घबराइये मत, कोई खास बात नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : अनुदान मिलता रहेगा जो काम करते हैं उनको। आपने एक नई घोषणा और कर दी, राजस्थान में जितने भी मंदिर जो राजाओं की पर्सनल प्रोपर्टीज के एरियाज के अंतर्गत आते हैं उनके बारे में भी आप इस प्रकार की नई व्यवस्था कर रहे है। मैं समझता हूँ कि मंदिरों में जो देवता हैं उनके प्रति लोगों की

(श्री मुरलीधर व्यास)

अपनी भावनाएं होती हैं, धार्मिक भावनाओं के आधार पर लोग वहां जाते है आप कहते है कि उनके पूर्वजों के नाम पर मंदिर थे, मैं कहता हूँ जैसे जैसलमेर में मंदिर है ठाकुरजी का है वह भी उनके पूर्वजों के नाम पर है। पर सैंकड़ों आदमी वहां जाते हैं, पूजा करते हैं, वह वहां का सबसे बड़ा मंदिर है तो आपकी व्यवस्था के अनुसार लोग नहीं जा सकेंगे। लोग वहां भावनाओं के आधार पर जाते हैं, पर्सनल प्रोपर्टी होने के आधार पर लोगों के वहां जाने पर रोक हो जाय तो क्या उनकी धार्मिक भावनाओं पर चोट नहीं पहुंचेगी? हमारा संविधान यह कहता है कि कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करें जिनसे धार्मिक भावनाओं पर चोट पहुंचे। एक सार्वजनिक चीज चल रही है उसको व्यक्तिगत प्रोपर्टी में बदल देते हैं और जो लोग मंदिरों में जाते हैं उनका जाना रोक देते हैं तो वैधानिक दृष्टि से भी उनकी भावनाओं को चोट पहुंचती है। इसलिये यह जो व्यवस्था आप कर रहे हैं वह संविधान की दृष्टि से भी विपरीत पड़ती हैं।

दूसरी बात, इसके अन्तर्गत कुछ लोगों को अनुदान मिलता है और आपने इस प्रकार का परिवर्तन अन्य इलाकों में भी करने की घोषणा की है उससे जो प्रोपर्टी, ट्रस्ट वगैरा हैं उनको चोट पहुँचती है। मैं कहना चाहता हुँ कि उदयपुर में फतह मेमोरियल धर्मशाला है, वह एक ट्रस्ट के अन्तर्गत है। और उसके अन्तर्गत जो दूसरी चीजें आती हैं फतह मेमोरियल ट्रस्ट के अन्दर, जिसका खुद का बिल है, उसके अन्तर्गत इस प्रकार की बातें हैं कि इसका पीछे का जो हिस्सा है, वह आने जाने वालों के लिए हमेशा खुला रहेगा। जो ग्रामीण लोग आयेंगे, वे वहां पर गाड़ियां वगैरह ठहरायेंगे, रात भर वहां पर ठहरेंगे। तो यह देवस्थान निधि ट्रस्ट है उसके अन्तर्गत यह जमीन है, उसका उल्लंघन करके, अपने कानून का उल्लंघन करके सरकार ने न मालूम कैसे किया, क्यों किया, उस जमीन को एक पेट्रोल पम्प के लिए दे दिया है। वह कानून का उल्लंधन करके आपने दी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो ट्रस्ट बना हुआ है उसके नियमों के अन्तर्गत वह जमीन आप दे नहीं सकते। दिया भी आपने किसको! एक दीनू भाई है, आपने उनको दिया है जब कि उससे अधिक बोली लगाने वाले और उससे अधिक पैसा देने वाले दूसरे लोग थे। लेकिन उस अधिक पैसे का ध्यान नहीं रखा। उनके साथ ही यह भी ख्याल नहीं रखा, नियमानुसार आप दे नहीं सकते। यह देवस्थान निधि के अन्तर्गत है, यह जिस मन्शा से आपने बनाया था, उस मन्शा से आपको चलना चाहिए लेकिन उसके विपरित आपने दिया है। यह स्थान ग्राम लोगों के लिए एक धर्मशाला के रूप में था, उसका ख्याल न करके आपने दे दिया है। इसके साथ ही मैं कहना चाहता हुँ कि देवस्थान निधि के अन्तर्गत जो ट्रस्ट है, वह जिस रूप से बना है, उसके अनुसार सार्वजनिक उपयोग के लिए यह है। आप बराबर कहते रहें हैं कि मूलभूत धार्मिक भावना है उसको ठेस न पहुँचे—इस प्रकार से काम कर रहे हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सिरोही में आपने ऐसा किया है। सिरोही के महाराजा ने केन्द्रीय सरकार से मिल कर पांच गावों की जमीन, जहाँ लोग खेती करते थे, जिसका रजिस्ट्रेशन था, को कब्जे में कर लिया है। जो उस मन्दिर के नाम से ट्रस्ट बना हुआ है, उसके अन्तर्गत यह प्रापर्टी आती थीं। फिर आपने

Page No. 73

(श्री मुरलीधर व्यास)

उसके अन्तर्गत लेकर उसकी व्यवस्था क्यों नहीं की। आपने उससे सबको वंचित कर दिया है। इस प्रकार देवस्थान की निधि को राजा महाराजा क्लेम कर रहे हैं कि यह प्रापर्टी हमारे अन्तर्गत आती है। मैं कहना चाहता हूँ कि इससे जनता की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचती है। इस प्रकार के संशोधन अगर आप करते हैं तो मैं समझता हुं कि यह बुनियादी तौर पर गलत होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप इस प्रकार के संशोधन करते हैं तो उस इलाके के जो लोग हैं, जिनके लिए आप कहते हैं कि वे वहां पूजा करने नहीं जाते हैं, यह महारावल की पर्सनल प्रापर्टी है तो उन लोगों का जनमत जानने के लिए बिल को भेज दीजिये। मैं यह बताना चाहता हूँ कि जहां पर लोग जाते हैं, पूजा करते हैं, इसके अन्तर्गत जो जमीन है, इसके अन्तरर्गत जो लोगों को सुविधा मिलती है, जो अनुदान मिलता है– उस सबसे आप जनता को वंचित कर देना चाहते हैं, इस कानून के द्वारा आप लोगों को महरूम कर देंगे। सिरोही में जो व्यवस्था थी उससे आपने उनको महरूम कर दिया इस लिए वे लोग आज भी दरख्वास्त कर रहे हैं। क्योंकि जिस जमीन पर लोग खेती करते आ रहे थे उस पर सिरोही के महाराज ने आकर लाल तख्ती लगा दी कि यह प्रापर्टी हमारी है। वह तख्ती कूए पर लगा दी और दूसरी जगहों पर लगा दी जो सार्वजनिक उपयोग के स्थान हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब तक आप जनता का मत नहीं लेते कि उनकी क्या राय है क्या राय नहीं, उससे पहले इस प्रकार की व्यवस्था कर दें– यह उचित नहीं है। सिरोही में आप ने ऐसा किया, लोगों ने दरख्वास्तें दीं कि वे इससे बहुत परेशान हैं। इस प्रकार इससे लोगों को जो सुविधा है, अनुदान मिलता है–वह सारा बन्द हो जाता है। आज लोग वहां पर पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं, जो वहां देवता हैं जो ठाकुर जी हैं उनमें लोगों को श्रद्धा है और वहां वे नियमित रूप से जाते हैं। उन सब धार्मिक लोगों को आप इस सुविधा से वंचित कर देंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह बिल संविधान के विपरित है, इसलिए इस पर जनता की भावनायें जानना आवश्यक है। अगर उसके बिना आपने कोई कदम उठाया तो जैसा सिरोही में हुआ है वैसा यहां भी हो सकता है। जैसा मैंने आप को अर्ज किया, जैसलमेर आदि इलाकों में छोटे मन्दिर हैं, बड़े मन्दिर हैं, जहाँ हजारों व्यक्ति धार्मिक दृष्टिकोण से जाते हैं और वे लोग दूसरे मंदिरों में नहीं जाते हैं। लेकिन आपकी इस व्यवस्था से जो देवताओं के प्रति उनकी इज्जत या भावना है, उसको व्यक्त करने के लिए वहां आने जाने से वंचित हो जायेंगे। इसलिए यह धार्मिक भावनाओं के विपरित है और संविधान में जो अधिकार दिये हैं उनके विपरित है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस बिल को जनमत जानने के लिए प्रसारित कर दिया जाय। अगर यह आज पास हो जायेगा और इसके अन्तर्गत व्यवस्था हो जायगी तो लोग इस सुविधा से वंचित हो जायेंगे–यह ठीक नहीं है। जहां पर लोग पूजा पाठ के लिए आ सकें, जा सकें। इसलिए मैं कहता हूं कि राजस्थान में जो मंदिर हैं, जो इसके अन्तरर्गत आते हैं, उन पर लोग अपनी बात कह सकते हैं इसलिए इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय।

Page No. 74

श्री अध्यक्ष : श्री विजय सिंह झाला।

श्री मुरली धर व्यास—यह दीनू भाई सुखाड़िया जी का साला है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : प्रस्ताव इस प्रकार है:—

"डूंगरपुर राज्य देवस्थान निधि (संशोधन) विधेयक, १९६४ को एक प्रवर समिति के सुपर्द किया जावे जो अपना प्रतिवेदन तीन दिन में सदन के समक्ष प्रस्तुत करे (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी)।"]

अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक सदन के सामने रखा गया है इसका मैं स्वागत करता हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि जितने मन्दिर सरकार के कब्जे से निकल सकें, उतने निकालने का प्रयास आज ही करें, तो वह बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि राजस्थान सरकार ने कुछ मन्दिरों पर कब्जा किया है, उस दिन से देवस्थान निधि को बहुत भारी रोग लगा है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विधेयक पर बोलें। इस विषय पर बहस नहीं हो रही है।

श्री विजयसिंह झाला : मैं यह सजेशन दे रहा हूँ कि प्रवर समिति को यह बिल सुपर्द किया जाय ताकि....

श्री अध्यक्ष : आप सजेशन कुछ भी दें, लेकिन केवल इस विधेयक के प्रावधानों पर ही बोलें। यह नहीं कि विभाग क्या घोटाला कर रहा है। इस पर बहुत लम्बी चौड़ी बहस न करें।

श्री विजयसिंह झाला : विशेष घोटालों में मैं नहीं जाना चाहता। अध्यक्ष महोदय, मैं वही सूचना दे रहा हूं जो बताना आवश्यक हो गया है। मेरा निवेदन है कि दूसरे मन्दिरों को क्यों देवस्थान के कब्जे से निकालना जरूरी है। जब तक यह नहीं बताऊंगा तब तक मेरा जो प्रस्ताव है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, उसका मकसद पूरा नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय, दूसरे मन्दिरों को राजस्थान सरकार के कब्जे से निकालने का प्रश्न उठाया है उसका कारण यह है कि उसकी जो निधि है उस निधि का धीरे धीरे मिस-यूज होता जा रहा है। अभी माननीय मुरली धर जी ने एक बात रखी थी, उदयपुर के फतह मेमोरिडल ट्रस्ट की देवस्थान निधि के बारे में, उसका जरा मैं स्पष्ट....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला : नहीं अध्यक्ष महोदय, इसकी आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष : कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सरकार स्वयं कह रही है कि हमारे हाथ से निकाल कर दे दें। फिर क्या आवश्यकता है ? विधेयक के जो प्रावधान हैं उन पर बोलना चाहें तो आप बोलें।

श्री विजयसिंह झाला : मैं कहना चाहता हूं कि जो दूसरे मन्दिर इसके कब्जे में हैं, उनको कब्जे से निकाला जाय।

श्री अध्यक्ष : यह भी प्रश्न नहीं है कि दूसरे मन्दिर कब्जे से निकाले जाय या नहीं।

श्री विजयसिंह झाला : मेरा प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव है, जिसका उद्देश्य है कि उदयपुर के मन्दिर हैं, उन दूसरे मन्दिरों को भी निकाला जाय।

श्री अध्यक्ष : निकाला जाय या नहीं निकाला जाय–यह प्रश्न नहीं है। जो अमेंडिंग बिल है, उसकी सीमा के बाहर आप जा रहे हैं। मैं आपको इसके लिए अलाऊ नहीं करता। आपको इस बिल पर बोलना है तो बोलिये।

श्री विजयसिंह झाला : मैं उस पाइन्ट को नहीं उठाऊंगा। मैं यह कहना आवश्यक समझता हूं कि कब्जे में लेने के बाद जिनकी व्यवस्था ठीक तरह नहीं कर सकी है, जिन मन्दिरों की जैसी व्यवस्था थी और जो उस सम्प्रदाय के मानने वाले लोग हैं, उनके द्वारा जैसी व्यवस्था थी वैसी व्यवस्था राजस्थान सरकार नहीं कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में यह आवश्यक नहीं है कि हम किसी सम्प्रदाय की भावनाओं पर आघात करके इन मन्दिरों को अपने कब्जे में रखें।

अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा के सम्बन्ध में भी जो समस्या है वह इसलिए हैं, कि उसको····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप फिर वही बात ला रहे हैं। विधेयक पर बहस करते समय केवल उसके प्रावधानों तक सीमित रहना चाहिए। मैं आपको कैसे बताने की कोशिश करूं! आप हर एक विषय पर लम्बी-चौड़ी बात कहना चाहते हैं आपको और कुछ नहीं कहना है इसलिए आप बैठ जायं।

श्री विजयसिंह झाला : मेरी यह प्रार्थना है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप मन्त्री, देवस्थान) : अध्यक्ष महोदय मुझे इस पर अधिक नहीं कहना है लेकिन जो धारणा माननीय सदस्यों के दिमाग में बनी हुई है उसको मैं दूर करना चाहता हूं। आज भी यह मन्दिर कोई राजस्थान सरकार के कब्जे में हो और राजस्थान सरकार इनकी व्यवस्था करती हो–ऐसी बात नहीं है। जो टेम्पल्स के लिए, देवस्थान निधि एक्ट है, वह १९४८ में बना और उसमें १९५६ में अमेंडमेंट हुआ, उसके अनुसार दस ग्यारह व्यक्तियों की एक समिति है जिसके महारावल डूंगरपुर चेअरमेन हैं। इसी तरह धर्म गुरू और पांच सात आदमी इसके मेम्बर हैं, उनमें इसकी व्यवस्था निहित है। जो डूंगरपुर महारावल समिति के चेअरमैन हैं और दूसरे लोग उसके मेम्बर हैं, उनमें इसको व्यवस्था निहित है, उनमें से निकाल कर, उनके परव्यू में से निकालकर महारावल डूंगरपुर के परव्यू में डालने का यह अमेंडमेंट है। इससे अधिक कुछ नहीं है। राजस्थान सरकार अपना मन्दिर दे रही है, अपना इन्तजाम है उसको दे रही हो···

श्री मुरलीधर व्यास : सारे राजस्थान के लिए कहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों ने बात उठाई वह यह है कि इस मन्दिर को लेने के बाद आगे जनता को दुविधा तो नहीं होगी।

Page No. 76

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, इस पर मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि इसमें दो बातें देखनी होती हैं। एक तो यह कि आज उन मन्दिरों की क्या स्थिति है। मैं उन पांच मन्दिरों के बारे में निवेदन कर रहा हूं। इन पांच मन्दिरों की क्या स्थिति है, क्या आज भी जनता जैसा माननीय अध्यक्ष कहते.हैं, रोज मर्रा उनमें दर्शन के लिए या पूजा के लिये जाती है। दूसरी बात यह है कि अगर जनता हमेशा दर्शन करने और पूजा करने के लिए जाती है तो जाती रहे उसके आने जाने में किसी प्रकार की रूकावट नहीं हो और उसका आना जाना बन्द नहीं हो। ये दो प्रश्न अहम हो सकते हैं। इसलिये मैं इस सम्बन्ध में थोड़ा संक्षेप में जानना चाहता हूं। एक मन्दिर जनाना महल के अन्दर है। उस जनाना महल के अन्दर जो मन्दिर है और जनाने महल में जो मूर्ति रखी है उसमें अभी भी एक आदमी दर्शन के लिये नहीं जाता है और कल भी नहीं जावेगा। इसको उन्होंने जनाने के लिये दर्शन के लिये अपने पेलेस में ही बनाया था। जब राजस्थान नहीं बना था १९४८ में और स्वयं वे वहां के कर्त्ता धर्ता थे इसलिये उन्होंने उसको देवस्थान निधि के परव्यू में रखा। अब जब राजस्थान बन गया है तो वे अब वहां के कर्त्ता धर्ता नहीं रहे तब उन्होंने यह कहा कि पहले जनाना महल में मन्दिर की व्यवस्था देवस्थान की थी मगर अब वह व्यवस्था नहीं रह सकती जैसी पहले थी क्योंकि सरकार के आदमी वहां पर महल में आवेंगे और उनके साथ दूसरे आदमी भी आवेंगे और इसलिए यह प्रश्न खड़ा हुआ। लेकिन जहां पर आम तौर पर आदमी दर्शन करने को जाते हैं वहां कोई मुमानियत नहीं है। कोर्ट के अन्दर से सब का रास्ता है और सबको उधर से ही जाना पड़ता है। बाकी सब महलों के अन्दर हैं और उन्हीं के देवता होते हैं उनकी पूजा आदि उन्हीं के अफसर उनकी भेट पूजा करते हैं। वे सब इसी काम में आते हैं। सरकार की कोई मंशा नहीं है कि जो लोग वहां जाते रहे हैं उनको जाने से रोका जाए।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने दूसरे मन्दिरों के लिये कहा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तो पांच मन्दिरों की बात है यह उनकी पर्सनल प्रोपर्टी में लिखा है चूंकि यह एक्ट निधि में हैं और एक्ट की परव्यू से निकालना बिना एक्ट के नहीं हो सकता है इसलिये यह बिल लाया गया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : महारावल ने जो हाई कोर्ट में रिट पिटिशन की थी उस का क्या हुआ ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उसका ही तो यह समझौता हुआ है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या याचिका खारिज हो गई थी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह समझौता हो गया तो हमने इसके लिए केबिनेट डिसिजन ले लिया। डूंगरपुर महारावल ने ऑफर दी थी। हाई कोर्ट के फैसले में इसके बारे में कुछ नहीं है।

श्री अध्यक्ष : जैसा अभी माननीय सदस्य मुरलीधर ने कहा कि क्या दूसरों पर लागू करेंगे। जैसे उन्होंने मिसाल सिरोही की दी। वहां पर भी आनेजाने की रोक लगावेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्ष, सिरोही के बारे में अभी कहा। मैं यह कहूंगा कि वे देवस्थान के मन्दिरों से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं। इसका उससे कोई संबन्ध नहीं है। यह मन्दिरों वाला केस नहीं है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार उन्ही मन्दिरों को खर्चा देना बन्द करेगी जो एक्सक्लूजिवली उनके काम में आते हैं।

श्री अध्यक्ष : (श्री मुरलीधर व्यास से) क्या आप अपना प्रस्ताव वापिस लेते हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास : इस आश्वासन पर जो माननीय मन्त्री महोदय ने दिया है, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री विजयसिंह झाला : I also withdraw it.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री मुरलीधर व्यास ने रखा है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

(आज्ञा प्रदान की गई)

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री विजय सिंह झाला ने रखा है इस विधेयक को सलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किये जाने सम्बन्धी, उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

(आज्ञा प्रदान की गई)

प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाए।

(स्वीकृत)

(प्रस्ताव स्वीकार किया गया)

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि डूंगरपुर राज्य देवस्थान निधि (संशोधन) विधेयक, १९६४ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

(विधेयक पारित किया गया)

(समय ११·२५ म० पू०)

राजस्थान माध्यामिक शिक्षा संशोधन विधेयक १९६४

(विचार विमर्श एवं पारित)

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उप मंत्री; शिक्षा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९६४ को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर)

Page No. 78

(श्री भैरोंसिंह)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा, प्रतिवेदित राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९६४ को तीन माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे।

अध्यक्ष महोदय, हायर सेकन्डरी बोर्ड का गठन और शिक्षा की परिभाषा इन सब बातों को लेकर यह बिल सदन में प्रस्तुत किया गया है और इसके पश्चात् इस बिल पर प्रवर समिति में विचार हुआ और उस पर विचार के बाद यह प्रतिवेदन आज सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। इसमें मूल रूप में दो बातें हैं। एक तो सेकन्डरी एज्युकेशन और दूसरा इस सेकन्डरी एज्युकेशन का बोर्ड। मुझे याद है, जिस समय हायर सेकन्डरी एज्युकेशन राजस्थान में इन्ट्रोड्यूस किया गया था और उस इन्ट्रोडक्शन के पहले इस सदन में जिस एलिगेशन को लागू करने के लिये विधेयक प्रस्तुत हुआ था। जिस समय यह विधेयक प्रस्तुत हुआ था सरकारी पक्ष की ओर से इस बात का दावा किया गया था कि आजकल जो एज्युकेशन सिस्टम हाई स्कूल और कालेजों में हैं उनका जो एज्युकेशन पोइन्ट आफ व्यू से एफीलिएशन में ज्यादा कठिनाई है और इस कठिनाई होने के कारण जो लोग शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं उनको उचित प्रकार की शिक्षा नहीं मिलती है और उनका एज्युकेशनल स्टेन्डर्ड नहीं बढ़ता है। इसलिए जो शिक्षा दी जा रही थी उस शिक्षा से किसी को संतोष हो, ऐसी बात नहीं थी और इस कारण सरकार के उस आश्वासन पर हायर सेकन्डरी की व्यवस्था को सदन ने स्वीकर किया और उसको लागू करने के लिये सरकार ने उस समय यह बताया कि इसका अलग से बोर्ड गठित होगा और उसके द्वारा ही इन सब चीजों का संचालन किया जावेगा और उसके बाद फिर एक संशोधन आया और उसके जरिये जो नोमिनेशन का पीरियड था या चेयर मैन के एपोइन्टमेंट का प्रश्न था उस प्रश्न के साथ अवधि का प्रश्न जुड़ा हुआ था। उस अवधि के प्रश्न को भी इस सदन में संशोधन लाकर दूर किया गया। सबसे मोटा प्रश्न यह आता है कि हमने जिस प्रकार के बोर्ड का गठन किया या इस संशोधन के पास होने के बाद जिस प्रकार का बोर्ड प्रस्तावित किया, इस प्रकार के बोर्ड से हायर सेकन्डरी का स्टेन्डर्ड जो आपने लागू किया है उसको रख पावेंगे। मेरी ऐसी मान्यता है कि हायर सेकेन्डरी एग्जामिनेशन्स के रिजल्ट्स पर जब से हमने यह सिस्टम इन्ट्रोड्यूस किया है, उस समय से ले कर अब तक के जो एग्जामिनेशन्स के रिजल्ट्स हैं उन पर यदि दृष्टि डालें तो निश्चित रूप से यह परिणाम निकलेगा कि इसके पहले जो हाई स्कूल्स के रिजल्ट्स निकलते थे उनसे कितना ही परसेंटेज गिर गया है, गिरता ही जा रहा है और गिरता ही नहीं जा रहा हर साल परसेंटेज गिरने की व्यवस्था कर दी है और इसलिए उस सब का क्यूम्यूलेटिव इफैक्ट यह होता है कि यदि राजस्थान के हायर सेकेन्डरी एज्यूकेशन के एग्जामिनेशन्स का एवरेज लगाया जाय तो ५० प्रतिशत से ज्यादा छात्र कभी पास नहीं हुए। यदि इसको परीक्षण के आधार पर, अनुभव के आधार पर लें तो यह अनुभव और परीक्षण दोनों इस बात के प्रत्यक्ष में साक्षी देते हैं कि हायर सेकेन्डरी एज्यूकेशन केवल राजस्थान में ही नहीं पूरे हिन्दु-

(श्री भैरोंसिंह)

स्थान में बिलकूल असफल सिद्ध हुई है। और जो इससे लोगों का स्टेन्डर्ड बढ़ाने की कल्पना करते थे वह बढ़ना तो दूर बल्कि उसमें निरन्तर गिरावट आ रही है, स्टेन्डर्ड में निरन्तर गिरावट आई है। यदि उन छात्रों के जीवन का सम्बन्ध इस व्यवस्था से, इस बिल से जोड़ना चाहें तो राजस्थान में लगभग १५–२० हजार छात्र ऐसी परीक्षा में हर साल बैठते हैं। उस परीक्षा में यदि ५० प्रतिशत का परिणाम निकलता है तो यह बात निर्विवाद रूप से सिद्ध होती है कि इस व्यवस्था में भूलभूत खामियां हैं जिनको लेकर हजारों छात्र फेल होते हैं, उनके भविष्य पर नि रीत असर होता है।

हायर सेकेन्डरी एज्यूकेशन में किताबों की, शिक्षकों की और व्यवस्था की ये तीन इस प्रकार की कमियां प्रकट रूप में आ रही हैं कि यदि इन कमियों को दूर नहीं किया गया और केवल इस बात से सन्तोष कर लिया कि हायर सेकेन्डरी बोर्ड की परिभाषा को ठीक करने से, बोर्ड का ठीक गठन कर लेने से हम इन सब बुराइयों पर काबू पा लेंगे तो इसका परिणाम बिल्कुल आशा के विपरीत होगा।

जहां तक इस बोर्ड के गठन का सवाल है, सरकार के पास नोमिनेशन के पावर्स होंगे, चेयरमेन से लेकर जितने भी सदस्य इस बोर्ड के होंगे उनमें अधिकाश सदस्य नोमिनेटेड होंगे। पहला प्रश्न तो यह पैदा होता है कि सरकार यह कह कर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती कि बोर्ड में कुछ मेम्बर ऐसे आ गये थे नोमिनेशन से जिनके कारण बोर्ड की व्यवस्था खराब हो गई, या कुछ एकेडेमिक क्वालिफिकेशन के लोग थे जो इस क्षेत्र में अच्छा कार्य कर सकते थे ऐसे लोग नहीं आये इसलिये स्टेन्डर्ड गिर गया, ऐसे लोगों के नहीं आने से जिस स्टेन्डर्ड की बुक्स होनी चाहिये थी वैसी नहीं आ सकीं, या टीचर्स को अच्छी तरह शिक्षा क्षेत्र में सुविधाएं दे कर उनके द्वारा अच्छी शिक्षा का प्रबन्ध कर सकें, इस प्रकार की व्यवस्था ऐसे लोगों के कारण नहीं हो सकी, सरकार यह भी नहीं कह सकती। हमारी सरकार ने श्री लक्ष्मीलाल जोशी को इस बोर्ड का चैअरमैन बनाया मैं इस सम्बन्ध में उस बात को तो नहीं कहना चाहता जो इस सदन में उस समय उठ चुकी हैं लेकिन मैं नीति के बारे में कहूंगा जिसके अनुसार श्री लक्ष्मीलाल जोशी बोर्ड गठन में, या चेयरमेन के पद पर काम नहीं कर सकते, हायर सेकेन्डरी बोर्ड के चेयरमेन नहीं हो सकते। जो शख्स राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का चैअरमैन रह जाय वह किसी ऐसे पद पर नहीं रह सकता जिस पद पर नियुक्ति करने का अधिकार राज्य सरकार को है। राजस्थान अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का चैअरमैन देवीशंकर तिवारी को बनाया गया था। राजस्थान सरकार ने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन का चैअरमैन रह चुका है वह अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का चैअरमैन नहीं हो सकता। जो पब्लिक सर्विस कमीशन का चैअरमैन रह चुका हैं वह किसी ऐसे पद पर रह सकता है या नहीं जिस पद पर कि राज्य सरकार अपोइन्ट करती है, विधान सभा की राय के अनुसार इस प्रश्न को हिन्दुस्तान के एटोर्नी जनरल के पास भेजा गया। मुझे श्री शीतलवाड़ की राय अच्छी तरह याद है, उनकी राय यह आई कि पब्लिक सर्विस कमीशन का चैअरमैन रहने

(श्री भैरोंसिंह)

के बाद वह किसी ऐसे पद पर नहीं रह सकता जिस पद पर कि सरकार को नियुक्ति करने का अधिकार हो। इसी आधार पर श्री देवीशंकर तीवारी को हटाया गया, सरकार ने एक ड्रामा खेला कि वे त्यागपत्र दे दें। संवेधानिक तरीके से इस नीति के अनुसार यदि किसी को त्यागपत्र देना पड़ेगा तो सबसे पहले श्री लक्ष्मीलाल जोशी को इस बोर्ड की चैअरमैनशिप से हटाना पड़ेगा।

सरकार ने बोर्ड के गठन के बारे में चैअरमैन के नोमिनेशन से ही गलती की, संविधान का उल्लंघन किया, व्यवस्था में पक्षपात किया, चेअरमैन की नियुक्ति में रीजनलिज्म की व्याख्या की है, तो क्या आशा कर सकते हैं कि हायर सेकेन्डरी बोर्ड जिसके द्वारा राजस्थान के छात्रों का स्टेन्डर्ड बढ़ाने की कल्पना करते हैं, राजस्थान के भविष्य निर्माण की कल्पना लेकर चलते हैं, वह हमारे राजस्थान के भविष्य का निर्माण कर सकेगा? उप मंत्री महोदय, कान्स्टीट्यूशन की स्पिरिट की स्वीकार करने की बातें सदन के बाहर कहा करते है मैं उनके सामने यह रखूंगा कि जो ओफिशियेटिंग चैअरमैन और मेम्बर चेअरमेन रहे हैं वे किसी ऐसे पद पर जिसकी नियुक्ति करने का अधिकार राज्य सरकार का है उस पर नहीं रह सकते। तो इससे यह सिद्ध होता है कि राज्य सरकार ने बोर्ड के नोमिनेशन के पावर अपने हाथ में लिये हैं वह पक्षपात की गरज से लिये हैं, इस प्रकार के अधिकार सरकार को देना घातक सिद्ध होगा इसलिये ऐसे अधिकार सरकार को नहीं देने चाहियें।

आखिर यह नोमिनेशन की प्रथा डेमोक्रेसी में चलती क्यों है? १९४७ में हमारा देश आजाद हुआ क्या हम ६४ तक लोगों में डेमोक्रेटिक स्पिरिट पैदा नहीं कर पाये, हिन्दुस्तान के शिक्षा विशेषज्ञों में, शिक्षा के क्षेत्र में लगन से काम करने वाले योग्य और ईमानदार लोगों में वह स्पिरिट पैदा नहीं कर सके जिस स्पिरिट से वे चुनावों के जरिये इस प्रकार के पदों को सुशोभित कर सकें। हमें बार बार कहते हैं कि एज्यूकेशनल स्टेन्डर्ड को हमने ऊंचा किया है। मुख्य मंत्री जी तो बार बार कहते हैं कि राजस्थान में मेरे शासन काल में शिक्षा का स्टेन्डर्ड बहुत बढ़ा है, इतनी स्कूल की संख्या बढ़ी है, इतनी छात्रों की संख्या बढ़ी है इतनी संख्या अमुक उम्र के लड़कों की बढ़ी है और इस बात को कह कर मुख्य मन्त्री पद पर बने रहने की बात करते है। वे जहां यह बात करते है शिक्षा के बढ़ने की वकालत करते हैं तो उन्हें यह भी मानना पड़ेगा कि शिक्षा के अनुकूल स्तर पर नहीं पहुंचे। नोमिनेशन की प्रणाली को स्वीकार करते हैं तो सरकार की हां में हां मिलाने वाले लोग ऐसे बोर्ड में आते हैं और जो शिक्षा के स्तर को ऊंचा कर सकें ऐसे लोगों को इसमें आने के चान्सेज नहीं मिलते।

वर्तमान बोर्ड को देख लिया मैं सबके लिये नहीं कहता पर इसमें ऐसे लोग नहीं मिलते जो शिक्षा शास्त्री हैं, शिक्षा के क्षेत्र में लगन के साथ काम करना चाहते हैं और शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं। बल्कि इसमें ऐसे लोग नोमीनेट किये जाते हैं जो सरकार के कृपा पात्र हैं। शिक्षा जैसे पुनीत क्षेत्र में कार्य करने वाले बोर्ड में इस प्रकार के व्यक्तियों को नोमिनेट किया जाता है जो सरकार के कृपा पात्र हैं। नोमिनेशन के जरिये इस प्रकार के लोग बोर्ड में आते हैं उनके हाथों में हजारों छात्रों को जीवन देते

(श्री भैरोंसिंह)

हैं तो इस विधेयक के द्वारा सीरियस होकर जो संशोधन करना चाहिये उस बारे में सरकार सीरियस नहीं, है ऐसा स्पष्ट मालूम पड़ता है। वह केवल संख्या बढ़ाना चाहती है कि इतने हायर सैकन्ड्री स्कूल खोल दिये, इतने अधिक छात्र इनमें पढ़ते हैं।

इस साल उन्होंने हायर सैकन्ड्री स्कूल जूनियर सैकेन्ड्री स्कूल्स में परिवर्तित करने के आदेश दिए हैं।

(११ ३२ म० पू०)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल सभापति पदासीन)

मुझे यह भी मालूम है कि नेक्स्ट ईयर के लिए जो उनकी व्यवस्था है उसके अनुसार ४० हायर सैकन्ड्री स्कूलों को जूनियर स्कूल्स के अन्दर परिवर्तित किया जा रहा है। इसका मतलब जिस हायर सेकन्ड्री की बात को लेकर जोरों से प्रचार करते आ रहे हैं, वह सब बेकार गया तो उसका नैचुरल रिज़ल्ट यह निकलता है, यह इस बात की ओर संकेत करता है कि हायर सैकन्ड्री सिस्टम सफल नहीं हुआ। वह क्यों नहीं हुआ? क्या कारण है? इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं, शायद मन्त्रीजी इस बात को स्वीकार करेंगे कि इसके फलस्वरूप आपने १५० अध्यापकों की अवनति की। आपने जो रिक्विज़ीशन भेजा है कि हमें इतने ट्रेन्ड ग्रेजूएट्स की आवश्यकता है इस ख्याल से कि नेक्स्ट ईयर हायर सेकन्ड्री स्कीम होगी और दूसरे साल जब हायर सेकन्ड्री स्कूल कायम होंगे तो शिक्षकों की आवश्यकता कम रहेगी और उसका प्रभाव उन अध्यापकों पर पड़ता है जो वर्षों से अध्यापन का कार्य करते चले आ रहे हैं, उनकी अवनति की है। मुझे खुशी है कि शिक्षा मन्त्री ने देख लिया और उन लोगों की अवनति नहीं हो सकी और इस प्रकार के स्टे आॅर्डर्स दिए। हालांकि राजस्थान सरकार के डिप्टी सेक्रेटरी और शिक्षा सचिव इस बात पर एडेमन्ट हैं कि उन आदेशों का पालन हो। अब इस संघर्ष का क्या परिणाम निकलता है, इसका परिणाम तो समय पर सामने आएगा।

अब विचार करना पड़ेगा कि जब हायर सेकन्ड्री स्कूल्स जूनियर सेकन्ड्री स्कूल्स होने जा रहे हैं तो नए हायर सेकन्डरी स्कूल्स खोलने की क्या आवश्यकता है। सारे राजस्थान में कहीं भी मन्त्री जायें, इनके भाषण के लिए मंच बन जाता है, लोगों ने मन्त्री के जय जयकार के नारे लगाए। आपके पास उनको धोखा देने के लिए और कोई चारा नहीं है........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह धोखा शब्द ठीक नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपकी बात को मानता हूं। मैं धोखे की जगह मुगालता शब्द यूज़ करता हूं। आप उस समय मुगालता देकर पब्लिक मीटिंग में घोषणा करके आते हैं कि हायर सेकन्ड्री स्कूल खोला जायगा, आप १७ हजार रुपए इकट्ठे कर लो। चंदा इकट्ठा हो जाता है, भवन बनता है और वे फरवरी से लेकर जुलाई तक राजस्थान की राजधानी जयपुर में आकर, शिक्षा मंत्री, उप शिक्षा मंत्रीजी और शिक्षा सचिव इन तीनों के बंगलों पर रिक्शा में चक्कर काटते रहते हैं। रुपया जमा हो गया, बैंक की रसीद लाकर दे दो। पता नहीं लगता कि

(श्री भैरोंसिंह)

सरकार ने इसकी क्रिटेरिया क्या फिक्स-अप कर रखी है। मैं शिक्षा मंत्री से पूछता हूँ कि आपने जो इस साल हायर सेकन्डरी स्कूल्स खोले हैं क्या वे हायर सेकंडरी बोर्ड द्वारा बनाए नियमों के अनुसार खोले गए हैं ? नियमों के अनुसार नहीं खोले गये हैं। बोर्ड ने व्यवस्था की है कि इतने कमरे होंगे, इतना कम्पाऊंड वाल होगा, ऐसा प्लेग्राऊंड होगा, छात्रों की संख्या इतनी होगी, टीचर्स इस प्रकार के होंगे, यह जो सारी व्यवस्था की है उस व्यवस्था के अंतर्गत आपके हायर सेकन्डरी स्कूल्स नहीं आते और क्यों नहीं आते कि हायर सेकन्डरी बोर्ड अलग है और राजस्थान के शिक्षा सचिव का बोर्ड अलग है। राजस्थान का शिक्षा सचिव हायर सेकन्डरी बोर्ड और राज्य सरकार इन दोनों पर इतना हावी है कि उनके आदेश के विपरीत बोर्ड का कोई भी नोमीनेटेड मेम्बर नहीं चल सकता। मंत्री महोदय कहेंगे कि यहां स्कूल खोलेंगे और शिक्षा सचिव कहेंगे कि नहीं खोलेंगे तो नहीं खुलेगा। शिक्षा मंत्री की नहीं चलेगी और शिक्षा मंत्री की यदि नहीं चलेगी तो उपशिक्षा मन्त्री तो कहीं टिकेगा ही नहीं। वह बेचारा....

श्री निरंजननाथ आचार्य : I take strong exception to these words.

श्री भैरोंसिंह : I take my words back. मैंने उनकी तारीफ करके गलती की, वह तो नाराज हो गए। मेरे कहने का मतलब नहीं था कि उनको इतना निकम्मा समझा जाय कि उनको बेचारा करके संबोधित किया जाय। मुझे निकम्मे के लिए दूसरा शब्द जल्दी में नहीं आया इसलिए बेचारा शब्द आ गया....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यूजलेस।

श्री भैरोंसिंह : अब मुझे यह निवेदन करना है कि किताबों का निर्धारण कैसे होता है। इस सदन में कई बार ऐसी किताबें प्रस्तुत की गई जो लड़कों को पढ़ाई जाती हैं, उनमें अशुद्धियां होती हैं, फैक्ट्स कितने गलत होते हैं, उन चीजों की दुरुस्ती आज तक नहीं हुई, किताबें उसी तरह से पढ़ाई जा रही हैं, उन किताबों का बोझ बढ़ता जा रहा है, कीमतें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उसके बाद में भी किताबें दुरुस्त नहीं हो रही हैं। यह सेकन्डरी बोर्ड की जिम्मेदारी है या राज्य सरकार की जिम्मेदारी है ? जिम्मेदारी को कोई लेने वाला तैयार नहीं जो उन किताबों में हर प्रकार की दुरुस्ती करे। अभी जब एक छात्र को पता लगा कि मैं बोलने वाला हूं तो उसने मुझे एक किताब दी 'वाणिज्य ज्ञान'। इसके अन्दर वही पुरानी नाप तोल, सेर, मन छटाक, गज, रुपए, आने, पैसे हैं। एक रुपये के १६ आने, पैसे में तीन पाइयाँ, यह सब लिखा हुआ है और नई प्रणाली का नाम नहीं। ऐसा लगता है कि मंत्रियों को देखने की फुरसत नहीं, एजूकेशन बोर्ड को देखने की फुरसत नहीं, सारा काम अंधाधुंध में चल रहा है।

श्री सभापति : This book is approved by the Board ?

श्री भैरोंसिंह : Yes. This book is approved by the Board.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : हिस्टरी की किताब तो नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : यदि आपके पास मैगिनीफाइंग ग्लास हो तो देख लीजिये। (किताब दिखाते हैं) । दूसरा सवाल आता है बोर्ड के अंतर्गत चलने वाले स्कूलों का और उसमें अध्यापकों का। इस सदन को सुनकर ताज्जुब होगा कि राजस्थान के शिक्षा विभाग ने एक फ्रॉड किया है। वह फ्रॉड किसी मामूली आदमी ने नहीं किया है, बल्कि राजस्थान के भूतपूर्व डाइरेक्टर द्वारा शिक्षा सचिव से मिलकर टीचर्स के साथ फ्रॉड किया जाता है। इस सदन में एक बार नहीं, कई बार मांग की गई है कि शिक्षकों की सीनियोरिटी लिस्ट बनाई जाय। इस ओर हमारी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। इस सदन में २० बार आश्वासन दिए गए कि लिस्ट बनेगी। राजस्थान में डाइरेक्टर भी हैं, डिप्टी डाईरेक्टर भी हैं, सब कुछ होने के बाद १९५६ से लेकर आज तक अध्यापकों की सीनियोरिटी लिस्ट नहीं बनी और जो बनी है उसमें किस प्रकार का फ्रॉड है, वह मैं आपको बताऊंगा जिससे कि सरकार की आंखें खुल जायं। सरकार ने अभी हाल ही में जो सीनियोरिटी लिस्ट निकाली उसमें २९ अध्यापकों के नाम हैं, उसमें डाइरेक्टर महोदय और शिक्षा सचिव ने कुछ अध्यापकों को सीनियर बनाना चाहा था हालांकि वे बहुत जूनियर हैं, उनका एपॉइन्टमेंट लेट स्टेज पर हुआ था, अब उनको किस प्रकार सीनियर बनाया जाय। ऐसा नया तरीका लोगों को धोखा देने का निकाला जिससे अध्यापकों की आंखें बन्द रखी जायं और शिक्षा मन्त्री और उप-शिक्षा मन्त्री को किसी प्रकार का नोलेज न रहे।

यह लिस्ट निकली है जिसके अन्दर चार अध्यापिकायें हैं। मैं उनके नाम बताता हूं। एक अध्यापिका है मिस बी. के. सक्सेना। इनका नम्बर लिस्ट में सातवां है। इनकी जनरल डेट ऑफ अपोइन्टमेन्ट रखी है ९.९.५१। दूसरी अध्यापिका आती हैं श्रीमती के० कौशिक। मिस बी० के० सक्सेना और दूसरी मिस बी० के० अवस्थी। दो अध्यापिकायें मिसेज हैं, कान्ता तिवाड़ी और श्रीमती के० कौशिक। चार अध्यापिकायें अलग २ है। कोई यह नहीं कह सकता कि चार अध्यापिकायें हैं वे केवल दो ही हैं। दो के चार नाम रख दिये गये और इसलिए रखे गये कि लोगों को मुगालता हो जाय। सन् ५६ की नियुक्ति सन् ५१ की कैसे हो सकती है? बी० के० अवस्थी है। नियुक्ति एक, अध्यापिका एक। नाम दो दो। राजस्थान के डाइरेक्टर ने, डिप्टी डाइरेक्टर ने राजस्थान के नाम को बदनाम करने के लिए एक अध्यापिका के दो दो नाम रख कर फ्रॉड किया है। बचे हुए घूमते हैं। दुर्भाग्य है इस विभाग का कि इस विभाग के अन्दर सब उदयपुर के लोग भरे हुए हैं। शिक्षा सचिव उदयपुर के, डाइरेक्टर, डिप्टी डाइरेक्टर, उप-मंत्री, सब उदयपुर के। सारे एजूकेशन डिपार्टमेंट का सत्यानाश कर दिया है। सब उदयपुर के बैठ गये। राजस्थान के स्टेन्डर्ड को कम किया जा रहा है उसकी परवाह नहीं, शिक्षकों की सीनियोरिटी और उनके साथ अन्याय करने का ठेका ले लिया है, शिक्षकों का जो शोषण हो रहा है उसकी उनको चिन्ता नहीं, जैसे छात्रों के भविष्य को खराब करने का उन्होंने बीड़ा उठा लिया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह जो कह रहे हैं वह फेक्ट है क्या? चार नाम रख कर इस प्रकार का फ्रॉड हुआ है यह पूरा पूरा आई० पी० सी० के अन्तर्गत केस बनता है। आप (उप-मंत्री शिक्षा) हां करते हैं या नां करते हैं?

Page No. 84

श्री निरंजननाथ आचार्य : This has now been brought to our knowledge and we shall now verify whether it is a fact or not.

न में पोज़ कर सकता हूं और न मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ ।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपको........

श्री निरंजननाथ आचार्य : जो एलीगेशन्स आते हैं उनके लिए मुझे कहने का मौका दिया जाय, लेकिन ऑफ हैंड तो मैं नहीं कह सकता । न तो मैं तैयार होकर आया हूँ ।

I cannot say off-hand about this. I shall have to refer to my office...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप इन्कार कर दीजिये कि यह गलत है । ऐसी बात कैसे हो सकती है ?

श्री सभापति : शिक्षा मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (शिक्षा मंत्री) : व्यक्तिगत उदाहरण में ऑफ हैंड जवाब देना मुश्किल होता है । जवाब देंगे अवश्य लेकिन ऑफ हैंड जवाब देना मुश्किल होता है ।

श्री भैरोंसिंह : आप जवाब मत दीजिये आप एक बात का जवाब दे दीजिये । आपकी नोलेज में यह फैक्ट आया है या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं क्लेरिफिकेशन कर दूं । और बाद में क्लेरिफिकेशन की आवश्यकता होगी तो अर्ज करूंगा । मुझे जहां तक मालूम हुआ है चार नाम हैं । यह नाम प्रस्तुत किये गये हैं वे उनकी कुमारी अवस्था के हैं और विवह के बाद दूसरे नाम हुए हैं । डाइरेक्टर को कह दिया गया है कि नाम करेक्ट करलें । इतना तो मुझे अभी तक मालूम है । इसके बावजूद भी ज्यादा इसमें कुछ बात है तो उन पर्टीकुलर तथ्यों की जांच करा ली जायगी ।

एक माननीय सदस्य : आपकी नोलेज में कब आया ?

श्री भैरोंसिंह : आपकी नोलेज में आया । आपने कह दिया कि ये नाम इनके कुमारी अवस्था के हैं । इसका आपने बहाना ले लिया, लेकिन मैं आपको बाहाना नहीं लेने दूंगा ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : बहाना नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : मैं ऐसा समझता हूं कि ट्रेजरी बेन्चेज़ और उनके पक्ष में बैठने वाले कई माननीय सदस्य इस प्रश्न को गम्भीरता से लेंगे.......

श्री सभापति : यह जो आरोप अभी लगाया गया है मैं समझता हूँ कि यह काफी गम्भीर है । जब आप इस सम्बन्ध में उत्तर दें तो पहले इसकी जानकारी कर लें जिससे सदन को इस सम्बन्ध में सारे तथ्य मालूम हो सकें । यह बड़ी गंभीर बात है कि एक मिस के नाम के लिखा हो और मिसेज़ के नाम सीनियोरिटी फिक्स करा दें । जब आप जबाव दें तो सारे फेक्ट्स को सामने रख कर हाउस को एन्लाइटन करेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं । यस श्री भैरोंसिंह ।

श्री भैरोंसिंह : यदि आप चाहे तो कॉपी नजर कर दूं । शायद आप को कॉपी न मिली हो ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह तो मुझे मालूम है कि आप किस प्रकार ले लेते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : अपन दोनों को मालूम है कि किस प्रकार मिल जाती है। आप भी शामिल हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं पीछे २ लगा रहता हूं।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो यह स्वभाविक है कि अध्यापक और अध्यापिकाओं में जलन पैदा होती है। एक तरफ सनियोरिटी फिक्स न करें और दूसरी तरफ सीनियोरिटी लिस्ट जब बनायी जाय तो उसमें अपने लोगों को अकमोडेट करने के लिए जो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल्स पेश किये हैं मैं ऐसा समझता हूं कि शिक्षा जगत की हिस्ट्री में इस प्रकार के फ्रॉड लोगों ने सुने नहीं होंगे, कल्पना करने का तो सवाल ही नहीं है। इस प्रकार के फ्रॉड चलते हैं और सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि शिक्षा मंत्री और उप शिक्षा मंत्री इन दोनों की नोलेज में फ्रॉड आते हैं और उनको नोलेज में ये फ्राड आने के बाद भी एक्शन सजेस्ट नहीं करते, कोई एक्शन लेने की उनकी हिम्मत नहीं होती वे हिम्मत नहीं करते हालांकि हिम्मत आजाती है। लेकिन इसलिए नहीं करते कि उदयपुर का नाम देखते ही उनको पसीना आ जाता है। एक्शन नहीं लेते। एक्शन लेने की बात होती तो अब तक जितने रिप्रेजेन्टेशन्स आये हैं उनमें सरकार का ध्यान गया होगा ? नहीं गया। शिक्षा सचिव की साली की सहेली की नियुक्ति हो सकती है साइन्स की पढ़ाई के लिए उस स्कूल में चाहे साइन्स की कोई क्लास न हो। उनकी नियुक्ति हो सकती है। लेकिन क्वालिफाइड अध्यापिकाओं की नियुक्ति नहीं हो सकती है। जिसको नियुक्त किया गया उसके लिए प्रधानाध्यापिका ने लिख कर दिया जिस क्लास को उन अध्यापिका को पढ़ाने के लिए भेजा गया है वहां उस स्कूल में साइन्स की कोई क्लास ही नहीं है, साइन्स का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। उनकी नियुक्ति होती है इसलिए होती है कि शिक्षा सचिव से संबध है। इस प्रकार कई गड़बड़ियां हैं। मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यदि समय मुझे सदन दे तो मैं उनको प्रस्तुत कर सकता हूं।

अनेक माननीय सदस्य : समय दिया जाय; समय दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : इसी प्रकार का दूसरा फ्रॉड रखना चाहता हूँ।

वह किस प्रकार का है ? एक महिमा बक्षी हैं। उनकी नियुक्ति हुई। उनका सीनियोरिटी लिस्ट में नाम है। यह जो मैंने ३६ के नाम बताये उनमें बक्षी का नाम नहीं है और सीनियोरिटी लिस्ट में नाम नहीं है तो हैडमिस्ट्रेस नहीं हो सकती है। उसका ओफिशियेटिंग अपोइन्टमेन्ट हुआ तो सीनियोरिटी बेसिस पर हुआ समझना चाहिये। वह सीनियर नहीं है। पहले सीनियर टीचर बनाया। फिर फर्जी तौर पर ग्रेज्युएट की लिस्ट में उन्हें लाया गया। एस० टी० सीं० अलवर में भेज दिया गया, वापिस ब्यावर बुलाया गया और फिर वह झालावाड़ में हैड मिस्ट्रेस बना दी गई। आप समझेंगे दो वर्ष का समय लगा होगा, छः महीने का समय लगा होगा, तीन महीने का समय लगा

Page No. 86

(श्री भैरोंसिंह)

होगा । आपको सुन कर हैरानी होगी कि ७ जुलाई से लेकर २८ जुलाई के बीच में एक अध्यापिका को, जो किसी भी प्रकार से सीनियोरिटी में नहीं जाती थी, उसको तीन तीन प्रमोशन्स दिये गये क्यों कि वह मेहता साहब की कृपा पात्र है । इस प्रकार अपने सम्बन्धियों की नियुक्ति कर दी जाय तो आप मान कर चलिये कि सारे अध्यापकों को यह व्यवस्था करनी पड़ेगी कि अपने सम्बन्धी बढ़ाओ या मेलजोल बढ़ाओ । मेलजोल भी खतरनाक है..................

(१२ मध्याह्न)

श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : ये मिसेज् हैं या मिस हैं ।

श्री गोविन्दसिंह : उनके पति वहां पर डाक्टर हैं इसलिये उनको वहां भेजा गया किसी के कृपा-पात्र का सवाल नहीं है । उनके पति वहां डाक्टर हैं इसलिये भेजा गया ।

श्री भैरोंसिंह : झालावाड़ में गये अभी कुछ अरसा ही नहीं हुआ कि माननीय सदस्य ने उनके सीक्रेट्स मालूम कर लिये । यह तो विश्वास की बात हैं किसी को सीक्रेट बता देते हैं किसी को नहीं बताते हैं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : On a point of order, sir, जो बिल सदन के सामने विचारार्थ है उसके अन्दर सिर्फ नोमीनेशन का प्रश्न है और इसके अलावा दो चार मामूली अमेन्डमेन्टस हैं । ये बिल के स्कोप की बातें नहीं हैं, मेरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि माननीय सदस्य इस बिल के स्कोप से बाहर जा रहे हैं ।

दूसरा मेरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि जो पोइन्टस माननीय सदस्य द्वारा उठाये जा रहे हैं, एलीगेशन्स के सम्बन्ध में उसके लिये पहले नोटिस देना आवश्यक है । इसके लिये हमारे रूल्स बड़े साफ हैं । इसके लिये आपके ऑब्जर्वेशन की भी आवश्यकता नहीं है । अगर रूल्स का पालन किया जाता है तो जो भी सीरियस एलीगेशन्स लगाये जांय उनके लिये पहले नोटिस की आवश्यकता है ।

Rule 273 says that No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given previous intimation to the Speaker and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply. Provided that the Speaker may at any time prohibit any member from making any such allegation......... इसलिये मेरा सिर्फ यह निवेदन है, माननीय सभापति महोदय मेरी दिक्कत आप स्वयं भी महसूस करेंगे कि जो जानकारी इस समय नहीं है वह मैं नहीं दे सकूंगा । माननीय सदस्य जो तथ्य इतनी बारिकी से पेश कर रहे हैं उसका क्लेरिफिकेशन मैं नहीं दे सकता जब तक कि इसके लिये टाइम न मिले ।

इसके अलावा सभापति महोदय, जो एलीगेशन्स डायरेक्टर के खिलाफ लगाये जा रहे हैं जब तक मैं जानकारी न कर लूं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता ।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

इसलिये मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूँ जो एलीगेशन्स लगाये गये हैं वे बियोन्ड दी स्कोप ऑफ दि बिल हैं। इसके अलावा इनके सम्बन्ध में इन्होंने नोटिस नहीं दिया अतः इनको अधिकार नहीं है कि इस प्रकार के एलीगेशन्स बिना नोटिस के लगायें।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, माननीय उप मंत्री महोदय ने जो पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज किया है वह महज पोइन्ट ऑफ रेज ऑर्डर करने की गरज से किया है; उनकी इस पर बल देने की कोई भावना नहीं है। यह इल्जाम उन पर कोई न लगा दे कि उन्होंने रोका नहीं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : विद् ऑल सीरियसनेस मैंने पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज किया है इसमें इल्जाम का सवाल कहां आता है। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा भावना के आधार पर जो निराधार तथ्य पेश किये जांय वह नहीं होने चाहिये। माननीय सदस्य पुरानी टेक्निक के आधार पर कहे जा रहे हैं। उस टेक्निक से इसको महरूम रखें।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपके शब्दों में भावनाओं और तथ्यों के खिलाफ नहीं कहूंगा भावनाओं और तथ्यों के विपरीत नहीं जाऊंगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सवाल तो यही है कि जो आप बातें कह रहे है वह इस बिल के स्कोप में आती हैं या नहीं, अभी थोड़ी देर पहले एक माननीय सदस्य ने कहा..........

श्री भैरोंसिंह : मैं आपको बता दूं यह बिल के स्कोप में आता है या नहीं। आपने जो इसमें नोमीनेटेड मेम्बर्स के रखने की बात कही है मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रकार के व्यक्तियों को इस बोर्ड में नोमीनेट न किया जाये जिनके खिलाफ इस तरह के आरोप हों। इसलिये यह बिल के स्कोप के अन्दर है........

श्री निरंजननाथ आचार्य : ये तो एक्स ऑफिशियो मेम्बर हैं....

श्री भैरोंसिंह : हैं तो मेम्बर ही।

श्री सभापति : इस बिल पर जो वाद-विवाद चल रहा है उसके लिये उप मन्त्री महोदय शिक्षा ने आपत्ति प्रस्तुत की है कि श्री भैरोंसिहजी जो बोल रहे हैं वह बिल के स्कोप में नहीं है। जहां तक आरोपों का प्रश्न है उसके लिये आसन का ध्यान जिस नियम की ओर दिलाया है, मैं समझता हूँ यह व्यवस्था अवश्य है इस दृष्टि से नोटिस दिया जाना चाहिये। सरकार द्वारा एक बात स्वीकार करली गई जिसमें बिना नोटिस दिये ही उसका उत्तर देने के लिये मन्त्री महोदय राजी हो गये। जिन चार अध्यापिकाओं का जिक्र पहले किया गया उसके बारे में मन्त्री महोदय ने यह कह दिया कि मैं तथ्यों की जानकारी करके इसका उत्तर आज ही दे दूंगा। इसका मतलब है सरकार को तथ्यों की जानकारी है। इसी से सम्बन्धित दूसरे आरोपों का जहां तक सवाल है अगर सरकार उन आरोपों का जवाब देने में अपनी असमर्थता प्रगट करती है तो आसन बड़ी सहृदयता से स्वीकार करेगा इसमें आपकी इनेबिलिटी।

(श्री सभापति)

I will conssder all that and I will see if there is anything about which the Government may not be in a position to reply off-hand.

दूसरा प्रश्न बोर्ड के गठन से ताल्लुक रखता है, तर्कों की दृष्टि से उसके लिये प्रस्तुत किये जा सकते है और तर्क दिये जाते रहे हैं उसके दिये बिना सदन पर प्रभाव नहीं पड़ता। तर्क की पुष्टि में यदि उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं तो कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। इसलिये मैं पोइन्ट ऑफ आर्डर को डिस-अलाऊ करता हूँ।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, माननीय मन्त्री महोदय अपने ही हाथों पकड़े गये, मैं सरकार की मदद के लिये इतना काम कर सकता हूं जो गवर्नमेंट आर्डर हैं उनकी कॉपी मैं मन्त्रीजी को दे सकता हूं सदन सुनना चाहे तो उसको सुना सकता हूँ उसके बाद मन्त्रीजी को कहने की आवश्यकता नहीं रहेगी। We have been caught off-hand.

श्री सभापति : Why should you presume that the Government is ignorant of all these facts.

श्री भैरोंसिंह : प्रोमोशन्स किस प्रकार से मिलते हैं आर्डर से नहीं मिलते हैं, प्रोमोशन्स के लिये सिलेक्शन कमेटी नहीं बैठती, प्रमोशन्स हायर सेकन्डरी बोर्ड नहीं देता, प्रमोशन्स तो एन्टीसीपेट करके चलते हैं। एक लेटर श्री जगन्नाथसिंह मेहता का पढ़कर सदन को सुनाना चाहता हूं जो किसी मिस्ट्रस को उन्होंने लिखा है। उस मिस्ट्रेस ने यह दरख्वास्त की थी कि सिनियोरिटी के हिसाब से मुझे मिलना चाहिये, मैं बहुत सीनियर हूं उसके लिये वे जवाब देते हैं। उसने उसमें प्रार्थना की है कि मेरा ट्रान्सफर ब्यावर कर दिया जाय जो अजमेर डिस्ट्रिक्ट में है। मैं अजमेर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूं। उसने यह समझा होगा कि अजमेर डिस्ट्रिक्ट की हूं इसलिये अजमेर वालों के साथ न्याय होगा। क्योंकि अजमेर के शिक्षा मंत्रीजी हैं और उप शिक्षामंत्री जो उदयपुर जाते है तो ब्यावर से होकर निकलते हैं उनके पदचिन्ह पड़ते हैं, इसलिये न्याय होगा। उसने एक दरख्वास्त प्रोमोशन के लिये दी और स्थानान्तरण के लिये प्रार्थना की उस पर श्री मेहता साहब लिखते हैं।

Dear.........

As already informed, it is not possible to transfer till Mrs......is shifted to Beawer Miss.....is likely to take over as Headmistress and then only your transfer can be given effect to" उस समय कोई लिस्ट नहीं थी कि किस किस को हैड मिस्ट्रेस बनाना है, कौन कौन से ट्रेन्ड ग्रेजुएट्स आते हैं उसकी कोई लिस्ट नहीं। वैसी हालत में डायरेक्टर महोदय यह कल्पना करके कैसे चले और यह कैसे मान लिया कि सीनियर टीचर के पद पर महिमा बक्सी को लगाया जायगा। उनको इलहाम कैसे हो गया, उनको किसने अधिकार दे दिया कि आप इस प्रकार लिखकर भेज दें बिना सिलेक्शन के, बिना वेलिड अपोइन्टमेन्ट उनको चिट्ठी लिख दी गई हैड मिस्ट्रेस बनाने के लिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह लैटर प्राइवेट है या ऑफिशियल है ?

श्री भैरोंसिंह : यह सब ऑफिशियल है। मैं पूरी फाइल जिनमें, ये कागज हैं सदन की मेज पर रखने के लिये तैयार हूं, एक एक कॉपी मंत्री जी, उप मंत्री जी, दोनों को देने के लिये तैयार हूं। आप मेरा भाषण खत्म होने के बाद ले लीजिये।

अब प्रश्न आता है नियुक्तियों का। नियुक्तियों के साथ साथ ये सारी होती क्यों हैं, अजमेर के शिक्षा मंत्री जो हैं, शिक्षा सचिव होते कौन हैं जो इस प्रकार की धांधली करें। शिक्षा सचिव यदि सीधे होकर चलते तो यह नौबत नहीं आती। उन्होंने ही तो यह फ्रॉड कर रखा है। स्पोर्ट्स कौन्सिल के ऑफिस के लिये आपका बंगला किराये दिया हुआ है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : हाउस की टेबल पर यह रख दिया जाना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : एक दो कागज ही क्या, पूरी फाइल टेबल पर रखने को तैयार हूं, और इसकी एक एक कॉपी मन्त्रीजी और उप-मन्त्रीजी को भी देने को तैयार हूं भाषण समाप्त होने के बाद।

अब प्रश्न यह आता है कि ये नियुक्तियां किस प्रकार की जाती हैं? ये सारी चीजें होती क्यों है? आखिर राजस्थान के शिक्षा मंत्री भी हैं, शिक्षा सचिव भी हैं। यदि शिक्षा सचिव भी शुद्ध होकर चलें तो सब यह ठीक हो जाय। ओपन फ्रॉड कर रखा है उन्होंने। राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स कौंसिल का ऑफिस है उनके मकान में किराये पर मकान दे सकते हैं उसी कौंसिल को जिसके वे सदस्य हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस बिल के स्कोप में ये सारी चीजें किस प्रकार से आती हैं। यह तो सेकण्डरी एजूकेशन का बिल है जिसका बिलकुल लिमिटेड स्कोप है। सेक्रेटरी के पर्सनल मामलों पर जाना और सारी चीजों को इन्डाइरेक्ट वे में कहना कहां तक ठीक है?

श्री भैरोंसिंह : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा मन्त्री का और शिक्षा सचिव का जैसा कैरेक्टर होगा that will reflect on the teachers and the taught. यह मैं इसके द्वारा कहना चाहता हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : How is it relevant so far as this Bill is concerned? आप हम से कहते हैं कैरेक्टर का जिक्र किया जावे, क्रिटिसाइज किया जावे यह किस स्कोप ऑफ दी बिल में आता है। It is not revelant.

श्री भैरोंसिंह : मुझे अफसोस इस बात का है कि ये इन बातों को सुनने से भी शरमाते हैं। आप शरमाते क्यों हैं? आप इनमें शामिल क्यों होते हैं, इनको दूर करिये न।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सभापति महोदय, यह प्रश्न कई बार एजीटेट होता है। सवाल यह है कि उनका प्रस्ताव है कि इसे जनता में प्रसारित किया जावे। तो सवाल यह पैदा होता है कि इसमें नोमीनेशन और दूसरा कम्पोजीशन है तो इनके क्या क्या कारनामे होते हैं, इनकी जानकारी भी जनता को मिलनी चाहिये। अगर इनमें कोई गलत है तो गलत कह दीजिये। बाकी आज इसका स्कोप यह है कि किस हिसाब से जनता अपनी राय दे इसके लिये यह

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

आवश्यक है कि ये सब चीजें कही जावें। ताकि जनता इन सब चीजों को समझकर अपनी सही राय दे सके।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कम्पोज़ीशन पर तो आपने एक शब्द भी नहीं कहा है।

श्री भैरोंसिंह : कह रहा हूँ, आप शान्ति रखिये। मैं आ रहा हूं उसी पर। किन स्थितियों में यह बोर्ड चला जावेगा उन स्थितियों को साफ करने के लिये जब कुछ बातें पोइन्ट आउट की जाती हैं, जब कोई बात ऐसी चुभती हुई कही जाती है जिसकी चर्चा जनता में हो, जैसे करप्शन की बात है तब उसके लिये स्कोप की बात कही जाती है, उसकी आड़ में वे सुनने से भी इन्कार करना चाहते हैं यही साफ जाहिर करता है आपका रवैया कि आप किस तरह का यह बोर्ड बनाने जा रहे हैं, किस तरह के आदमियों को आप इसमें रखना चाहते हैं, तो जिस में जनता की आंखें लगी हुई हैं उन बातों का कहा जाना आवश्यक है।

श्री सभापति : थोड़ा आप समय का ध्यान रक्खें।

श्री भैरोंसिंह : समय का बहुत ध्यान है सभापति महोदय। पर इस विभाग में जो स्केण्डल्स हैं उनका भी मुझे ध्यान है। अब समय का ध्यान रक्खूं या इस विभाग के स्केण्डल्स का ध्यान रक्खूं। मैं जनता का प्रतिनिधि हूं। एजुकेशन विभाग के जो स्केण्डल्स हैं वे हिस्टोरिकल हैं। हाउस कॉम्पीटेन्ट है इन स्केण्डलों को रोकने के लिये। इनको रखने के लिये भी उपयुक्त स्थान है। मुझे अवसर दिया जाय कि इस सारे एजुकेशन विभाग का कच्चा चिट्ठा सदन में रक्खूं। मैं कॉलेज एजूकेशन में नहीं जाऊंगा। इस बिल के स्कोप से बाहर नही जाऊंगा। हायर सेकण्डरी बोर्ड का जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो इसकी व्यवस्था है, उसको क्वेश्चन अवश्य करूंगा।

उनका मकान किराये पर चल रहा है। पी० डब्ल्यू० डी० विभाग से किराया असेंस नहीं कराया जा रहा है। स्पोर्टस कौंसिल को किराये पर दिया, उस स्पोर्ट्स कौंसिल के वे मेम्बर हैं और सरकार के शिक्षा सचिव भी हैं। इसके हिसाब का ऑडिट होता है। ऑडिटर एतराज करता है कि पी० डब्ल्यू० डी० से असेंस तो कराओ। फिर किराया दो और इतना भी हो जावे तो समझ में आ जावे, पर ऊपर के कमरे तो किराये पर और लान के मेन्टीनेन्स का खर्चा ४००) महीना अलग से स्पोर्टस कौंसिल को देना पड़ता है। यह शिक्षा सचिव हैं। कोई प्राइमरी स्कूल के अध्यापक नहीं हैं, सेक्रेटेरियट में बैठने वाले क्लर्क नहीं हैं, बाबूजी के पास रहने वाले कोई चपरासी नहीं हैं। यह सारी कार्यवाही करने वाले शिक्षा सचिव स्वयं हैं जो स्पोर्ट्स कौंसिल के मेम्बर और शिक्षा विभाग में सचिव भी हैं। अपना मकान किराया उसी को दे दें। गलत ढंग से किराया चार्ज करें। और मेन्टीनेन्स के नाम पर ४००) रु० महावार ले लें। ऑडिट रिपोर्ट को दबाकर खा जावें और शिक्षा मन्त्री यह सब देखते रहें मूक दर्शक बन कर, एक्शन नहीं सके। शिक्षा सचिव ही हिम्मत कर सकते हैं ऐसी शिक्षा के क्षेत्र में।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं समझता हूं कि जो व्यक्ति इस सदन में जवाब देने

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

को उपस्थित न हो उनके बारे में इस तरह की बातें न कही जावें।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, में आपकी जानकारी के लिये बता दूं कि शिक्षा सचिव इस सदन में आने वाले नहीं हैं। जवाब देने के लिये आप लाग दोनों यहां मौजूद हैं। आप जवाब दें इनका यहां पर।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं इस बात की तरफ आपका ध्यान दिलाता हूं कि इस अमेंडमेंट में आपका जो संशोधन प्रस्ताव है उसकी सीमा के बाहर बहस नहीं की जावे तो अच्छा होगा।

श्री भैरोंसिंह : मैं नहीं जा रहा हूँ बाहर। मैं और बताऊं मन्त्री महोदय को कि अभी तो में शिक्षा सचिव तक पहुँचा हूं। अभी थोड़ी देर में और ऊपर भी पहुँचने वाला हूँ। आपका जो यह सिस्टम है इसको क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आप इस बोर्ड में जो नोमीनेशन करने जा रहे हैं वह कैसा करेंगे, आप इसमें भी नोमीनेशन इसी तरह से वेस्टेड इन्टरेस्ट से ही करेंगे।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सिस्टम के बारे में आलोचना करना चाहें तो बिल्कुल करें, इसका स्वागत है।

श्री भैरोंसिंह : तसल्ली से सुनेंगे तो मैं आप तक नहीं पहुंचूंगा। अब सभापति महोदय, वह शिक्षा सचिव स्पोर्ट्स कौंसिल में भी पहुँचते हैं, उनके बिना वहां का काम नहीं चल सकता। ये हट जावें उसमें भाग नहीं लें तो गोलमाल हो जावे। अगर वे उसमें भाग न लें उसको अपना मकान न दें, गार्डन की मेन्टीनेन्स न करावें तो उसमें बचत हो जावे। उसकी बचत हो जावे तो काम नहीं चले। यह उल्टा रिवाज है। पर यह चले उसमें मुझे आपत्ति नहीं।

हायर सेकन्डरी एजूकेशन बोर्ड जो बना है उसके कुछ नियम हैं। उनके अन्तर्गत परीक्षाएं होती हैं। परीक्षाओं में एग्जामिनर, टेबुलेटर, सेंटर की नियुक्तियां होती हैं। और इसके पहले लिस्ट पब्लिश होती है कि कौन कौन एग्जामिनर होगा, कौन सेंटर होगा, कौन टेबुलेटर होगा। उनकी लिस्ट पब्लिश होती है। मन्त्रीजी इसे स्वीकार करते हैं, मैं पूछता हूं आज तक उन्होंने कितनी लिस्ट पब्लिश कराई हैं ? अगर कराई है तो मनमाने ढंग से बनाई है। किसी अपने पिट्ठू को फाइनेन्शियल लाभ पहुँचाने के लिये समय समय पर उसमें परिवर्तन किया गया है। पर कोई प्रेस्काइब्ड लिस्ट एजूकेशन के दफ्तर में नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी ? लोग उसे तैयार नहीं करना चाहते हैं। क्यों नहीं ? टेबुलेटर को एग्जामिनर को और सेंटर को फाइनेन्शियल लाभ के पद गिने जाते हैं। वहां किसको पहुँचाया जावे यह वे सोचते रहते हैं। हर आदमी अगर मेरिट्स के बेसिस पर वह जगह ले जावे तो फिर उनकी कारगुजारी क्या है ?

वे अपने आदमियों को ओब्लाइज करना चाहते हैं कि तुम्हें टेबुलेटर के नाम से इतना पैसा मिलेगा, और सेंटर के नाम से इतना पैसा मिलेगा, एग्जामिनर को इतना मिलेगा, तो पैसे का बंटवारा करने के लिये जिसको अपना पेट समझा उसको पोस्टें दे दी।

(श्री भैरोंसिंह)

अब उदाहरण के नाते मैं आपको बता दूं इस विभाग का नियम है कि जिसको दस वर्ष का एक्सपिरियेन्स नहीं है उसको एग्ज़ामिनर नहीं बनाया जा सकता। राजस्थान के शिक्षा मन्त्री जी इसको जानते हैं। वे स्वयं सूची इन एग्ज़ामिनरों की उठाकर देखलें कि इनमें से किन को दस साल का एक्सपीरियेन्स है। एक नन्दलाल जैन हैं। सेन्ट जेवियर हाई स्कूल में टीचर हैं। वे अब तक एग्ज़ामिनर थे। अमेरिकन रिटर्न्ड हैं, बड़े योग्य हैं, योग्य थे तभी उन्होंने पहले रक्खा। उनको एग्ज़ामिनरशिप से रोक दिया। इस पर उन्होंने रिप्रेजेन्टेशन किया। तो उस पर लिखा गया कि आप चूंकि हायर सेकण्डरी एजूकेशन बोर्ड के अन्तर्गत चलने वाली स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं इसलिये आपको यह पद नहीं दिया जा सकता। समझ में आया यह उनका प्रिन्सिपल। पर जयपुर में आदर्शनगर में गर्ल्स की हायर सेकण्डरी स्कूल है उसमें एक श्रीमती लीला जैन हैं। उसको एक साल का अनुभव होते हुए भी एग्ज़ामिनर का पद दे दिया गया। अब यह मुझे पता नहीं कि इनके नियमों में कहीं महिलाओं के साथ कोई प्रिविलेज हो तो। यह मेरे ध्यान में रूल नहीं आया। ऐसा कोई रूल हो तो मन्त्री महोदय बता दें या अलग से ऐसा कोई ऑर्डर निकाला हो तो बता दें कि महिलाओं के लिए एक साल का एक्सपीरियेन्स बहुत है। इस आधार पर जब शिकायत की गई तो कह दिया गया कि ये यू० पी० में अध्यापक थीं इस तरह से इनका दस साल का एक्सपीरियेन्स पूरा हो जाता है। लोग चुप रहने वाले थोड़ेही थे, लोगों ने इसका पीछा किया गये यू० पी० में इसका पता लगाने तो पता लगा कि वह वहां एक प्राइमरी स्कूल में अध्यापिका थीं। तो प्राइमरी स्कूल की टीचरी का अनुभव भी दस साल के अनुभव में गिना जा कर उसको एग्ज़ामिनर बनाया जा सकता है। ऐसी हालत में निवेदन करना चाहूंगा कि इस एग्ज़ामिनर के प्रश्न को देखा जाय और यह भी देखा जाय कि किस प्रकार से इतने एग्ज़ामिनर नियुक्त किये जाते हैं?

फिर एक बात और है। एग्ज़ामिनर, टेबुलेटर और सैटर एक व्यक्ति कभी नहीं होता। आज कितनी भी देश में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटियां हैं उनके इन्स्टीट्शन्स में एग्ज़ामिनर और टेबुलेटर एक नहीं होते। पर राजस्थान सरकार कुछ अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिये एक ही व्यक्ति को टेबुलेटर और एग्ज़ामिनर बनाती है। इस सरकार में वही टेबुलेटर होता है और वही एग्ज़ामिनर। आप चाहें तो इसकी लिस्ट देख लें और पूरा अमाउन्ट देख लें कि इसका अमाउन्ट का पेमेन्ट करना पड़ा।

सभापति महोदय, कहीं करप्शन को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है आप हायर सेकेन्डरी एजूकेशन बोर्ड के एग्ज़ामिनर्स, सैटर और टेबूलेटर्स की लिस्ट मंगाकर सदन में पेश करें। विजिलेन्स कमीशन को अप्लीकेशन्स की आवश्यकता नहीं है उस दफ्तर पर जाकर धरना दे दें, वहां करप्शन अपने आप फूल की तरह से निकलता आयेगा। मैं मानता हूं सरकार के शिक्षा मंत्री यह नहीं कर सकते। मैं आप को बताऊं कि एक ही लड़के को एक लिस्ट में तो एब्सेन्ट बता रखा है और एक में अल्ट्रामीन्स बता रखा है। वह दोनों फोटे-स्टेड कॉपी माननीय मंत्री जी की जेब में पड़ी हैं और लड़के की एप्लीकेशन उनकी

(श्री भैरोंसिंह)

टेबल पर पड़ी है । अब यह चीजें चलती क्यों है ? अगर वह लड़का एब्सेन्ट था तो दूसरी लिस्ट में भी उसको एब्सेन्ट ही दिखाना चाहिए था और यदि दूसरी में अल्ट्रॉमीन्स दिखाया है तो दोनों में अल्ट्रामीन्स दिखाना चाहिए था; लड़के ने हाजिर होकर परीक्षा दी, उसकी कॉपी बनी, परीक्षा लेने वाले जो कि वहां पर देखने वाले होते हैं वह गवाही देते है और साथ बैठने वाले छात्र रिप्रेजेन्टेशन देते हैं कि यह छात्र हमारे साथ परीक्षा में बैठा था । तो इस प्रकार से बोर्ड में लड़के की ३ स्थिति हो गयीं । मार्क्स शीट में कहते हैं कि एबसेन्ट है, दूसरी जगह कहते हैं कि अल्ट्रॉमीन्स हैं ।

इसके अलावा सभापति महोदय, मैं दूसरा उदाहरण देता हूं कि एक लड़का फेल हो गया नीम के थाने में । उसको पता लगा कि मैं सप्लीमेन्ट्री में आया हूं और वह सप्लीमेन्ट्री का फॉर्म लेने के लिए बोर्ड के ऑफिस में गया । उसको फॉर्म दे दिया गया । वह स्कूल में आया, उसने फीस जमा कराई और फॉर्म भरकर हायर सेकेन्डरी एजूकेशन के बोर्ड को भेज दिया वह ३ तारीख तक इन्तजार करता रहा और मेहनत करता रहा । रात दिन उसने किताबें पढ़ी और प्राईवेट ट्यूटर भी इसके लिए एंगेज किया । जब उसके पास ३ तारीख तक कुछ लिखा हुआ नहीं आया तो वह ४ तारीख को देखने के लिए गया तो वहां ऑफिस में उसको कहा गया कि तुम तो फेल हो गए । तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब फेल हो गया था तो उसको हायर सेकन्डरी का फॉर्म क्यों दिया गया ? जब दफ्तर वालों को यह कहा गया तो उन्होंने कहा कि गलती से इश्यू हो गया । उनकी तो गलती हो गयी लेकिन जिसके साथ अन्याय हुआ है उसका क्या हुआ ? यह सब धांधली एक नहीं है ।

यह हाल है कि जितने भी लड़के सप्लीमेन्टरी में आये है उनमें ५० प्रतिशत इंग्लिश में आये हैं और ५० प्रतिशत बाकी के दूसरे सब्जेक्टस में आये हैं । इस बोर्ड को कई बार लिखा है कि आपका पत्र-व्यवहार हिन्दी में होना चाहिए लेकिन वहां तो सब अंग्रेज बैठे हैं । अंग्रेजी में ज्यादा लड़के फेल होते है, अंग्रेजी का स्टेन्डर्ड गिरता जा रहा है लेकिन फिर भी जबरदस्ती कहते हैं कि पढायेंगे तो अंग्रेजी ही, अंग्रेजी नहीं पढ़ायेंगे तो लोग बैकवर्ड कहेंगे । आज जब ऐसी स्थिति बनती है तो उसमें ऐसा लगता हैं कि राजस्थान की सरकार और राजस्थान का मंत्री मण्डल यह कुछ नहीं कर सकता और इसलिए नहीं कर सकता कि यहां के शिक्षा सचिव करप्ट हैं । मैं जो यह इल्जाम लगा रहा हूं कि शिक्षा सचिव करप्ट हैं यह मैं किसी जिम्मेदारी से लग रहा हूँ और ऐसी जिम्मेदारी से लगा रहा हूँ कि जिस जिम्मेदारी की ईमानदारी को देखा जाये तो शिक्षा सचिव और डाइरेक्टर को सस्पेन्ड किया जाना चाहिए, अरेस्ट किया जाना चाहिए और उनको प्रोसीक्यूट किया जाना चाहिए । आज के एक साल पहले इसी सदन में श्री रामकिशनजी ने एक फोटेस्टेड कॉपी पेश की थी जोधपुर के किसी फिजीकल ट्रेनिग कॉलेज के भवन के मामले में । उस भवन के मामले की इन्क्वायरी हुई और उस इन्क्वायरी के बाद उप-मंत्रीजी ने पिछले सत्र में कह दिया कि वह चिट्ठी फर्जी थी । खैर चिट्ठी के फर्जी होने का और सही होने का

(श्री भैरोंसिंह)

जहां तक प्रश्न आता है मैं उसको डील नहीं करता। सरकार ने सभापति महोदय, उसको एन्टीकरप्शन को दिया और एन्टीकरप्शन विभाग से उसकी जांच करवाई। एन्टीकरप्शन वालों ने जांच की और जांच करने के बाद में उन्होंने क्या किया कि जिम्मेदारी आती है शिक्षा सचिव की, जिम्मेदारी आती है डाइरेक्टर ऑफ एजूकेशन की और जिम्मेदारी आती है राजस्थान के उस समय के शिक्षा मंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया को और चालान किया प्रिन्सिपल का १ लाख १५ हजार रुपये को ऑफर का कागज हमें बताया नहीं और इस कारण शिक्षा सचिव ने उसको २ लाख १० हजार में खरीदा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर, यह प्रश्न जो माननीय सदस्य से उठाया है उसमें जैसा इन्होंने कहा कि प्रिन्सिपल श्री सुजानसिंह अण्डर सेक्शन ४२०।१।डी।२ पी० सी० एक्ट के अन्दर केस चल रहा है इन दी कन्सर्न्ड कोर्ट, उस केस के सम्बन्ध में जो आप तथ्य दे रहे हैं।...

श्री भैरोंसिंह : मैं स्पष्ट कर दूं सभापति महोदय, कि उस केस के संबंध में एक शब्द नहीं कहने वाला हूं। लेकिन इस चाल में आने वाला नहीं हूँ कि ४ व्यक्तियों में से १ का चालान कर दिया जाये और चारों का चालान नहीं किया जाये, इस पर मैं निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरा पाइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि जिन तथ्यों और शहादतों के संबंध में आप यहां जो कुछ जिक्र करेंगे they are all relevant to the witnesses in that particular case.

इसलिए मेरा यह निवेदन है कि विटनेसेज़ के सम्बन्ध में, उनके कन्डक्ट के सम्बन्ध में यहां कुछ भी जिक्र किया जायेगा यह वहां के अदालत के न्याय को प्रिजुडिस करेगा, क्योंकि जब तक वह केस सामने न हो तब तक इस शहादत के सम्बन्ध में यहां जिक्र करना, उसका एनेलेसिस करना है और अदालत को प्रिजुडिस करना है। ऐसी स्थिति में इस सम्बन्ध में आपको रोका जाना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : मैं सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप रूलिंग कोई भी दें लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि ४ आदमी मिलकर चोरी करते हैं और पुलिस एक का चलान करती है। मेरे यहां चोरी हुई और मैं कहता हूं कि चोर एक नहीं चार हैं इसलिए चारों का चालान होना चाहिए एक का नहीं। तो क्या उनका चालान करने की मांग करना मुझे इस बात के लिए बंद करेगा और वह भी यह कह कर कि क्योंकि कोर्ट में केस का चालान कर दिया गया है इसलिए चुप रहें। इस केस में १ का चालान किया गया और मैं ३ का चालान और साथ में चाहता हूं और मैं उस केस को मजबूत करना चाहता हूं, कमजोर करना नहीं। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस केस को दुबारा लिया जाये और फिर उनको प्रोसीक्यूट किया जाये। मैं आपको बता दूं कि सबजुडिस के प्रश्न को भी मैंने अच्छी तरह से देखा है और अधिकृत रूप से इस सम्बन्ध

(श्री भैरोंसिंह)·

में पार्लियामेंट और हाउस ऑफ कॉमन्स के जो कन्वेन्शन्स हैं उनको पढ़ा है।

श्री सभापति : Yes, anything more to say ?

केस का चलान हो चुका है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जी हां। प्रोसीडिंग्स चल रही हैं।

श्री सभापति : मैं नहीं समझता कि केस के सम्बन्ध में यहां विचार करने से हमारी स्टेट की जुडिशरी इससे इन्फुलेन्स हो सकती है। ऐसी डिबेट हम करते आये हैं ऐसे मामलों में कि जो अदालतों में चलते हैं और हम यह मानकर नहीं चलते हैं कि हमारी अदालतों पर उसका असर पड़ेगा और असर पड़ना भी नहीं चाहिए। इसलिए जितने भी रिलेवेन्ट फैक्ट्स हैं मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि जहां तक प्रोसीक्यूशन हो चुका है उसके मैरिट्स के सम्बन्ध में विचार न करके बाकी जितने तथ्य हैं वह सदन के सामने रखें, इतना निवेदन करना चाहता हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सभापति महोदय, यह सदन में अखबार पढ़ने की प्रथा गलत है। माननीय सदस्य (श्री मान्धाता सिंह) अखबार पढ़ रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह कह रहा था कि प्रिन्सिपल महोदय के लिए जो कुछ कर दिया उनके लिए, मुझे एक शब्द भी नहीं कहना है। मुझे तो यह कहना है कि प्रिन्सिपल के सामने १ लाख १५ हजार की ऑफर आई लिखित रूप में उसको डाइरेक्टर के पास भेज दिया और डाइरेक्टर यह कहते हैं कि यह ऑफर उन को मिली नहीं। उस प्रिन्सिपल ने एक सब्सीक्वेन्ट लैटर लिखा जिसमें ओरिजिनल लैटर का रेफरेन्स था। वह लेटर उनके रजिस्टर के अन्दर रिसीट में लिखा हुआ है उसकी फोटेस्टेड कॉपी मेरे पास है और स्वयं जगन्नाथसिह जी मेहता ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें स्वीकार करते हैं कि दूसरा पत्र जिसमें पहले वाले पत्र का रेफरेन्स था वह मुझे मिला है। एक तो यह प्रश्न है। दूसरा प्रश्न यह है कि जब सेलडीड फाइनल नहीं हुआ और शुरू के स्टेटमेंट में मेहता साहब जोधपुर जाते हैं और राव वीर भानसिह के मकान पर जाकर उस भवन को देखते हैं। वीरभानसिह कई आदमियों के साथ जो सरकारी गवाह हैं वह कहते हैं कि १ लाख १५ हजार रुपये का ऑफर दिया है आप इसको जल्दी से जल्दी फाइनल करवा दें।

अब उस स्थिति में फिज़ीकल कॉलेज के प्रिन्सीपल को कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी ट्रान्जेक्शन हैं वह जल्दी से जल्दी फाइनल किया जाय। आज तक १,१५,०००) रु० की जो ऑफर की गई थी पत्र लिखा यह कुछ चीजें रह गईं डाइरेक्टर के ऑफिस में। इस बीच में, सभापति महोदय, वह वीरभानसिह एजूकेशन डिपार्टमेंट में आता है और सेक्रेटरी महोदय को मिलता है और सेक्रेटरी महोदय से कहता है ? क्या कहता है कि मैं इस प्लॉट को बेचना नहीं चाहता। क्यों नहीं बेचना चाहता ? क्योंकि इसमें कई हिस्सेदार हैं और मेरे हिस्सेदार यह ऑब्जेक्शन कर रहे

(श्री भैरोंसिंह)

हैं कि १ लाख १५ हजार के अन्दर यह मकान या जायदाद नहीं बेची जाय। इसलिए जो कुछ भी प्रिन्सीपल को ऑफर दी है उस ऑफर को मैं विद्ड्रॉ कर रहा हूँ। वह लेटर भी मेरे पास में है। अब जब वह ऑफर विद्ड्रॉ करने का लेटर सेक्रेटरी को दिया गया फिर सेक्रेटरी साहब ने देखा कि डील बहुत अच्छा है। मामला हाथ से नहीं जाने दिया जाय तो नेगोसियेशन्स उन्होंने चालू किये और फिजीकल कॉलेज के प्रिन्सीपल को लेटर लिखा कि मैं इनको तुम्हारे पास भेजता हूं। पी० डब्ल्यू० डी० को लेकर इनका एसेसमेंट कराओ। वह एसेसमेंट तो होता नहीं और यहां बैठकर २ लाख ३० हजार में सौदा हो जाता है। प्रिन्सीपल कुछ कार्यवाही करता है और प्रिन्सीपल को लिखकर दे दिया जाता है कि २ लाख तीस हजार में यह डील फाइनल कर दिया है। जो कुछ भी पेपर्स एग्जीक्यूट करना हो वह पेपर्स एग्जीक्यूट कर डालें। वह पेपर्स एग्जीक्यूट कर दिये। और इसके अलावा मैं ज्यादा कुछ नही कहना चाहता हूं। जो इसका एक मेन विटनेस है उस मेन विटनेस का एक स्टेटमेंट सदन को पढ़कर सुनाना चाहता हूं। वह एक सोशिलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता श्री अमर कृष्ण हैं। उस अमर कृष्ण ने एन्टी-करप्शन में यह स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने यह लिखा है....

श्री निरन्जननाथ आचार्य : I challenge the authenticity of the statement,

श्री भैरोंसिंह : I take my own responsibility.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सभापति महोदय,....

श्री सभापति : One Hon. Member please.

श्री निरन्जननाथ आचार्य : जैसा कि मैंने पूर्व में अर्ज किया कि यह विटनेसेस का एनेलेसिस, एप्रिसियेशन और उन विटनेसेज् को यहां पर रखना जो विटनेस वहां पर एपियर होने जा रहे हैं उस सारी स्थिति को विषम करना है और अदालत की स्थिति को विषम करना है।

श्री भैरोंसिंह : बिल्कुल नहीं करता है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : They are all relevant witnesses. of the case उन गवाहान के बयानात को एनेलेसिस करना, एप्रिसियेशन करना, कमेन्ट करना, यह सारे केस पर असर डालता है, मैं पुनः माननीय सभापति महोदय से निवेदन करूंगा कि सारे केस के तथ्यों पर जिनके सम्बन्ध में अदालत को निर्णय लेना है तो वह विटेनेसेज भी उनके सामने होंगी If the case has been decided it can be well discussed here but rot before that.

श्री भैरोंसिंह : मैं, सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय उपमन्त्री जी ने जो आपत्ति की है कि जिस केस में जिन फेक्ट्स पर सुजानसिंह का चालान किया है मैं वह फेक्ट्स नहीं कह रहा हूं। मैं केवल वह फेक्ट्स ला रहा हूं जिन पर इन तीन मुलाजिमान को छोड़ा गया है और चालान नहीं किया गया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ी देर पहले आपने ऑब्जर्वेशन दिया है कि जिस आदमी के बारे में प्रोसीक्यूशन हो चुका है उसके बारे में नहीं कहा जा सकता है....

श्री भैरोंसिंह : उसके बारे में कहां कह रहा हूं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं अभी बता रहा हूं। जो सारी पोजीशन माननीय सदस्य की ओर से रखी जा रही है उससे इस सदन के माननीय सदस्यों पर यह असर पड़ता है जैसे कि वह प्रिन्सीपल की वकालत कर रहे हैं। वह निर्दोष हैं। वे उन सारी चीजों को दूसरे लोगों की है सामने रख रहे हैं, वह एक प्रकार से उनको बचाने का प्रयत्न अपनी स्पीच के द्वारा कर रहे हैं। इसलिए जो ऑब्जर्वेशन पहले दिया जा चुका है यह उसके प्रतिकूल पड़ता है। यह ऑब्जर्वेशन यहां पर नहीं होने चाहिए कि वह दोषी है या नहीं। जब उसका चालान हो गया है तो आपको इस प्रकार के ऑब्जर्वेशन जिससे कि सदन के माननीय सदस्यों और अखबार के जरिये दूसरों पर यह वातावरण बने कि दोषी और कोई है और यहां उसकी तरफदारी करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं, सभापति महोदय, कहना नहीं चाहता था....

श्री मुरलीधर व्यास : सभापति महोदय, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी थोड़ी देर पहले इसी विषय पर विधि मंत्री ने जवाब दिया था तो यह कहा था कि सुजानसिंह जिनके बारे में यह कह रहे थे उसने पत्र डाइरेक्टर को लिखा है और वह पत्र उन्हें मिला नहीं। जब यह बात कह दें तो इसका मतलब यह था कि सुजानसिंह डाइरेक्टर को फांसना चाहते थे और जिनके बारे में तथ्य लाये जांय और दूसरा पत्र जब खुद लिखते हैं तो इसके अन्दर यह लिखते है कि इस प्रकार से पहले हमने सूचना दी है और फिर रिमाइण्ड करते हैं दूसरे पत्र का हवाला देकर उसके लिए आप कहते हैं कि कह नहीं सकते। उसकी तरफ से तो आप वक्तव्य दे सकते हैं लेकिन जब दूसरा कहते हैं इस बात को तो आप कहते हैं इस बात को मत कहो। जब एक के बारे में कह दिया वह आप कह सकते थे लेकिन जब दूसरे के बारे में कहते हैं उसको आप रोकते हैं। आपकी ऐसी मन्शा हो रही है कि आप एक को लेकर दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं यह निवेदन कर रहा था, माननीय सभापति महोदय, कि अगर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की माननीय सदस्य जानकारी रखते हैं तो उसके अन्दर यह है कि अदालत के अन्दर कोई भी मुकद्दमा चल रहा है उसके अन्दर जो भी शहादत पेश होती है, मान लें कि एक के खिलाफ चार्जशीट है या उसका चालान हुआ है और उसके बाद में अगर शहादत से यह नतीजा निकले कि किसी और के खिलाफ भी जुर्म बनता है तो अदालत को कॉग्नीज़ेन्स लेने का अधिकार है। इसका मतलब यह होता है.......

श्री भैरोंसिंह : यह आप किसी वकील को बताइये। आप गलत आदमियों को डिफेन्ड करने के लिए खड़े हुए हैं। जिनका

(श्री भैरोंसिंह)

चालान होना चाहिए उनको डिफेन्ड करने के लिए खड़े हुए हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने तो बेकग्राउन्ड बताई है। इसके आधार पर २७२ की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं माननीय सदस्यों का कि जब एक जुडीशियल डिसीजन पेंडिंग है....

श्री भैरोंसिंह : Only about one...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह एक आदमी के लिए नहीं है। कोई भी क्रिमिनल केस...

श्री भैरोंसिंह : डाइरेक्टर के खिलाफ क्यों नहीं किया है, जिन्होंने....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह पेंडिंग माना जायगा और धारा २७२ के तहत इस तरह की बहस नहीं की जा सकती है यहां पर।

श्री भैरोंसिंह : मैं क्लेरिफिकेशन के लिए रूलिंग के पहले निवेदन कर दूं कि जो सवाल मैंने उठाया था वह इसलिए भी उठाया था कि तीन आदमियों को छोड़ा गया और एक चालान किया गया है।

श्री सभापति : Your clarification will be much more objectionable I suppose because you will much more re-iterate than what you are going to.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सभापति महोदय, मैं एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूं आप निर्णय दें उससे पहले। कोई भी करप्शन होता है उसमें किसी आदमी का चालान करके अगर करप्शन को चार साल पुराना किया जा सकता है और सवाल खड़ा कर देते हैं सबजुडिस का, लेकिन जो सदन की बात है वह यह है कि सदन को यह भी मिला हुआ है अधिकार कि इस सदन के मेम्बर्स यहां पर सही बात जो भी हो वह सरकार के नोटिस में लायेंगे और नोटिस में लाने के लिए जहां मशीनरी खाली चालान कर दे तो सब्जुडिस हो जाता है और केस के पर्टीक्यूलर्स में न जायें, मगर उसके साथ में है केस के अन्दर बहुत बड़ा घोटाला हो जाता है तो उस घोटाले को किसी भी आदमी का चालान करके उसकी बात को बन्द किया जा सकता है। सवाल यह है कि सबजुडिस होने का मतलब यह है कि हमारी कोशिश यह नहीं होनी चाहिए, न इधर से होनी चाहिए कि किसी को बचाया जाय और न उधर से कोशिश होनी चाहिए जैसा कि मंत्री महोदय का शुबाह है कि वह बचाना चाहते हैं कॉलेज के प्रिन्सीपल को। उन कोशिशों को रोकना चाहिए दोनों तरफ से।

श्री भैरोंसिंह : मैं गारण्टी दे सकता हूं कि सुजानसिंह का चालान नहीं किया जाय उसके पक्ष में नहीं हूं।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं थोडा सा, सभापति महोदय, आपके निर्णय देने से पहले कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने एक तरफ से कहा कि इस प्रकार से एक आदमी को बचाने की और दूसरे को फंसाने की इस प्रकार की बात नहीं है। मैं आपकी व्यवस्था से पहले इतना सा जानना चाहता हूं कि क्या सदन के सदस्य अगर किसी भी

(श्री मुरलीधर व्यास)

मामले के अन्दर कोई गड़बड़ हुई है तो एक आदमी ने जो कुछ भी किया है उसके अतिरिक्त दूसरे आदमी, जो कि इस प्रकार के गबन के मामले के अन्दर जुड़े हुए हैं या उन्होंने उस मामले के अन्दर गड़बड़ की है तो क्या उस मामले के अतिरिक्त दूसरी गड़बड़ है उसको लाने से वंचित किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि जैसी उनकी मन्शा है कि वे इस बात को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे मुद्दे नहीं लाये जायं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सदन के सब माननीय सदस्यों का अधिकार है कि किसी ने गबन किया है, किसी ने गड़बड़ की है तो उसको सदन में ला सकते हैं उसका अधिकार है। उसको वंचित नहीं किया जा सकता है; यह इस दृष्टिकोण से मैंने आपके सामने रखा है।

श्री सभापति : अभी एक आपत्ति माननीय उप राजस्व मंत्री ने प्रस्तुत की है कि फिजीकल ट्रेनिंग कॉलेज के सिलसिले में जो तथ्य माननीय सदस्य सदन के सामने रख रहे हैं वह मामला चूंकि अदालत में विचाराधीन है इसलिए वह मैटर सबजुडिस है, और उसके सम्बन्ध में यहां विचार नहीं किया जा सकता है। जैसा कि माननीय श्री भैरोंसिहजी ने स्पष्टीकरण किया है कि जिस मामले का अदालत में चालान कर दिया गया है उसके सम्बन्ध में वे कुछ नहीं कहना चाहते हैं और बाकी के और जो तथ्य हैं वे सदन में रखना चाहते हैं।

मेरी ऐसी मान्यता है कि अदालत में जिस व्यक्ति के खिलाफ मुकद्दमा चल रहा है और जो मामला अदालत में जेर विचाराधीन है उसके सम्बन्ध में यहां न में कुछ कहना चाहिये न कहा जा रहा है लेकिन जिन तथ्यों के बारे में अदालत मामला विचाराधीन नहीं है ऐसे मामले यदि सदन में लाये जायं तो आपत्ति नहीं हो सकती। वे सबजुडिस नहीं हो सकते, लाये जा सकते हैं और लाये जाने चाहिये। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि समय का ध्यान रखते हुए जो कुछ वे कोट कर रहे हैं उसकी ओथेन्टिसिटी पर आपत्ति है इसलिये वे उस पर अपने सिग्नेचर्स करके उसे सदन की मेज पर रख देंगे। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे अपना भाषण जल्दी ही समाप्त करदें। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि हमें जल्दी ही समाप्त करना है इसलिये।

Under the cover of the rutles or other technicalities, this House should not be restricted or prohibited on important matters which are of public importance. As I visualise, beyond my powers, when all the members from this side or that side are feeling much interested in this subject, I think, we should not go and take cover of the rules or othar technicalities and therefore I will request the Treasury Benches to co-operate with the Chair in the peaceful conduction of the proceedings.

Now Shri Bhaivon Singh to continue and finish it within five minutes.

श्री भैरोंसिह : मैं ५ मिनट में खत्म कर दूंगा। इन्टूपशन्स के कारण टाइम

(श्री भैरोंसिंह)

लगता है वरना अब तक में खत्म कर देता।

जैसा कि गवाह ने एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट में लिखकर दिया है वहां जो वह स्टेटमेंट देता है :

ऐसा सुना है कि गवर्नमेंट के बड़े बड़े अफसरों ने रिश्वत ली है जिसमें डाइरेक्टरी ग्रॉफ एजूकेशन श्री जगन्नाथसिंह मेहता, एजूकेशन सेक्रेटरी श्री विष्णुदत्त शर्मा, भूतपूर्व उप मन्त्री श्री पूनमचन्द विश्नोई हैं।

कुछ अधिकारियों द्वारा रिश्वत लेने का सुना है उसने एन्टीकरप्शन में स्टेटमेंट दिया है उसकी कॉपी...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : Nobody can say......

श्री भैरोंसिंह : उसके स्टेटमेन्ट की कोपी एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट की फाइल पर मौजूद है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उसने कहा है, सुना है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप यह इम्प्रेशन देना चाहते हैं कि यह कोई पेरयूज करने की बात है।

श्री मुरलीधर व्यास : आपको मालूम होते हुए भी जान-बूझ कर, सूचना मिलने के बाद भी आपने मालूम नहीं किया...

(व्यवधान)

श्री सभापति : Mr. Jwala Prasad and Shri Murlidhar Vyas, I will request not to enter into controversies. Let us face the bare facts.

श्री भैरोंसिंह : मैंने जो इस स्टेटमेंट के एक्सट्रेक्ट्स सदन में पढ़ कर सुनाये हैं, मैंने उस तथ्य को सुनाया है जो लोग गवाही देने वाले हैं उनके दिमाग में यह चीज है अब जो गवाही देने वाला शख्स मेटीरियल चीज यह बताता है वह ऑफर थी, उसकी नॉलेज सेक्रेटरी को थी या नहीं ? प्रमाण में डाइरेक्टर ग्रॉफ एजूकेशन के ऑफिस की रिसीट बुक है, डाइरेक्टर का स्टेटमेन्ट प्रमाण है। तीसरा मेटीरियल स्टेटमेन्ट है वीरभानसिंह का जिसने सेक्रेटरी के सम्मुख पत्र लिख कर दिया कि मैंने १ लाख १५ हजार का ऑफर दिया था लेकिन भाइयों के विरोध के कारण अपना ऑफर वापिस लेता हूं। उसने विद्ड्रायल का लैटर सेक्रेटरी को दिया और सेक्रेटरी को लैटर देने का तथ्य का हवाला एन्टीकरप्शन में जो स्टेटमेन्ट दिया उसमें रेकार्ड किया गया है, उसमें यह चीज आती है जिसमें कहा गया है....

श्री सभापति : why refer all this ?

श्री भैरोंसिंह : वीरभानसिंह ने अपने स्टेटमेंट में यह स्वीकार किया कि मैंने यह पत्र राजस्थान के शिक्षा सचिव को दिया और उन्होंने कहा कि डील वगैरह तय हो गये हैं एग्जीक्यूट करालो २ लाख २० हजार की बाद में वेल्युएशन २ लाख ११ हजार में तय हुई है। सरकार के कहने के अनुसार सुजानसिंह ने सरकार से फ्रॉड करके ९९०००) का नाजायज फायदा उठाया है। सरकार

(श्री भैरोंसिंह)

ने फ्रॉड एक्सेप्ट करके सुजानसिंह को दोषी ठहराया। लेकिन अकेला सुजानसिंह दोषी नहीं है। फ्राड उसने अकेले ने नहीं किया है विष्णुदत्त शर्मा, जगन्नाथसिंह मेहता और जिस मिनिस्टर ने दस्तखत किये हैं वे भी इसमें शामिल हैं और चालान यदि किया जाय तो इन चारों का किया जाय...

श्री मुरलीधर व्यास : दस्तख्त किस व्यक्ति के हैं ?

श्री भैरोंसिंह : ऐसी स्थिति में मैं यह कह रहा था कि हायर सेकन्डरी बोर्ड जिसके एग्जामिनेशन्स की स्थिति मैंने बताई, राजस्थान के टीचर्स के अपॉइन्टमेन्ट्स और व्यवहार की स्थिति मैंने बताई, छात्रों के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता है उसकी स्थिति मैंने बताई, सरकार की जिम्मेदारी यह है कि नोमिनेशन के जरिये सरकार अपने कृपा पात्रों को नोमिनेट करती है जिनके लिये कोई शिक्षा का सवाल नहीं है, कोई प्रशासनिक योग्यता का सवाल नहीं है, जो आदमी पी. एस. सी. का चेयरमेन रहा है, संविधान की धारा का उलंघन करके उसको इसका चेयरमेन बनाया जाता है उससे यह होता है कि हजारों उदाहरण पक्षपात और भ्रष्टाचार के होते हुए भी यह अधिकार सरकार अपने हाथ में रखना चाहती है, इसलिये जो कुछ नोमिनेशन की पॉवर लेने का विधेयक पेश किया है उसको जनता की जानकारी के लिये भेजा जाय, जनता को खूब जानकारी दे देने के बाद उसके बावजूद भी जनता यदि अधिकार दे दे तो मैं भी जनता में ही हूँ।

श्री सभापति : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा। (अनुपस्थित)

श्री नत्थीसिंह (अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल व्यास। You don't want to press it ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : सभापति महोदय...

श्री सभापति : आपका प्रस्ताव जनमत जानने हेतु भेजने का है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : [प्रस्ताव इस प्रकार है :

"प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित-राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९६४ को दो माह के लिये जन-मत जानने हेतु परिचलित किया जावे।"]

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विधेयक को जनमत जानने हेतु भेजने के लिये मैंने प्रस्ताव रखा है। जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विधेयक को जनमत जानने के लिये प्रस्ताव रखा और उस सम्बन्ध में जिस प्रकार के फेक्ट्स यहां प्रस्तुत किये उनके सम्बन्ध में मैं भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सेकन्डरी शिक्षा विधेयक के सम्बन्ध में नोमिनेटेड मेम्बर्स जो इस विधेयक की तहत बनाये जायेंगे वे किस प्रकार बनाये जायेंगे और किस प्रकार इलेक्टेड मेम्बर्स रखे जायेंगे इस सम्बन्ध में खास तौर से विचार करना है। जैसा कि अभी कहा गया, सुनी सुनाई बातें कही गईं, दो बयान पढ़ कर सुनाये गये, अमुक आदमी, अमुक व्यक्ति की इस प्रकार सुनी हुई बात हमारे समक्ष रखी गई है; तो जहां तक कानून का प्रश्न है और जो कानून जानते हैं वे जानते हैं कि हीयर-से

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

एविडेन्स इज नो एविडेन्स, इस प्रकार की व्यवस्था होते हुए भी इस प्रकार बात कही जाय कि अमुक आदमी के खिलाफ अमुक व्यक्ति ने इस प्रकार बयान दिया जिसके जरिये अमुक आदमी जिस प्रकार की बात शिक्षा सचिव और डाइरेक्टर ऑफ एजूकेशन के लिये भ्रष्टाचार के बारे में करता है, इस तरह की सुनी सुनाई बातों पर स्ट्रेस किया जाय और यह कहा जाय कि उनका चालान किया जाय और उनको प्रोसीक्यूट किया जाय, यह कहां तक वाजिब है कि यहां इस प्रश्न पर विचार करें कि यह किस प्रकार सबजुडिस है और किस प्रकार इसका असर मेम्बरों पर पड़ता है तो यह विचारणीय प्रश्न है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा....

श्री भैरोंसिंह : आप मेरी बात का जवाब दे रहे हैं या अपने प्रस्ताव का समर्थन करना चाहते हैं ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं उस केस के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं जो १ लाख १५ हजार की ऑफर को लेकर राजस्थान सरकार या शिक्षा सचिव को लिख कर दिया और दूसरा लेटर यह लिख कर दिया कि मैं उसको विद्ड्रॉ करता हूं क्योंकि मेरे भाई वंद नहीं मानते। जहां तक १ लाख १५ हजार और दूसरे लेटर का प्रश्न है-यह सब उस केस से ताल्लुक रखते हैं जो कोर्ट के अन्दर विचाराधीन है और जिसके जरिये से एन्टी-करप्शन ने उसका चालान किया है। इसलिए यह नहीं माना जा सकता, यह प्रश्न-जो कि माननीय सदस्य ने थोड़ी देर पहले उठाया था, इस प्रकार का है जिसका असर उसके ऊपर नहीं पड़ता है या उसका असर उस मामले पर नहीं पड़ता है। इसलिए जो केसेज कोर्टस में चल रहे हैं उनके बारे में कोई तथ्य रखे जायं जिनमें न सत्यता हो और न कोई और बात हो। उन्होंने केवल एक आदमी का बयान पढ़ कर सुनाया और यह बताया कि एक अमुक आदमी ने यह सुना है कि इसमें सेक्रेट्री और डाइरेक्टर ऑफ एजूकेशन और दूसरे लोगों का हाथ है-इसमें, मैं समझता हूं, ऐसी कोई बात दिखाई नहीं देती है जो उनके प्रति सन्देह प्रकट करती हो ...

श्री मुरलीधर व्यास : उसी बात को लेकर फिर आप मामला उठा रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इसके अलावा, सभापति महोदय, जहां तक इलेक्टेड मेम्बर्स और नोमीनेटेड मेम्बर्स का ताल्लुक है नोमीनेटेड वही हैं जो एक्स-ऑफिशियो मेम्बर्स हैं, जिनको-डाइरेक्टर ऑफ एजूकेशन, सेक्रेट्री, और जितने डीन्स हैं और इन्स्टीट्यूशन्स के प्रधान हैं-बोर्ड ऑफ सेकण्ड्री एजूकेशन, के अन्दर नोमीनेट करने का प्रश्न है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि डाइरेक्टर ऑफ एजूकेशन को जगन्नाथसिंह के नाम से नामजद नहीं किया जाता है। उनको उस पद पर होने से नामजद किया जाता है और जब तक वे उस पद पर, उस आसन पर बैठे हुए हैं तब तक वे उसके मेम्बर रहेंगे। अब उनके द्वारा किसी प्रकार का अन्याय हो जाय या गड़बड़ी हो जाय-यह किसी प्रकार से प्रकट नहीं होता है। एक बात जो मेरे दिमाग में आई है वह

Page No. 103

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

यह है कि नामीनेटेड मेम्बर और इलेक्टेड मेम्बर की संख्या इस प्रकार होनी चाहिए कि वे अच्छी प्रकार की व्यवस्था वहां कर सकें ताकि इसके अन्दर किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो सके और बड़बड़ी होती है तो उसको किसी प्रकार से चैक कर सकें, इस प्रकार की व्यवस्था होना नितान्त आवश्यक है। इसलिए जो मेरा सुझाव है, जो जनमत जानने के लिए प्रसारित करने के लिए मैंने प्रस्ताव दिया है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हायर सेकण्डरी बोर्ड को जिस प्रकार कॉन्स्टीट्यूट कर रहे हैं, उसमें जितने नोमीनेटेड मेम्बर रखने की व्यवस्था की है और जितने इलेक्टेड मेम्बर्स हम रखना चाहते हैं उनका रेश्यो बहुत कम है, इसलिए आप इस रेश्यो को बढ़ा दें ताकि वे शिक्षा के प्रति ज्यादा न्याय कर सकें और बोर्ड को ठीक प्रकार से कॉन्स्टीट्यूट कर सकें। इसलिए खास तौर से मैं यह अर्ज करना चाहता हूं।

दूसरे जहां तक प्रमोशन, एग्जामिनेशन के प्रश्न और दूसरे प्रश्न हैं, इनके ऊपर अच्छी तरह से विचार करने के लिए भी जरूरत है कि बोर्ड के अन्दर जहां तक हो सके इलेक्टेड मेम्बर ज्यादा हों। क्योंकि वे सब व्यक्ति, जो इलेक्टेड मेम्बर की तरह उसमें जायेंगे, अपनी बात को वहां रख सकेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बहुत से एग्जामिनेशन के सम्बन्ध में घपले है, बहुत से प्रमोशन के सम्बन्ध में घपले हैं और दूसरी तरह की बातें हैं, ये बातें यहा तक देखने में आई हैं कि हायर सेकण्डरी बोर्ड के अन्दर सर्टीफिकेट के सम्बन्ध में और दूसरी ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं-जैसे कोई गलत आदमी सर्टीफिकेट ले लेता है, झूठा सर्टीफिकेट बना कर ले लेता है और उस पर सील लगवा लेता है। इन बातों का ठीक तरह से कंट्रोल नहीं हो पाता है। इसलिए मैं समझता हूं कि यदि ज्यादा से ज्यादा इलेक्टेड मेम्बर बोर्ड में बैठेंगे तो कंट्रोल ठीक होगा। इसलिए मैंने यह प्रस्ताव रखा है।

श्री सभापति : Now Let Minis er give his reply.

No. Shri Surana.

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप मंत्री, राजस्व) : सभापति महोदय, थोड़ी देर में समय समाप्त हो रहा है इसलिए मैं प्रस्ताव रखना चाहता हूँ कि जब तक विधेयक पारित न हो जाय तब तक के लिए समय बढ़ाया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जब तक विधेयक पारित नहीं हो तब तक के लिए समय बढ़ाया जाय।

श्री जोधसिंह : कल के लिए रख लें।

श्री सभापति : Yes Time is extended.

Not for tomorrow.

श्री नाथूराम मिर्धा : पास करना है भाई। कल के लिये क्यों रखें।

श्री सभापति : I will request the Hon. Member to short and cooperate with me in disposing of this Bill just today.

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : [प्रस्ताव इस प्रकार है :— "प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९६४ को पुनः एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में सदन के समक्ष प्रस्तुत करे (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत करदी जावेगी)।"]

सभापति महोदय मैं, जो आपने आदेश दिया है....

श्री सभापति : That is a request not an order.

श्री मानिकचन्द सुराणा : That request is just equal to on order for me.

श्री सभापति : That is gracious of you.

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसलिए मैं उसके अनुसार बहुत शीघ्र अपना भाषण समाप्त करूंगा।

वैसे इस बिल पर जो सैद्धान्तिक एतराज मेरे से पूर्व बोलने वाले वक्ताओं ने किये हैं मैं उनका समर्थन करता हूं। बोर्ड ऑफ सेकण्डरी एजूकेशन में राजस्थान की सरकार ने जो अमेंडमेन्ट मूव किया है उसके जरिये वह करीब करीब समस्त सदस्यों का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी तरफ से नोमीनेट करना चाहती है। इस बिल की मन्शा कुल मिला कर यही है। मैंने देखा है कि इसमें १७ व्यक्तियों को कुल नामजद किया जायगा, छः सरकारी व्यक्ति ऐसे हैं जो एक्स-ऑफिशियों या किसी न किसी प्रकार पद होल्ड करेंगे। सभापति महोदय, कुल संख्या बोर्ड ऑफ सेकण्डरी एजूकेशन की बनती है सारे सदस्यों को मिला कर उसमें तीन चौथाई से ज्यादा ऐसे सदस्यों का हिस्सा होगा जिनको सरकार मनोनीत करेगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी इस विधान सभा में यह प्रश्न उठता है कि यह निर्णय किसका था तो माननीय मंत्री महोदय कहते हैं कि बोर्ड ऑफ सेकण्डरी एजूकेशन का निर्णय था या यह निर्णय ऑटोनोमस बोडी का है, इसलिए सरकार इसमें इन्टरफिअर नहीं कर सकती, चूंकि यह निर्णय राजस्थान यूनीवर्सिटी ने लिया है इसलिए सरकार इन्टरफिअर नहीं कर सकती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऑटोनोमस बॉड़ी वास्तव में कोई ऑटोनोमस ढंग से निर्णय किये जायं और उसके बाद सरकार यह दलील दे कि एक ऑटोनोमस बॉड़ी की ऑटोनोमी को रेस्पेक्ट करके उनके वर्किंग में व्यवधान नहीं डालना चाहती, इन्टरफिअर नहीं करना चाहती तब तो बात समझ में आ सकती है। लेकिन एक तरफ तो सरकार विधान सभा से इस प्रकार का विधेयक मंजूर करवाये जिसमें तीन चौथाई सदस्यों को सरकार द्वारा मनोनीत किये जाने का प्रावधान हो, उसके बाद सरकार के उन मनोनीत सदस्यों के द्वारा जो बहुमत से निर्णय लिये जायें और तब कोई प्रश्न उठाये जायें तो सरकार द्वारा डेमोक्रेसी की दुहाई दी जाय, दुहाई दी जाय, तो सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि जनतांत्रिक परम्परा और जनतांत्रिक सिद्धान्त के साथ इस प्रकार के निर्णय चल नहीं सकते हैं। निश्चित रूप से जिस तरह से बोर्ड का गठन राज्य सरकार ने किया है वह एक सरकार द्वारा अपॉइन्टेड कमेटी की तरह से है और हायर सेकण्डरी बोर्ड जो विधान सभा से इस बिल के मंजूर होने के बाद बनेगा, सभापति महो-

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

दय, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उस बोर्ड की ग्रॉटोनोमी नहीं होगी ग्रौर वह बोर्ड सरकार द्वारा अपॉइन्टेड किसी कमेटी की तरह फंक्शन करेगा। इससे अच्छा तो यह होता सभापति महोदय, सरकार इस विधान सभा से ऐसे अधिकार ले लेती कि हमारी मर्जी में जो आयें उन लोगों को बोर्ड में मनोनीत करेंगे और राज्य सरकार उस बोर्ड द्वारा तय किये हुए कामों की जिम्मेदारी अपने कन्धों पर ले लेती क्योंकि इससे अधिक इस सबका निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं, मैं इस राज्य सरकार की इस प्रवृत्ति के बिलकुल विरुद्ध हूं और इसकी खिलाफत करना चाहता हूं क्योंकि यह जो ग्रॉटोनोमस बोर्ड बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसकी ग्रॉटोनोमी इस प्रकार के बिल को एक्सेप्ट करने से समाप्त हो जाती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो प्रावधान मंत्रीजी ने पेश किये हैं, उनके पक्ष में मैं नहीं हूं। साथ ही यह मसला ऐसा नहीं है कि जिसको दो मिनट में डिस्पोज ग्रॉफ कर दिया जाय, हम एक-आधे घंटे का भाषण दे दें और मंत्री जी उसके बाद रिप्लाई दे दें और उसके बाद निर्णय कर लिया जाय। मैं समझता हूं कि शिक्षा का मसला एक महत्वपूर्ण मसला है और वित्त मंत्री जी जानते हैं कि उनके बजट का पच्चीस प्रतिशत शिक्षा पर पर खर्च हो रहा है। इसलिए राजस्थान में शिक्षा की व्यवस्था जब कि बोर्ड ग्रॉफ सेकण्डरी एजूकेशन करता है, हायर सेकण्डरी बोर्ड करता है तो उसका कॉन्स्टीट्यूशन क्या हो, उसकी पॉवर क्या हो और जिस तरह का बोर्ड माननीय मंत्री जी ने प्रपोज किया है, उसमें क्या क्या अनडेमोक्रेटिक बातें होंगी और किस तरह की व्यवस्था में कठिनाइयां पैदा होंगी इन सारे मसलों को दृष्टि में रखते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक प्रवर समिति में इन पर फुल डिस्कशन होना अत्यन्त आवश्यक है।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने सदन के सामने भ्रष्टाचार के, अनियमितताओं के बहुत से उदाहरण रखे हैं। मैं उन उदाहरणों में कोई बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं करना चाहता हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी इस तरह के बोर्ड बनाये हैं-नेशनेलाइज्ड टैक्स्ट बुक्स बोर्ड बनाया है, उसमें जो सरकारी अधिकारी मनोनीत हैं और जिस तरीके से उसकी व्यवस्था चल रही है, वह व्यवस्था अत्यन्त असंतोषजनक है लेकिन चूंकि उसका डायरेक्टली मसला सामने है नहीं इसलिए, सभापति महोदय, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूं। लेकिन कुल मिला कर मैं इस प्रवृत्ति को, सभापति महोदय, देख रहा हूं कि चाहे जोधपुर यूनिवर्सिटी का मसला हो, चाहे उदयपुर यूनिवर्सिटी का मसला हो, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी का संशोधन का मसला हो, चाहे बोर्ड ग्रॉफ सेकण्डरी एजूकेशन का प्रावधान हो-उनमें एक ही चीज मिलती है और वह यह है कि इन सब बोर्डों में मनोनीत सदस्यों की संख्या में सरकार दिन प्रति दिन वृद्धि करना चाहती है और उसकी कोई जिम्मेदारी का प्रश्न आता है तो आप ग्रॉटोनोमस बॉडी कहते हैं। सभापति महोदय, मैं इस बात से भी परिचित हूं कि राज्य में सामाजवादी स्टेट में निरंतर अधिकार और पॉवर और इनके फंक्शन्स दिनों दिन बढते जायेंगे, मगर मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे देश में ही नहीं दूसरे देशों में शिक्षा की समस्या को हल

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

करने के लिये शिक्षा व्यवस्था किस तरह की हो, इस बात का जिम्मा जिन पर होता है उनमें ज्यादा से ज्यादा ऑटोनोमी बरती जाती है आपने जो इसमें रखा है उसके जरिये आप दो टीचर्स को और दूसरे दो किसी एक्सपर्ट को कोऑप्ट कर सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप यह प्रावधान रखते बजाय इसके कि राज्य सरकार ५ एजूकेशन लिस्टों को रखेगी तो यह ज्यादा अच्छा होता। आप राज्य के कर्मचारी हैं उनको मनोनीत करना चाहते हैं वे शिक्षा शास्त्री हो या नहीं। आप उनकी पदोन्नति करना चाहते हैं करिये हमें कोई एतराज नहीं है। हमारे यहां शिक्षा सचिव होते हैं वे आई. ए. एस. के केडर के होते हैं। भूतपूर्व डाइरेक्टर थे जिनको आपने बाद में एग्रीकल्चर में स्पेशल सेक्रेट्री बना दिया जिनका की कोई ताल्लुक उनके पद से नहीं था, आज आप ऐसे व्यक्ति को लाये हैं जिनको भी हम शिक्षा शास्त्री नहीं कह सकते। भूतपूर्व डाइरेक्टर थे वे भी कोई शिक्षा शास्त्री नहीं थे। अब आप कहते हैं कि डाइरेक्टर ऑफ एजूकेशन को मनोनीत कर देंगे। चाहे वह शिक्षा शास्त्री हो या नहीं आप तो मनोनीत कर देंगे। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपको शिक्षा शास्त्री को ही इसमें मनोनीत करना चाहिये ऐसा नहीं होना चाहिये कि राज्य में जो काम करते हैं उनको ही आप मनोनीत करें। आपको चाहिये कि एडेड स्कूलों के अच्छे व्यक्तियों को भी मनोनीत करें। यह कोई जरूरी नहीं हैं कि राज्य में काम कर रहे हैं उनका ही बहुमत हो। इसलिये मेरा यह प्रस्ताव है कि यह बात महत्वपूर्ण है। अभी आपने नेशनलाइज्ड टैक्स्ट बुक्स बोर्ड बनाया है और उसकी जो व्यवस्था चल रही है वह किस तरह की है इसका सभी विरोध करते हैं। वह व्यवस्था असंतोषजनक है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि बिल को सिलेक्ट कमेटी में दुबारा भेजा जावे।

श्री सभापति : श्री रघुनाथ विश्नोई
(अनुपस्थित)

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा।
(अनुपस्थित)

गवर्नमेंट की तरफ से रिप्लाई माननीय मन्त्री देंगे।

श्री केदारनाथ : I have given a note of dissent.

श्री सभापति : Mr. Jodh Singh. none of your party members will get time as the leader of your party has taken much time. There are eight names on the list, but none will get time.

श्री निरन्जननाथ आचार्य : नोट ऑफ डिसेन्ट तो है। लेकिन मैं बोलने केलिये खड़ा हो गया हूं इसलिये इनका राइट चला गया है।

श्री सभापति : Let us not go into such technicalclities. Let him take five minutes,

श्री केदारनाथ : सभापति महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारी शिक्षा के बारे में एक नेशनल पॉलिसी हो और स्टेट भी एक पॉलिसी अख्त्यार करे चाहे वह बोर्ड हो, चाहे युनिवर्सिटी हो वह इस स्टेट के अन्दर अपना इस सम्बन्ध में फैसला करे और उसके अनुसार फंक्शन करे।

(श्री केदारनाथ)

लेकिन हम राजस्थान में देखते हैं, जैसा बोर्ड का कम्पोज़ीशन है, इसके लिये इस बिल को पहले सिलेक्ट कमेटी में भेजा गया और सिलेक्ट कमेटी में इस पर बहुत बहस हुई, मगर सरकारी पक्ष का बहुमत था इसलिये वहां पर जो बहस हुई उसका कोई परिणाम नहीं निकला और यह नोमिनेशन की गिनती ज्यादा रख दी गई। इस पर उसूल के तौर पर जैसा मेरे पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने कहा है कि शिक्षा के बारे में किस प्रकार से स्केन्डलस आये दिन होते हैं, मैं उनको दोहरा कर सदन का समय नहीं लेना चाहता। टीचर्स की सिनियोरीटी, एग्ज़ामिनेशन्स को कन्डक्ट करने का जो तरीका है उसको ठीक करने व टीचर्स की तनख्वाह आदि के मामलों में तो हम जानते हैं कि क्या हाल है। लेकिन जहां पर एक्सपर्ट और टेक्निकल हैन्ड्स के व्यक्तियों का प्रश्न है, मैं यह कहूंगा कि सरकार को इस तरह से नोमिनेशन करने के पॉवर्स नहीं होने चाहिये। दूसरे इन्स्टीट्यूशन्स जो एडेड हैं उनको भी शामिल करना चाहिये। अगर उनको साथ में नहीं लेते हैं तो उसका मतलब यह साफ है कि नौकरशाही जो हमारे यहां एडमिनिस्ट्रेशन पर हावी है वह यही चाहती है कि उनके इरादे और मक्सद किसी तरह से पूरे हों और इसके लिये वे जो चाहते हैं उनको नोमिनेट करते हैं। इस सम्बन्ध में मैं ज्यादा नहीं कहता हुआ सिर्फ यही कहूंगा कि आने वाले वक्त में हमें अपने यहां सोशियल इकोनोमी और क्लचर पैदा करनी चाहिये और उसके मुताबिक ही हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिये जो अभी नहीं है, तो हमारे यहां उसके मुताबिक ही तब्दिली होनी चाहिये। स्टुडेन्टों में डिसिप्लिन ठीक तरह से रहे, टीचर्स और प्रोफेसरों का लड़कों के साथ कोआँपरेशन अच्छा हो, उनको प्रोपर चान्स दिये जाए, एग्ज़ामिनेशन्स किस तरह से कन्डक्ट किये जावें, दूसरी जगह किस तरह से कन्डक्ट होते हैं और हमारे यहां क्या कमी है उसके अनुसार अमेंडमेंट होता हो तो उसको हमें मानना चाहिये। लेकिन आप यहां पर जिन को नोमिनेट करना चाहते हैं उनसे तो आप विद्यार्थियों और टीचर्स में जो क्लचर और कोओपरेशन पैदा होना चाहिये वह पैदा नहीं कर सकेंगे और जब आप यह नहीं कर सकेंगे तो यह कानून आपके उसूलों के खिलाफ जा रहा है। आज एजूकेशन के लिये नेशनल पॉलिसी की चर्चा चल रही है और इस सम्बन्ध में आज हमारे राष्ट्रपति ने भी इस पर कहा है, मुदालियार कमेटी की रिपोर्ट, चटर्जी कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामने है। उन सब लोगों की एक ही धारणा रही है कि आहिस्ते आहिस्ते यहां पर ऑटोनोमी को कायम करें और आहिस्ता आहिस्ता इसको इन्डिपेन्डेन्ट बॉडी के रूप में करें और इसमें सरकार सहायक हो। ऐसा हमारे राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन ने सबसे पहले कहा है कि एजूकेशन में सुधार किया जावे तो समाज में सुधार होगा और जो सोशियल पैटर्न और सामुदायिक मान्यता हम चाहते हैं उस आधार पर एजूकेशन को करें। मगर सभापति महोदय, आज क्या हो रहा है कि आज जो क्लास आप पैदा कर रहे है उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। आज टीचर्स और बोर्ड के नुमायन्दों का सम्बन्ध नहीं, कहीं टीचर्स और स्टुडेन्टों के झगड़े हैं तो कहीं टीचर्स के

(श्री केदारनाथ)

आपस में ही झगड़े हैं । इसलिये यह सिद्धान्त के अहम मुद्दे हैं । और आपको देखना है कि किस तरह से बोर्ड काम करता है । आप यह चाहते हैं कि बोर्ड आपके कहने के मुताबिक काम नहीं करता है तो आपने नोमिनेशन ज्यादा रखिये और आपके मुताबिक चलता है तो नोमिनेशन कम हों। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि हमारे देश में शिक्षा का सुधार हो, डेमोक्रेसी सही रूप में पैदा हो, इकोनोमी और कल्चर पैदा हो और जो शिक्षा के द्वारा समाज में सुधार करना चाहते हैं, तो इस प्रकार के नोमिनेशन को यहां पर लाना अच्छा नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने नोट ऑफ डिसेन्ट को सपोर्ट करता हूं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सभापति महोदय, पहले मैं यह समझ रहा था कि इस बिल में बहुत थोड़े क्लॉजेज हैं इसलिये इसको बहुत जल्दी पारित किया जा सकता था । लेकिन सदन की भावना को देखते हुए कि सदन इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करना चाहता है, मैंने माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्रजी के संकल्प को स्वीकार किया और सभापति महोदय, सिलेक्ट कमेटी में इस पर पूरा पूरा विचार करके सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत की है । माननीय सदस्यों ने जो कुछ भी आपत्तियें उठाई हैं, वे कॉन्स्टीट्यूशन ऑफ दी बोर्ड से सम्बन्ध रखती हैं । सभापति महोदय, मेरे समझ में नहीं आता कि कॉन्स्टीट्यूशन ऑफ दी बोर्ड के कौन से ऐसे सदस्य हैं जिनको हटाया जाता है। मैं पहले एक्स ऑफिशियो मेम्बर हैं उनके बारे में जिक्र करूंगा ।

माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में बहुत बात तो कही हैं कि एक्स ऑफिशियो मेम्बर्स ज्यादा हैं । पर ज्यों ज्यों शिक्षा की प्रगति हुई है और अलग अलग डायरेक्टोरेट्स हुए हैं, बाई वर्चु उनको एक्स ऑफिशियो मेम्बर रखना नितान्त आवश्यक है और माननीय सदस्य भी इस बात को मानेंगे, डाइरेक्टर एजूकेशन, डाइरेक्टर टेक्निकल एजूकेशन, डाइरेक्टर संस्कृत एजूकेशन, डाइरेक्टर ऑफ आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट, डाइरेक्टर नेशनल केडेट कोर्प्स, और दी हैड ऑफ दी कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट इनको एक्स ऑफिशियो मेम्बर रखना अत्यन्त आवश्यक है ।

दूसरे माननीय सदस्यों ने प्रवर समिति में जो भी इलेक्टेड मेम्बर्स के बारे में बातें कहीं, लिबरल एटीट्यूड लेकर संशोधन किये गये ।

One person elected by the Senate of each University in Rajasthan from each faculty of Arts, Science and Commerce by rotation;

शंका यह थी कि दूसरी फैकल्टी के सदस्य नहीं आ जाय इसीलिये हमने मेन्शन कर दिया कि आर्ट्स, साइन्स और कॉमर्स की फेकल्टी के हों । दूसरे....

Two persons being Principals or professors of degree or post graduate Colleges affiliated to the University of Rajasthan, of whom one shall be a woman, elected by the senate of the University of Rajasthan, Jaipur...

Page No. 109

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

संभावना यह थी कि ज्यादा से ज्यादा आदमी हों तो जिनको फायदा मिलना चाहिये उनको नहीं मिलेगा इसलिये हमने उसके लिये

two persons being Principals or Professors of degree or post graduate Colleges affiliated to the University......इनको सुरक्षित रखा ।

Two persons being representatives of the State Teacher's Association elected by the executive of that Association;

एक व्यक्ति टीचर्स एसोशियेशन का था वहां दो को हमने मान्यता दी है । तो इलेक्टेड मेम्बर्स में इलेक्शन के द्वारा संख्या को बढ़ाया है । इसमें न माननीय सदस्यों को आपत्ति है और न होनी चाहिये ।

एक्स-ऑफिशियो मेम्बर्स पहले ४ थे इसमें ६ रखे हैं, इलेक्टेड पहले ६ थे इसमें ७ किये हैं और नोमीनेटेड सदस्य पहले १७ थे अब १६ किये हैं ।

श्री भैरोंसिंह : मेजोरिटी किनकी रहेगी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं सब सामने रख दूंगा, उनमें दो माननीय सदस्य वे भी हैं जिनको माननीय स्पीकर महोदय नोमीनेट करें, वह भी नोमीनेटेड हैं । इस पर मैं बाद में आना चाहूंगा ।

One Inspecting Officers-of the Education Deparment.

बोर्ड को इन्स्ट्रक्शन्स में मदद करने वाला ही है ।

Two heads of institution, one Principal of the Teachers' Ttaining College.

ये सदस्य नोमीनेशन के आधार पर बढ़ाये गये हैं । वहां अपनी संस्था पर व्यक्तित्व रखते हैं, इनके बगैर बोर्ड का नोमीनेशन अधूरा रहेगा ।

तो नोमीनेशन के बारे में माननीय सदस्यों को शंकाएं हुई उनका मैंने निराकरण किया । जैसे : One expert in physical education...

माननीय सदस्यों को शंका थी कि कोई दूसरा न चला जाय तो हमने रखा : One teacher being an expert in Physical education.

टीचर्स के अलावा कोई नहीं आ सकता, इस शंका का निराकरण किया ।

दूसरे ; Two persons representing Inspecting Officers of the Education Deptt. of the State Government.

जैसा ओरिजिनल अमेंडमेंट में था वैसा का वैसा हम दे देते तो माननीय सदस्यों को शंका हो सकती थी कि दूसरे रास्तों से दूसरे आदमी आ जायेंगे । तो माननीय सदस्यों की भावना की कद्र करते हुए एकेडेमिक इन्ट्रेस्ट रखने वाला हो उस व्यक्ति का समावेश किया है तो नोमीनेशन का जहां तक सवाल है इसका विश्लेषण किया जाय तो दो माननीय अध्यक्ष द्वारा नोमीनेटेड, एक टीचर फिजिकल ट्रेनिंग में रुचि रखने वाला और एक एकेडेमिक इन्ट्रेस्ट रखने वाला है । तो यह शंका की गई कि ज्यादा मात्रा में नोमीनेटेड मेम्बर्स का

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

प्रतिनिधित्व हो जाता है, यह शंका उचित नहीं है। माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में अधिक शंका नहीं होनी चाहिये।

मैंने अर्ज किया—

One person considered by the State Govt. fit and necessary to represent such academic interests as are not otherwise adequately represented.

One Principal of an Engineering College in the State or the Dean of the faculty of Engineering of any University in the State;

One Principal of a Medical College in the State or the Dean of the faculty of Medicine of any University in Rajasthan;

इसी तरह से One Principal of an Agriculture College in the State or the Dean of the faculty of Agriculture or the Dean of Technology and Agr. Engieering or the Dean of Home Science of any university in the State;

तीनों का इलेक्शन करने का रख लेते है तो व्यर्थ का एक चुनाव का तनाव सा हो जायगा। इसलिये डीन या प्रोफेसर्स को लिया गया। खामोख्वाह कन्ट्रोवर्शियल इश्यू नहीं बने इसलिये नोमीनेशन का रखा है इलेक्शन के स्थान पर। तो मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इन भ्रान्तियों को जो स्वतः ही निर्मूल होती हैं उनको निकालेंगे। दूसरे मैंने आपत्ति की थी कि यह प्रश्न मुझे नोटिस दिये बिना उठाये गये हैं, इसलिये मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि उनका निराकरण कर सकूं। पर जो मोटी बातें हैं उनको यहां रखना चाहूंगा।

माननीय सदस्य ने एक मकान के सम्बन्ध में जो शिक्षा सचिव से सम्बन्ध रखता है कहा कि रेंट पर दिया है और कुछ फायदा उन्होंने उठाया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह सचिव पद पर आये उसके बाद की स्थति नहीं है। अगर स्पोर्ट्स कौंसिल ने कोई मकान किराये लिया है तो उसके पद सम्भालने के पूर्व की स्थिति से इसका सम्बन्ध है, तो सचिव ने अपने पद का उपयोग करके फ़ायदा उठाया है यह कहना उचित नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : इसके बारे में ऑडिट ऑब्जेक्शन नहीं हुआ ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : ऑडिट ऑब्जेक्शन अगर हुआ है.......

श्री भैरोंसिंह : अगर मगर नहीं, मैं कहता हूं कि ऑडिट ऑब्जेक्शन हुआ है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मैंने देखा नहीं। अगर है तो यह इरेंगुलेरिटी है इल्लीगेल्टी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : पी. डब्ल्यू. डी ने असेसमेंट कर लिया है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह मुझे जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : तो फिर आपको जानकारी किस बात की है ?

एक माननीय सदस्य : किसी बात की जानकारी नहीं है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : जिस बात की जानकारी है वह रख रहा हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इस बात के स्पष्टीकरण की जरूरत है, माननीय सदस्य ने साफ तौर से जानकारी रखी है तो स्पष्टीकरण किया जाना चाहिये. आपको जानकारी हो तो बता दें नहीं तो......

श्री निरन्जननाथ आचार्य : on a point of order, sir, बिना इन्टरप्ट किया जा कर भाषण समाप्त करूं तो मैं जो प्रश्न पूछेंगे उनका जवाब दूंगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेरा पॉइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन है...

श्री निरन्जननाथ आचार्य : I don't want to be disturbed in between my speech, Sir.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : वे कहना चाहें तो कह दें और मैं कहूं तो आपत्ति की जाय, यह तरीका है....

पोइन्ट यह है कि सरकार की तरफ से उप मन्त्री महोदय ने कहा कि इस तरह से मकान है, बगैर सूचना दिये अपने मकान में रख लेना फायदा उठाना क्या इस तरह की चीजों को आप एन्करेज करना चाहते हैं, यह कह कर कि कुछ भी नहीं है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसका जवाब दे दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : आप जवाब नहीं दे सकते तो शिक्षा मन्त्रीजी कह दें कि उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट नहीं देखी है। मैं दावे के साथ कहता हूं माननीय चेयरमैन, आप अभी सदन के दो माननीय सदस्यों को मेरे साथ भेजें मैं वह फाइल पेश करूंगा जिस पर शिक्षा मन्त्रीजी ने ऑब्जेक्शन किया है. वह फाइल जब्त कराई जाय।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मैं उस ओर आना चाहता हूं जैसा मैंने आपत्ति की थी और इस सम्बन्ध में आपका ऑब्जर्वेशन भी ठीक है। इस सदन में यहां यह प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए था। जहां फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया गया, उसका फोर्ज्ड होना साबित हुआ और यहां पर प्रस्तुत हुआ। एक मसला वह भी बनता है। presuming a decument knowing it to be a forged यह अलग मुद्दा है। इस सम्बन्ध में जांच क्या हो रही है या नहीं लेकिन यह एक मुद्दा है।

दूसरा सवाल जो यहां उठाया गया कि फिजीकल ट्रेनिंग कॉलिज के सम्बन्ध में सचिव का कहां तक हाथ है और इसमें डाइरेक्टर का कहां तक हाथ है। यह सब जिस ढंग से रखा गया या जिस तरह से इन्क्रिमिनेट करने का प्रयास किया गया इस सम्बन्ध में यदि सामान्य तौर पर सदन के सामने कुछ तथ्य रखूं तो सदन को संतोष होगा। एक खत प्रिन्सीपल का ११-११-५६ का वीरभानसिंह को लिखा कि तुम अपना बंगला बेचना चाहते हो तो हमें इस कॉलिज के लिए जरूरत है। वीरभानसिंह ने उसको रेस्पोन्ड किया और अपनी कीमत १,४५,००० as the cost of the site plan of the

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

House... लिखकर लेटर वापस १३-११-५६ को इस प्रिन्सीपल को भेज दिया। अब प्रश्न यह उठता है कि यह खत जिसमें १,४५,००० की कीमत आंकी थी, इस खत की नॉलेज सेक्रेटरी को थी या डाइरेक्टर को थी। अगर इस खत की नॉलेज सेक्रेटरी और डाइरेक्टर को होती है तो मैं भी आपकी भावनाओं के साथ में और आपकी मान्यताओं के साथ में, अपनी भावनाओं को भी शरीक करता हूं लेकिन प्रश्न यह उठता है कि इस १,४५,००० के खत की बुनियाद पर प्रिन्सीपल ने एक रजिस्टर्ड लैटर ता० १६-११-५६ को एडीशनल डाइरेक्टर को भेजा जिसमें ओरीजिनल कॉस्ट का जिक्र किया। प्रिन्सीपल ने उसके बाद ही २८-११-५६ को दूसरा खत स्मृतिपत्र के रूप में लिखा। अगर १३-११-५६ वाला खत एडीशनल डाइरेक्टर के सामने प्रस्तुत होता है और उसको नॉलेज हो जाती है कि १,४५,००० की ऑफर इस व्यक्ति ने दी है तो निश्चय ही डाइरेक्टर की नॉलेज में प्रिज्यूम की जा सकती थी।

श्री भैरोंसिंह : क्या आप समझते हैं कि डाइरेक्टर महोदय वीरभानसिंह के मकान पर नहीं गये, इस डील से पहले उसके मकान पर चाय नहीं पी ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मैं अपने फैक्ट्स को क्रनालॉजीकल ऑर्डर में रखना चाहता हूं These are all hearsays.

श्री भैरोंसिंह : यह स्टेटमेंट है वीरभान सिंह का मेरे सामने कि कैसे मेरे मकान में आए, चाय पी और इस मकान की डील के लिए बातचीत हुई।

श्री सभापति : But don't try to drill him on the line. Let him go on.

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह तथ्य कि आया एडीशनल डाइरेक्टर को यह खत मिला या नहीं, एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट ने पूरी जांच की और उससे यह सिद्ध हुआ कि यह खत एडीशनल डाइरेक्टर के ऑफिस में नहीं पहुँचा।

श्री भैरोंसिंह : रजिस्टर में कैसे लिखा हुआ है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह ठीक है कि जहां तक प्रिन्सीपल के रजिस्टर का सवाल है उसमें यह दर्ज है और बावजूद कोशिश के इसमें इंदराज एडीशनल डाइरेक्टर के नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : एडीशनल डाइरेक्टर की ऑफीस में इंदराज हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : बावजूद इस बात के कि हमने कोशिश की कि सुपरिन्टेन्डेन्ट पोस्ट ऑफीसेज के यहां इसकी जांच की जाय और उसकी रसीद उसके पास मिले लेकिन उसके यहां भी क्योंकि डॉक्यूमेंट्स डेस्ट्रॉय कर दिए गए और वे ज्यादा दिनों तक नहीं रखे जाते हैं, उसके यहां भी वह रसीद नहीं मिली। इसलिए अगर एडीशनल डाइरेक्टर के यहां यह तथ्य प्रमाणित हो जाता तो कहा जा सकता था कि एडीशनल डाइरेक्टर की यह नॉलेज थी लेकिन क्योंकि डिस्पैच होने के बाद

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

इसका कोई सबूत नहीं मिला इसलिए यह स्पष्ट है कि एडीशनल डाइरेक्टर का इसमें कोई हाथ नहीं और न तथ्यों के आधार पर प्रमाणित होता है।

श्री सभापति : Is there any presumption in law that a letter dropped in an ordinary course of business-proved to have been dropped, is presumed......

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह प्रिजम्पशन ठीक है अंडर सेक्शन....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : It has been rebutted.

श्री निरंजननाथ आचार्य : सेक्शन १४० in the course of transaction or business में पहुंचा होगा। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि एडीशनल डाइरेक्टर को नॉलेज थी या नहीं, उससे पहले कई चैनेल्स से यह खत गुजरता है और आखिर में जब एडीशनल डाइरेक्टर के पास पहुचता है और उसके बाद खत का प्रमाण नहीं मिलता। अगर प्रमाणित हो जाता और रिसीट में कहीं आ जाता और उसके बाद में सरकमस्टेन्स हो जाय तो जैसे आपने फरमाया, वह बिल्कुल प्रिज्यूम किया जा सकता था, लेकिन क्योंकि तथ्य नहीं हैं इसलिए प्रिजम्पशन....

श्री भैरोंसिंह : रजिस्टर में रसीद है और सेकन्ड सब्सीक्वेंट लैटर गया है जिसमें डील का जिक्र किया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उस सम्बन्ध में कहता हूं....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं आपसे इसकी व्यवस्था चाहूँगा कि इन्होंने जो रेफर किया है और जिस जानकारी के बिना पर जो ये रेफरेंस दे रहे हैं सदन को, क्या उस इन्क्वायरी की रिपोर्ट आपके सामने रख दी जायगी जिसके अंदर आपके कन्क्लूजन्स सब्सटेन्शिएट होते हो।

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्या कहा ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपकी सी. आई. डी. की रिपोर्ट जिसमें आपने एक का चालान किया है, जिसके रेफरेंस और जानकारी से आप सारे सदन के अंदर जोर से बोल रहे हैं, मैं तो आपकी मदद के लिए कह रहा हूं, तो आप उस रिपोर्ट को पेश करें ताकि सदन को पूरा विश्वास हो जायगा कि आपकी बात सही है। आपके कहने से ऐसा लगता है कि उन लोगों का कोई कसूर नहीं है। जहां ६६ हजार का मामला हो उसके लिए आप क्लेरीफाई करें कि एग्जीक्यूट किसने किया, इतने रुपए देने का आधार क्या था ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अभी मैंने खत्म नहीं किया। अब प्रश्न यह होता है कि १,४५,००० इसकी ओरिजिनल कॉस्ट और उसके बाद कुछ ज्यादा दिया गया। इससे पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा कि एजूकेशन सेक्रेटरी ने एक खत लिखा चीफ इंजनीयर को कि इस प्रोपर्टी को असेस करें और २,३०,१७७ रुपए असेसमेंट ऑफ दी प्रोपर्टी किया गया। असेसमेंट हो जाने के बाद में इसको लिया गया २,११,०१५ में। इससे एक नतीजा निकलता है कि एजूकेशन डिपार्टमेंट ने असेसमेंट की इस धन-राशि को

श्री निरंजननाथ आचार्य)

कम करने का प्रयत्न जितना हो सकता था वह किया और अंत में २,११,०१५ उसको दिया।

श्री भैरोंसिंह : सेक्रेटरी को १, ४५ हजार की नॉलेज थी या नहीं ? इस पर बताइये। जो १ लाख ४५ को ऑफर था उसकी सेक्रेटरी को नॉलेज थी या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं अभी निवेदन करता हूं आपकी खिदमत में।

तो मैं निवेदन यह कर रहा था कि कॉस्ट प्राइस को रिड्यूस करने के लिये ऐसी सर्कमटान्सेज हैं जिससे उनकी बोनाफाइडी प्रकट होती है पूरी तरह से।

अब रहा सवाल कि एक कागज़ लिखा गया। पहले एक रजिस्टर्ड लेटर लिखा गया था। क्या दूसरा खत लिखा गया ओरिजनल कोस्ट जो उसने दी है उसका जिक्र करते हुए ? यदि वह उसका जिक्र कर देता तो डाइरेक्टर को नॉलेज इम्प्यूट की जा सकती थी। लेकिन पहले पत्र लिखा गया, एडीशनल डाइरेक्टर के पास भेज दिया गया जिसमें कोई अमाउन्ट लिखा गया हो तो ऐसा कभी नहीं ख्याल किया जा सकता कि एडीशनल डाइरेक्टर इतना बिजी होते हुए भी उसकी नालेज में यह होता और वह अपने को इम्प्यूट करने का स्थिति पैदा कर सकता।

अब रहा सवाल माननीय सदस्य ने सवाल उठाया कि सचिव को कहीं पता था या नहीं। १ लाख ४५ हजार का ऑफर पहले ओरिजनल लेटर में था। रेकार्ड पर, माननीय सभापति महोदय, निश्चय पूर्वक कहा जा सकता कि कहीं भी १,४५ हजार को दूसरी दफा ऑफर हो और जिसकी एडीशनल डाइरेक्टर को और सचिव को ज्ञान हो।

श्री भैरोंसिंह : बिलकुल गलत है। वीरभानसिंह ने खुद ने अपना स्टेटमेंट दिया है एन्टी-करप्शन विभाग के अन्दर, जिसमें उसने कहा है कि शिक्षा सचिव को लेटर लिखकर ऑफर विड्ड्रा किया है और उसके बाद ये सब नेगोसियेशन्स हुए हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : एन्टी करप्शन के सामने उसके बयान या अदालत के सामने बयान, अदालत की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वहां उसके बयान इस तरह के थे उसने सचिव को ज्ञान करा दिया है कि १,४५ हजार का ज्ञान करा दिया है ? ऐसा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : वह बयान मेरे पास हैं। आपकी नॉलेज के लिये मैं उनको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। माननीय मन्त्री जी असत्य कह रहे हैं। वीरभानसिंह ने जो स्टेटमेंट दिया है मैं उसको सुना देना चाहता हूं।

(शोरगुल)

अनेक माननीय सदस्य : इनको मौका दिया जाय।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सभापति महोदय, आप स्वयं इस बात को समझेंगे। जो आदमी खुद इन्क्रिमिनेट हो रहा है और किया जा सकता है, किसी के सम्बन्ध में कोई बयान दे तो उसका क्या कोई आधार है। इन्डेफिनेट स्टेटमेंट से जांचा नहीं जा सकता है। एट दी वेरी रूट गलत है।

श्री भैरोंसिंह : यह तो कोर्ट के डिसाइड करने की बात है । यह केवल स्टेटमेंट नहीं है, एडमिटेड और सही हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : वीरभानसिंह ने कहा कि विद्ड्रॉ करता हूं यह जोधपुर से पोस्ट से आया था ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उनको मालूम है डॉक्यूमेंट पेश किया गया । उस खत का मालूम नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास : सचिव से अगर वीरभानसिंह मिला और ऑफिस में ही सचिव ने वहीं लिखवाया या घर से उसने भेजा । पोस्ट से आया हो तो बता दीजिये ।

(शोरगुल)

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह मैं नहीं जानता, न रिकार्ड में है ।

(शोरगुल)

श्री मुरलीधर व्यास : आप यह छिपाना चाहते हैं । इस प्रकार से विद्ड्रॉ करके यह पत्र लिखा । असल बात है घर की । घोटाले को बताना नहीं चाहते हैं । गबन सरीखे मामलों को आप दबाना चाहते हैं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : दबाना नहीं चाहते, जांच कराना चाहते हैं.......

श्री मुरलीधर व्यास : वीरभानसिंह का पत्र आता है सेक्रेटेरियेट में और आप उसको छिपाते हैं ।

(शोरगुल)

श्री निरंजननाथ आचार्य : सभापति महोदय, मैंने ये तथ्य बिना नोटिस के आप की व्यवस्थाओं के आधार पर रखे हैं, जो मुझे जानकारी थी वह मैंने बतायी है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : On a point of information. Sir. सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय ने अभी बयान दिया है, तथ्य बताये हैं क्या वे एन्टी-करप्शन की रिपोर्ट पर आधारित हैं या और किसी रिपोर्ट या फाइन्डिंग पर आधारित हैं ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : चूंकि यह प्रश्न पहले भी सदन में आ चुका था, फिर यह प्रश्न आया और दुबारा यही प्रश्न फिर सदन में आ रहा है ।

श्री भैरोंसिंह : आप बचाना चाहते हैं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : फिर आयेगा ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : क्यों आ जाता है, पता नहीं । फिजिकल ट्रेनिंग स्कूल का प्रिन्सिपल सस्पेन्ड हुआ और उसका प्रोसिक्यूशन हुआ । यह आवश्यक नहीं है मेरे लिये कि अपने आप एक एक चीज की जानकरी होनी ही चाहिये ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपकी जानकारी धीरे २ बढ़ रही है । तो पोज़िटिवली आप कहने की स्थिति में है कि वीरभानसिंह ने इस प्रकार का पत्र ऑफिस में आकर नहीं लिखा सचिव को ?

Page No. 116

श्री निरंजनाथ आचार्य : यही तो बहुत बड़ा तथ्य है। इतने बोल्ड पॉइन्ट को हम भूल जाय। मैं बार बार कह रहा हूं कि नहीं लिखा, नहीं लिखा, नहीं लिखा।

श्री सभापति : उन्होंने इन्कार कर दिया।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री मानकिचन्द सुराणा : एन्टा-करप्शन की इन्क्वायरी में श्री वीरभानसिंह ने इस प्रकार का स्टेटमेन्ट एन्टी करप्शन विभाग को दिया है, आप उसको मुलाहिजा कर लें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सभापति महोदय, न तो स्टेटमेन्ट की कोई गारन्टी है और न मुझे इसको देखने का मोका मिला, न मैंने देखा है।

श्री भैरोंसिंह : आप उसको बचाना चाहते हैं। सारा स्टेटमेंन्ट मैं आपको देता हूं। पूरी की पूरी फाइल में आपको देता हूं, आप देख लिजिये।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप अपने सेक्रेटरी महोदय को बचाने के लिए इस प्रकार की बातें यहां कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : पूरी फाइल मैं यहां सदन की मेज पर प्रस्तुत करता हूं। आप सेक्रेटरी को बचाना चाहते हैं। देखिये उनके कारनामे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : बचाने का प्रश्न नहीं है। आप मानिये। एवीडेन्स प्रोड्यूस हो रही हैं। यह प्रश्न लिया ही नहीं जाना चाहिये था। कोई दृष्टिकोण नहीं है कि किसी को बचाया जाय। गलत बातें यदि सदन में हों तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उनको निर्मूल करूं।

दूसरा प्रश्न रखा गया है मेरे बूते के बाहर। वी. के. सक्सेना, श्रीमती कौशिक, अवस्थी और कान्ति। सभापति महोदय, मुझे जो जानकारी मिली है वह यह है कि ये दो महिलायें हैं। पहले मिस थीं और बाद में मिसेज़ होगई।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, मैं आपकी इजाजत से एक बात और कहना चाहता हूं कि जिस एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट का जिक्र कर रहे हैं मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिन डी. आई. जी ने जांच की उन्होंने यह लिखा है कि एडीशनल डाइरेक्टर का और सेक्रेटरी एजूकेशन का दोनों का चालान किया जाय और उनको चार्जशीट दी जाय।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं कहूं...

श्री भैरोंसिंह : आप कहें ना कि चार्जशीट दी जाय यह लिखा या नहीं

श्री निरंजननाथ आचार्य : चार्जशीट दी जाय ऐसा नहीं लिखा।

श्री भैरोंसिंह : आप रिपोर्ट पेश करिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मुझे जानकारी नहीं है।

(शोरगुल–व्यवधान)

श्री मुरलीधर व्यास : आप छिपाना चाहते हैं।

(शोरगुल)

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप सचिव और संचालक को दोनों को एक्ज़ोनरेट कर रहे हैं।

(व्यवधान-शोरगुल)

श्री सभापति : श्री मानिकचन्द सुराणा।

(श्री ज्वालाप्रसाद से) आप पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ करना चाहते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सभापति महोदय, मेरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है एक तरफ से पूरी तरह से दावा हो रहा है इसलिये मेरा सजेशन यह है कि सदन तथ्यों की जानकारी चाहता है। चेयर खुद इसके डॉक्यूमेंट को देख सकती हैं और व्यवस्था दे सकती है आया वे सही कह रहे हैं या हमारे सम्माननीय मंत्री सही कह रहे है ताकि किसी निर्णय पर पहुंच सकें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं सम्माननीय मंत्री महोदय से एन्टी-करप्शन का झगड़ा चल रहा है, आपको अपनी तरफ से किसी करप्ट आदमी को शील्ड नहीं करना चाहिये, इसका रिफ्लेक्शन सरकार पर भी पढ़ता है। इसलिये सही स्थिति को समझ कर ही बोलना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : माननीय मन्त्री महोदय यह जानना चाहें कि किन किन अधिकारियों ने उनको चार्ज शीट देने के लिये लिखा है उन अधिकारियों के नाम आपको बता देना चाहता हूं, आप उनको भी नोटकर लें इन्होंने अपनी फाइन्डिंग्ज में लिखा है वे अफसर हैं। डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट मोहम्मद उमर; श्री जी० सी० सिंघवी; श्री महेशकुमार। इन तीनों ने लिखा है कि इनको चार्जशीट दी जावे।

श्री सभापति : But he has very categorically stated that such a thing is not there in the report.

श्री मानिकचन्द सुराणा : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर सर....

श्री निरन्जननाथ आचार्य : सभापति महोदय, मुझे कैसे माननीय सदस्य प्रेस कर सकते हैं कि मैं उनकी एक बात का जवाब दूं। यह ऐसा सवाल नहीं जिस पर कोर्नर किया जाये....

श्री भैरोंसिंह : आप एन्टी करप्शन विभाग की रिपोर्ट हाउस की टेबल पर रख दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं, फाइल्स नहीं है जिससे आपने जिस बरीकी के साथ सवाल रखे हैं उसका उस प्रकार से उत्तर दे सकूं। मैं चेयर का प्रोटेक्शन चाहता हूँ....

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरा यह निवेदन है कि माननीय मन्त्री महोदय एन्टी-करप्शन द्वारा दी हुई रिपोर्ट को न पढ़े और जब तक खुद नहीं पढ़ेंगे पता चलने वाला नहीं। इसलिये मेरा निवेदन है कि

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

क्या इस प्रकार के फाइन्डिंग्ज इन अधिकारियों के हैं जिन्होंने एजूकेशन सेक्रेट्री और एडीशनल डाइरेक्टर को चालान करने के लिये कहा है । यह मामला गम्भीर है इसकी निश्चित रूप से फाइन्डिंग्ज देनी हैं, इसके लिये आपको यह नहीं कहना चाहिये कि इसकी जानकारी का उन्हें अभाव हैं। कल सदन में आप बतायें इस बारे में सरकार क्या एटीट्यूड लेती है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसके अलावा भी कई मौके आयेंगे इसको बताया जा सकता है। This is not the forum. This is not the time.

श्री सभापति : This is the forum, but this not the time.

श्री निरंजननाथ आचार्य : Yes, either of the two.

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय मन्त्री महोदय उनको डिफेन्ड क्यों कर रहे हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : बाकी सवाल चेयरमेन के सम्बन्ध में उठाये गये, एग्जामिनर्स के सम्बन्ध में उठाये गये, मिस महिमा बक्सी के बारे में कहा गया, ये सब मामले मेरी जानकारी में नहीं हैं। इतना विश्वास दिला सकता हूं कि ये जो तथ्य रखे गये हैं उनकी जानकारी करने का प्रयत्न करूंगा ।

श्री भैरोंसिंह : आप कहते हैं जानकारी नहीं है एक अखबार में जिसमें आपके फोटो छपते हैं उसके नीचे ये सब बातें होती हैं और आपको पता ही नहीं चलता ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ये फोटोज तो ढाई साल के बाद अपने आप छपने बन्द हो जायेंगे । अब मैं समझता हूं इस बिल को पारित करने का प्रश्न है अतः इसको पारित किया जाय ।

श्री दलपतसिंह : आपने बिल के बारे में तो कुछ नहीं कहा ।

श्री भैरोंसिंह : एक निवेदन मेरा और है वे सारे डॉक्यूमेंटस जो मेरे पास थे वे मैंने सदन की मेज पर रख दिये हैं। मेरे पास उनकी कोई कॉपी नहीं है उसकी कोपी सेक्रेटेरिएट से दिलवा दी जाय ।

एक माननीय सदस्य : इसकी ओथेन्टिसिटी क्या है ?

श्री भैरोंसिंह : मैंने जो कुछ भी लिखा है मेरी ओथेन्टिसिटी और रेस्पोन्सिबिलिटी है उसके लिये ।

श्री सभापति : Certified copies are never available from the department. The rules to this effect are that papers and document shall be authenticated by Member.

(श्री गिरधारीलाल व्यास से) आप अपना संशोधन विड्ड्रॉ करना चाहते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं अपने संशोधन को सदन से विथड्रॉ करने के लिये आज्ञा चाहता हूं ।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है उनको विदड्रॉ करने की इजाजत दी जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं अपना संशोधन विदड्रॉ करता हू।

श्री सभापति : (श्री भैरोंसिंह से) क्या आप विदड्रॉ करना चाहते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : जहां इतना बड़ा करप्शन हो वहां मैं वापिस लूं यह उनकी तरफ रहे तो ही अच्छा है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री भैरोंसिंह ने इस विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित करने के लिये रखा है, उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

जो प्रस्ताव श्री मानिकचन्द सुराणा ने इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

प्रश्न यह है कि राज- स्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक १९६४ को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विधेयक, १९६४ को पारित किया जाय।

श्री मुरलीधर व्यास : सभापति महोदय, मैं इस पर दो शब्द कहना चाहता हूं....

श्री सभापति : इस पर बहुत कुछ कहा जा चुका है।

श्री मुरलीधर व्यास : फिर भी मैं कुछ और बातें निवेदन करना चाहता हूं........

श्री सभापति : आप कृपया स्थान ग्रहण करिये, काफी बातें इस सम्बन्ध में कही जा चुकी हैं। आपने भी कुछ तथ्य रखे हैं चर्चा हो चुकी है....

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने सरसरी तौर पर कहा था एक दो खास मुद्दे सदन के सामने लाना चाहता हूं। सभापति महोदय, जोधपुर फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज का सवाल हमारे दल के श्री रामकिशनजी ने उठाया था। एक प्रश्न के जरिये मैंने भी सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था। उस ध्यान आकर्षित करने के सम्बन्ध में माननीय मन्त्री महोदय ने एक वक्तव्य दिया था कि फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिन्सिपल का पत्र डाइरेक्टर को नहीं मिला है इसलिये इस संबन्ध में आगे कुछ भी कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता। उस समय मन्त्री महोदय के कहने पर किसी ने विशेष जोर नहीं दिया। आज श्री भैरोंसिहजी ने जो कुछ तथ्य सदन के सामने रखे हैं उसके अन्दर यह कहा गया है कि उसके बाद में भी दूसरे पत्र

(श्री मुरलीधर व्यास)

द्वारा डाइरेक्टर महोदय का ध्यान आकर्षित किया गया था । फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिन्सीपल की तरफ से उस बिल्डिंग के लिये १.४१ लाख की ऑफर है । उस समय सरकार के सामने कुछ तथ्य थे, कुछ तथ्य आये नही थे इसलिये कुछ तथ्य सदन के सामने लाना चाहता हूं । इस सम्बन्ध में वहां के प्रिन्सिपल का पत्र जो उसने डाइरेक्टर को लिखा है रजिस्टर्ड लेटर है वह ऑफिस में लिया गया और वह ऑफिस के अन्दर मौजूद है या नहीं यह देखा जाय ।

उसके बाद में दूसरा पत्र भी दिया गया उसकी ओर ध्यान खींचा गया या नहीं ।

सबसे बड़ी बात यह है कि डिप्टी मिनिस्टर श्री पूनमचन्द विश्नोई ने उस फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज की बिल्डिंग का निरीक्षण किया, उसको देखा लड़कियों के लिये व्यवस्था नहीं इसलिये १.४१ हजार में सेटलमेंट कर लिया जाय यह डिप्टी मिनिस्टर के नोटिस में बात थी । इसके अलावा उप मन्त्री महोदय आज यह कहते हैं कि उनको जानकारी नहीं है । इतने लेटर होने के बावजूद उसकी जांच पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के थ्रू कराई गई । जांच कितने दिनों में हुई ? क्या इस सिलसिले में सम्माननीय मन्त्री महोदय ने प्रिन्सिपल महोदय को लिखा ? उसमें यह लिखा कि एडजस्टमेन्ट कर बातचीत करो ।

एक ओर तो वह पता लिखा हुआ मौजूद है आपके ऑफिस से आया है । एक तरफ कहते हैं बातचीत करो और दूसरी तरफ वीरभानसिंह स्वयं आता है, मिलता है सेक्रेटरी से और यहां पर बातचीत हो जाती है और विद्ड्रॉअल लैटर यहां दिया जाता है और उस पर यहां से आदमी भेज दिया जाता है । जब कि छः महीने पहले ऑफर थी तब तो कुछ नहीं हुआ पर इस ऊंची ऑफर पर मामला आठ दिन में सारा का सारा फाइनल भी हो जाता है । इन आठ दिनों में ही आदमी भी वहां जाकर आ जाता है, जांच भी हो जाती है, जांच रिपोर्ट भी आ जाती है और आॅर्डर भी सेंक्शन का निकल जाता है कि यह बिल्डिंग इस प्रकार से ले ली जावे और उस पर शिक्षा मन्त्री के हस्ताक्षर भी हो गये । मुख्यमन्त्री, सचिव, डाइरेक्टर तक यह मामला गया और फिर भी यह सारी कार्यवाही ८ दिनों में हो गई । आप देख लीजिये कि कितनी तारीख को यह बातचीत लेने देने की हुई और किस तारीख को आपने बिल्डिंग ले ली और एग्रीमेन्ट कर लिया ।

तो अब और भी इस सम्बन्ध में भैरोंसिहजी ने तथ्य रक्खे हैं उनसे जाहिर है कि सही माने में इसमें गबन है, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार है, तो शिक्षा जैसे पवित्र स्थान में भी इन चीजों के लिये अगर आप सख्त कदम नही उठावेंगे तो नन्दाजी की दुहाई देना बेकार है । आप यों तो कहते फिरते हैं ट्रेज़री बेंचों पर बैठने वाले रट लगाते हैं कि भ्रष्टाचार मिटना चाहिये, रिश्वतखोरी समाप्त होनी चाहिये, नन्दाजी की दुहाई देते हैं कहते हैं ऐसे मामलों में फौरन एक्शन लेना चाहिये, पर जब एक्शन लेने का प्रश्न आता है तो मन्त्री महोदय कह देते हैं कि ऐसी बात नहीं है ऐसी बात नहीं है यह आप किस तरह से कह सकते हैं, इतने सारे तथ्यों के

(श्री मुरलीधर व्यास)

सामने रहते हुए। अगर नहीं है तो आप इन तथ्यों की जाँच कराएं। साहस दिखाएं कि पांच आदमी इस सदन के भी एक कमेटी के रूप में जाकर शिक्षा विभाग के सारे रिकार्ड को देखकर उनको जांच करके एक रिपोर्ट सदन में दे दें। इस मुद्दे की जहाँ तक जो जुडिशियल कार्यवाही हो रही है वह एक तरफ से हो रही है। सदन की भी एक कमेटी बनाकर आप जांच करवा लें। सदन के पांच आदमी की कमेटी उन तथ्यों को देख ले। देखने का मौका शिक्षा मन्त्री महोदय दें। जैसे गुलजारीलाल नन्दा कहते हैं कि जड़ामूल से भ्रष्टाचार नष्ट करना है, तो आप इस कमेटी की बात को स्वीकार कर लें। इतनी बहस इस मुद्दे पर होती है। आप भी कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं तो विरोधी दल की तरफ से जो फाइलें और कागजात पेश हुए हैं उनकी जांच कराना चाहें तो कमेटी बना लें और जांच करा लें और रिपोर्ट सदन में रख दें। इतना आश्वासन अगर वे देते हैं तो बहस का नतीजा निकलेगा और सदन के सदस्यों को भी सन्तोष मिलेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

शिक्षा मन्त्रीजी से खास करके मेरा अनुरोध है वे गुलजारीलालजी के वक्तव्यों से बहुत प्रभावित हैं और चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के मामलों में पूरी इन्क्वायरी हो तो मैं हरिभाऊजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप गांधीजी के साथ भी काफी रहे हैं। आपके मामले में कहा जाता है कि सत्य का जहां तक सवाल है आप उसे दबाना नहीं चाहते, तो आप इस में भी सत्य की जाच करना चाहते हैं तो ५ आदमियों की समिति बनाने की घोषणा करके इस मुद्दे पर जांच करके अपनी रिपोर्ट सदन में रख सकें तो इतना मौका दें तो समझूंगा कि आप वास्तव में भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं। नहीं तो मैं समझूंगा कि इतने बड़े तथ्य और प्रमाण लाने के बाद भी गबन, घोटाले और भ्रष्टाचार को आप मिटाना नहीं चाहते, बढ़ाना चाहते हैं। इसलिये निवेदन है कि वे इस बात को स्वीकार करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है....

श्री मुरलीधर व्यास : शिक्षा मन्त्रीजी क्या कहना चाहते हैं। कम से कम दो शब्द तो उनके सुन लें।

श्री सभापति : आपकी बातों का कोई असर नहीं पड़ा उन पर।

(घन्टी)

No talks

प्रश्न यह है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९६४ जो प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक स्वीकार किया गया।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः काल ८ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदन्तर सदन की बैठक म० प० १ बजकर ५५ मिनिट पर दिनांक १९ अगस्त, १९६४ के म० पू० ८ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट १

(समयाभाव के कारण प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

एस. एच. ओ. तारानगर के विरुद्ध शिकायतों की जांच

३०६. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) थाना पुलिस तारानगर के एस. एच. ओ. श्री रामलाल के विरुद्ध दिनांक १–।–६१ के बाद आज तक रिश्वतखोरी, गबन, मनमानी, पक्षपात एवं अधिकारों का दुरुपयोग करने की कुल कितनी शिकायतें उच्चाधिकारियों के पास जनता द्वारा भेजी गई हैं ?

(२) इनमें से कितनी शिकायतों की जांच हो चुकी है और कितनी बाकी है ?

(३) क्या किसी शिकायत में उक्त एस. एच. ओ. को दोषी पाया गया ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

(४) क्या उनमें एस. एच. ओ. के तबादले के आदेश जारी किये गये ? यदि हां, तो कितनी बार ? तबादला रद्द करने के क्या कारण थे ?

उत्तर

(१) ऐसी कुल सात शिकायतें प्राप्त हुईं।

(२) सातों की ही जांच हो चुकी है।

(३) पांच शिकायतें बे-बुनियादी पाई गईं एवं दो में प्रारम्भिक जांच से तथ्य पाये जाने से विभागीय जांच की जा रही है।

(४) उनका तबादला पुलिस लाईन्स चुरू में सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस द्वारा किया गया था जिसको डी० आई० जी० पी० ने प्रशासनीय कारणों से कुछ अर्से के लिये ही स्थगित रखा था एवं बाद में तबादले की आज्ञा का पालन होकर उन्हें पुलिस लाईन चुरू में भेज दिया गया और वहां से उनका तबादला गंगानगर में कर दिया गया।

नये उद्योगों के लिए लाईसेंस

३१०. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) तीसरी योजना के अन्तर्गत राज्य में कितने नये उद्योग खोलने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा लाईसेंस दिये गये और उनमें से कितने उद्योग खुले तथा कितने इस वर्ष में खुल जायेंगे ?

(२) बाकी के लाईसेंस प्राप्त उद्योग क्यों नहीं खुले ?

उत्तर

(१) कुल ४६ लाईसेंस दिये गये। इनमें से ७ उद्योग खुल गये हैं, व २ उद्योगों की वर्ष के आखिर तक खुलने की सम्भावना हैं।

(२) उद्योगों का खोलना लाईसेन्स होल्डर्स पर निर्भर करता है। उद्योग निर्धारित अवधि में खोलने पड़ते हैं और नहीं खोलने पर लाईसेन्स रिवोक हो जाते हैं। जो उद्योग नहीं खुले हैं वे भारत सरकार द्वारा रिवोक कर दिये जावेंगे।

चम्बल सिंचित क्षेत्र और लेण्ड होल्डिंग्ज़ पर सीलिंग

३११. श्री जुझारसिंह (चेचट) : Will the Revenue Minister please state:—

(1) How much area has been fixed for purposes of ceiling on land holdings in the different tehsils each in the Chambal commanded area and what basis has been adopted to work out this area ?

(2) What is the area of ceiling fixed in other tehsils of Rajasthan Covered under the Major Irrigation Projects from other rivers together with the basis adopted for working out the area in those places ?

(3) What is the average yield per acre worked out for each tehsil covered under the Major Irrigation Projects both according to the Rent Rate and Crop-cutting formulas in each tehsil comparatively ?

(4) Is it a fact that the average yield of wheat per acre has been shown to be the lowest in Kota District in Rajasthan in the first ceiling report produced before the Assembly including the yield per acre in tehsils now covered by the Chambal irrigation system ?

(5) What are the reasons for fixing the lowest area as ceiling on land in Kota District inspite of its low productivity per acre according to Government Reports ?

उत्तर

(1) The area commanded by the Chambal Irrigation project comprises Villages of tehsils Bundi, Talera and Keshoraoptan of the Bundi district and tehsils Ladpura, Digod, Sangod, Anta, Baran, Mangorl, Barod, Itawan, Indergarh and Pipalda of the Kota district. It is not possible to give the ceiling areas for the different soil classes in the different ceiling groups of the hundreds of Villages of these tehsils. The ceiling areas for the villages of the Bundi

Page No. 124

and Kota districts have been given at pages 841 to 851 and 10?1 to 1049 respectively of the Rajasthan Gazette, Extraordinary, Part IV-C, dated the 1st December, 1963, in which the Rajasthan Tenancy (Fixation of Ceiling on Land) Goverment Rules, 1963 were published. The Honourable Member may kindly refer to those pages of the Gazette.

As regards the concluding portion of this part of the question, he is referred to—

(a) Section 30 C of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Rajasthan Act 3 of 1955)

(b) Rule 19 of the Rajasthan Tenancy (Fixation of Ceiling on Land) (Goverment) Rules, 196 ; and

(c) Appendix 'A' to the said rules which give the basis adopted to work out the ceiling areas.

(2) The Honourable Mamber is referred to pages 715 to 1172 of the Gazette, Extraordinary, dated the 1st December, 1963 allready referred to, in which he can look up the ceiling areas for any particular soil class in any particular village falling under any major irrigation project. Reply about the basis adopted for working out the celling areas has already been given.

(3) It is not possible to furnish this information in reply to an Assembly question, as the major irrigation projects are situated in several districts of Rajasthan and the produce estimates have been worked out for a very large number of crops.

(4) The settlement Commissioner's ceiling report was not laid on the Table of the House; therefore, the question does not arise. It may be added that the produce estimates for the various ceiling groups and the various soil-classes in the Kota district were worked out strictly in accordance with the provisions of the law.

(5) This question does not arise.

कोयला काटने पर खर्च-पलाना कोयला खान

३१२. श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : Will the Minister for Mines be pleased to state:—

(1) What is the cost of coal cutting and loading per ton in Palana Coal Mines ?

(2) What is the cost of tramming either by way of hand process or by way of haulage?

(3) Is it a fact that the cost of tramming is much higher than other coal mines in India? If so, what efforts are being made to reduce it?

उत्तर

(१) फ्लाना कोयला काटने का खर्चा प्रति टन २.३६ पैसा आता है।

(२) हाथ की विधि द्वारा ट्रेमिंग का खर्चा जबकि कोयले का उत्पादन ४००० टनों से अधिक होता है तो २.६३ पैसे प्रति टन के करीबन आता है और परिवाहन (हालेज) द्वारा यह खर्चा करीबन ०.७५ नये पैसे प्रति टन है जो हाथ की ढुलाई के अलावा है। ये दोनों क्रियाएं एक साथ चलती हैं।

(३) भारत की दूसरी कोयले की खानों की तुलना में जहां यन्त्रीकरण हो चुका है, फ्लाना कॉलेरी में ट्रेमिंग का खर्चा सम्भवतया अधिक हो सकता है। किन्तु अब ट्रेमिंग के खर्चे में कमी करने हेतु कोयले का फेस से धरती पर (surface) पर बहार लाने का कार्य बेल्ट कन्वेयर्स द्वारा किया जावेगा। फलस्वरुप कोयले की ढुलाई का खर्च भविष्य में काफी कम हो जावेगा।

सड़कें बनाने का विचार

३१३. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) गिरवा और बड़गांव पंचायत समितियों के गांवों में से कौन कौन से गांवों को सड़कों से जोड़ा जाने का प्रावधान तीसरी पंचवर्षीय योजना में है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या सरकार तीसरी पंच-वर्षीय योजना में उदयपुर में डोडावली गांव तक सड़क बनाने का विचार रखती है?

उत्तर

(१) पंचायत क्षेत्र के आधार पर योजना नहीं बनाई गई है वैसे गिरवा बड़गांव पंचायत समिति क्षेत्र में निम्न सड़कें स्वीकृत हैं।

(१) इसवाल से कुम्भलगढ़

(२) उदयपुर से सोन वाया झाड़ोल, कोलपारी तथा फडासीया।

(२) यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

राजकीय छात्रावास–सांचोर

३१४ श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि सांचोर में राजकीय किसान छात्रावास बहुत सालों से चल रहा है ? अगर हां, तो उनके रहवास के लिये क्या व्यवस्था है और क्या यह व्यवस्था पर्याप्त है ?

(२) क्या यह सच है कि उक्त छात्रावास को सरकार की ओर से अभी पर्याप्त अनुदान नहीं मिलती ? अगर हां, तो क्यों ? क्या सरकार शीघ्र अनुदान दिलाने के बारे में निर्णय लेगी ?

(३) क्या यह सच है कि उपरोक्त किसान छात्रावास के लिये रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही चल रही है ? अगर हां, तो कब से ? कब तक कार्यवाही सम्पूर्ण हो जावेगी ? इतनी देरी लगने के क्या कारण हैं ?

(४) क्या सरकार ऐसे पिछड़े क्षेत्र में राजकीय छात्रावास के लिये मकान बनवाने का शीघ्र निर्णय लेगी ? अगर हां. तो कब तक, अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त अथवा सहायता प्राप्त इस प्रकार का कोई छात्रावास सांचोर में नहीं है।

(२) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(३) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(४) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

जनता की सुविधा हेतु सड़कें

३१५. श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि नसीराबाद से नीमच जाने वाली सड़क पर भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़ के पूर्वी हिस्से में गंगानगर तहसील की जनता के लिये सड़क का कोई साधन नहीं है ?

(२) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा से पूर्वी भाग को चित्तौड़गढ़ जिले से सड़क द्वारा मिलाये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? अगर नहीं, तो क्या भीलवाड़ा से बस्सी मिलाई जाने की सम्भावना है ?

(३) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ एवं मांडलगढ़ के त्रिकोण मध्य की जनता की सुविधा के लिये कोई लघु सड़क योजना पर भी सरकार विचार कर रही है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं।

इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स के आदेश के विरुद्ध मुकदमा

३१६. श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स झालावाड़ ने भवानी मण्डी हाई स्कूल में पढ़ती हुई कन्याओं को कन्या पाठशाला में भर्ती करने को मजबूर किया ?

(२) क्या यह सही है कि जो विषय वे कन्यायें हाई स्कूल में पढ़ रही थीं वे कन्या पाठशाल में नहीं थे ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त कन्याओं के संरक्षकों ने इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स के इस आदेश के बाबत दावा भवानी मण्डी कोर्ट में किया था ?

(४) यदि हां, तो कोर्ट का क्या फैसला हुआ ? फैसले की नकल सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(१) जी हां। क्योंकि छात्रों की शाला में छात्रों की वृद्धि के कारण बैठने को भी स्थान नहीं रहा था जिसके कारण छात्राओं को छात्राओं की शाला में ही प्रवेश देना ठीक समझा गया।

(२) यह सही नहीं है। इस प्रकार की शिकायत शिक्षा निरीक्षक के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई थी।

(३) जी हां। एक छात्रा राधा देवी के संरक्षक श्री श्यामलालजी भवानी मण्डी ने कोर्ट में दावा किया था।

(४) दावा श्री श्यामलालजी द्वारा कोर्ट से वापिस ले लिया गया था। दावे के फैसले की नकल सदन की मेज पर रख दी गई है।

अज अदालत मुन्सफी व इजलास श्री हरस्वरुप दरबारी, बी० काम०, एल० एल० बी०, आर० जे० एस०, मुन्सिफ भवानी मण्डी।

मुकदमा नं० १५६ सन् ६१ तारीख फैसला १-६-६३ नम्बरी व मु० उषारानी उम्र ११ वर्ष नाबालिक नेक्स्ट फ्रैण्ड श्री श्यामलाल जो आयु ५६ वर्ष निवासी भवानी मण्डी।

राधादेवी आयु १२ साल नाबालिक द्वारा वली श्री नेमी चन्द नेक्स्ट फ्रैण्ड आयु ४० वर्ष नि० भवानी मण्डी—वादीगण

१—हैडमास्टर हाई स्कूल, भवानी मण्डी २—इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स, भवानी मण्डी	प्रतिवादी

वादी राधा देवी की ओर से ता २३-५-६३ को यह दावा विदड्रॉ करने की दर० पेश की गई है, विद्वान् वकील प्रतिवादी ने तारीख ३१-५-६३ को दरख्वास्त पेश करके इस पर आपत्ति की है मेरे मत में सिर्फ विदड्रॉवल करने के सिवा खर्चे के कोई माकूल आपत्ति नहीं हो सकती है वादी को अगर दुबारा दावा करने की इजाजत नहीं चाहिये तो वादी एज ए मैटर ऑफ राइट दावा विदड्रॉ कर सकता है। अतः वादी को विदड्रॉ करने की इजाजत दी जाती है। दावा मुताबिक वा० २३ सी० पी० सी० खारिज किया जाता है। प्रतिवादी राधादेवी से खर्चा मुकदमा पावेगा।

ह० एच० एस० दरबारी

❀ शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक १८ अगस्त, १९६४)

स्कम्भ सं.	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
१-२	शीर्ष	विधान सभा	विधान सभा
२	६	श्री मुथरेश बिहारी माथुर	श्री मथुरेशबिहारी माथुर
४	५	मानिकचन्द सुराणा	श्री मानिकचन्द सुराणा
५	६	तियुक्ति	नियुक्ति
७	११	रामप्रसाद लड्ढा	श्री रामप्रसाद लड्ढा
९	१	श्री रामप्रशाद लड्ढा	,, ,, ,,
११	३	श्री जेठमल बरबड	श्री जेठमल बरवड़
१२	अन्तिम से ६	,, ,, ,,	,, ,, ,,
१५	शीर्षक	१८ अगस्त	-१८ अगस्त
१७	१	श्री निरंजननाथ आचायं	श्री निरंजननाथ आचार्य
१९	शीर्ष	श्री (मोहनराज)	(श्री मोहनराज)
,,	८	उप मंत्री विद्युत् : (श्री	उप-मंत्री, विद्युत (श्री
२२	२, ११, १८	ऋषमदेव	ऋषभदेव
२८	१९	श्री मती कमला वेनी वाल	श्रीमती कमला बेनीवाल
३०	१२	श्री भैरोंसिंह	श्री भैरोंसिंह
३९	१३, १७, २९	श्री भैरोसिह	,, ,,

१	२	३	४
४०	६	श्री भेरोंसिह	श्री भैरोंसिह
४१	शीर्ष	(श्रीं बिजयसिंह झाला)	(श्री विजयसिंह झाला)
४३	,,	(उप-मंत्री, राजस्व)	(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
४४	२१	श्री भानुग्रसाद कराड़िया	श्री भानुप्रसाद कराड़िया
४६	१	श्री रागप्रसाद लड्ढा	श्री रामप्रसाद लड्ढा
५०	अन्तिम से ५, ४	(इकलेरा सु०)	(अकलेरा सु०)
५५	८	श्री निरंजननाथ आचार्य	श्री निरंजननाथ आचार्य
५७	१	श्री उमरावसिंह ढावरिया	श्री उमरावसिंह ढ़ाबरिया
५७	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर	अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित
,,	१५	श्री हरिप्रसाद शर्मा, (पाटन)	श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन)
५९ व ६१	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर –१८ अगस्त, ६४– तारांकित प्रश्नोत्तर	अनुपस्थित सदस्यों के –१८ अगस्त, ६४– तारांकित प्रश्नोत्तर
६१	अन्तिम से ७	अतारंकित अश्नोत्तर	अतारांकित प्रश्नोत्तर
६५ व ६७	शीर्षक	–११ अगस्त,	–१८ अगस्त,
६९	,,	–१८ अगस्न	,, ,,
७४	,,	–संयुक्त समाजवादी दल का गठन	अतारांकित प्रश्नोत्तर
९४	१८	श्री लिजयसिंह झाला	श्री विजयसिंह झाला
११३	८	श्री परसराम मदेरना	श्री परसराम मदेरणा
,,	१९	श्री सतीशचन्द्र अग्रलाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
११८	७	श्री सतीशचन्द्र अग्रबाल	,, ,, ,,
१२७	६	श्री अब्दुल जव्वार	श्री अब्दुल जब्बार

१	२	३	४
१३५ से १५४	शीर्षक	राजस्थान यात्री तथा माल कर –१८ अगस्त, ६४– विधेयक, ६४	डूंगपुर राज्य देवस्थान निधि –१८ अगस्त, ६४, (संशोधन) विधेयक, १९६४
१४७	१	श्री यिजयसिंह झाला	श्री विजयसिंह झाला
१५५ से १६०	शीर्षक	राजस्थान यात्री तथा माल कर –१८ जगस्त, ६४– विधेयक, ६४	राजस्थान माध्यमिक, शिक्षा–१८ अगस्त, ६४– विधेयक, ६४
१७१	,,	माघ्यमिक शिक्ष	माध्यमिक शिक्षा
१७३	,,	माध्यकिम शिक्षा	,, ,,
१९६	शीर्ष	(श्रो भंगेसिंह)	(श्री भैरोंसिंह)
२०२	३	श्री नत्थीसिह	श्री नत्थीसिंह
२१३	शीर्षक	–१८ अगस्त, २४	–१८ अगस्त, ६४
२२७	शीर्ष	श्री निरंजननाथ ग्राचार्य)	(श्री निरंजननाथ ग्राचार्य)
२३१	६	श्री मानकिचन्द सुराणा	श्री मानिकचन्द सुराणा
२३६	३	श्री निरंजननथ आचार्य	श्री निरंजननाथ आचार्य
२३७	८	(श्री भैरोंसिह से)	(श्री भैरोंसिह से)

*नोटः—विस्तृत शुद्धि-पत्र बाद में पृथक से मुद्रित होगा।